प्रश्न पत्र – V

कानून व्यवस्था

कालांश – 100, पूर्णांक – 100

अ – कानून व्यवस्था ड्यूटी **(कालांश – 60, अंक – 60)**

क्रम सं.	विषय वस्तु	पृष्ठ संख्या
1	गश्त : (क) गश्त का महत्व (ख) गश्त के सामान्य सिद्धान्त (ग) गश्त के दौरान ध्यान रखने योग्य बातें (घ) गश्त का व्यवहारिक ज्ञान	1–3
2	दबिश, घेराबन्दी व तलाशी : (क) दबिश, घेराबन्दी व तलाशी का अर्थ व सामान्य सिद्धान्त (ख) दबिश, घेराबन्दी व तलाशी के दौरान ध्यान रखने योग्य बातें (ग) दबिश, घेराबन्दी व तलाशी का व्यवहारिक प्रदर्शन	1–24
3	नाकाबन्दी : (क) नाकाबन्दी के सामान्य सिद्धान्त (ख) नाकाबन्दी के लिए आवश्यक संसाधन एवं तैयारी (ग) नाकाबन्दी का संचालन एवं ध्यान रखने योग्य बातें (घ) स्थाई पिकेट पर चैकिंग (ड़) नाकाबन्दी का व्यवहारिक प्रदर्शन	1–5
4	भीड़ नियंत्रण : (क) भीड़ के प्रकार (ख) भीड़ की संख्या का अनुमान लगाना (ग) भीड़ की मंशा का पता लगाना (घ) विभिन्न प्रकार की भीड़ नियंत्रण हेतु पुलिस की संवेदनशीलता – विशेष रूप से महिलाओं एवं बच्चों के साथ (ड़) भीड़ नियंत्रण के विभिन्न तरीके (य) भीड़ नियंत्रण का व्यवहारिक प्रदर्शन	1–15
5	निगरानी एवं अवलोकन : (क) निगरानी की परिभाषा, प्रकार एवं महत्व (ख) निगरानी क्यों व किसकी	1–8

	(ग) निगरानी में रखी जाने वाली सावधानियां (घ) अवलोकन का अर्थ एवं महत्व (ड़) अवलोकन के तरीके एवं ध्यान रखने योग्य बिन्दु	

ब – यातायात नियमन **(कालांश – 20, अंक – 20)**

क्रम सं.	विषय वस्तु	पृष्ठ संख्या
1	यातायात नियमन : (क) यातायात नियमन का परिचय (ख) यातायात नियंत्रण उपकरण एवं यातायात संकेतक (ग) इन्टर सेप्टर, ब्रेथ एनेलाइजर की जानकारी (घ) यातायात ड्यूटी के दौरान आचरण (ड़) चौराहों पर यातायात नियमन (च) दुर्घटना स्थलों की सुरक्षा, न्यायिक साक्ष्यों को सुरक्षित रखना जैसे – स्किड मार्क्स (छ) सड़क दुर्घटना पीड़ितों का प्राथमिक उपचार एवं उन्हें अस्पताल पहुंचाना (ज) यातायात जाम के दौरान ड्यूटी (झ) यातायात नियंत्रण का व्यवहारिक प्रशिक्षण	1–22

स – आपदा प्रबन्धन **(कालांश – 20, अंक – 20)**

क्रम सं.	**विषय वस्तु**	**पृष्ठ संख्या**
1	आपदा प्रबन्धन : (क) आपदा प्रबन्धन में पुलिस की भूमिका (ख) बचाव एवं राहत : प्राकृतिक आपदा जैसे – बाढ़, भूकम्प, चक्रवात, अन्य आपदाएं जैसे – सूखा, तूफान, आगजनी की घटनाएं एवं गम्भीर दुर्घटनाए (ग) आपदा पीड़ित की प्राथमिक चिकित्सा (घ) प्राथमिक चिकित्सा का व्यवहारिक प्रदर्शन	**1–28**

प्रश्नपत्र – पंचम (V)

कानून व्यवस्था

1. गश्त

गश्त की परिभाषा :– पुलिस का वह हथियार सहित या रहित दल (जाब्ता), जो दिन/रात में किसी क्षेत्र विशेष में जनता के जान माल की सुरक्षा, अपराधों की रोकथाम, कानून व्यवस्था व शांति व्यवस्था बनाये रखने एवं निगरानी के लिए सवारी/पैदल भ्रमण को नियोजित किया जाता है, उसे गश्त कहते हैं।

(क) **गश्त का महत्व** :–

गश्त व्यवस्था से अपराधियों में खौफ व आमजन में विश्वास स्थापित होता है। प्रभावी गश्त से हल्का क्षेत्र में अपराधों एवं अपराधियों की गतिविधियों पर निगरानी रखकर अंकुश लगाया जा सकता है। अपराधियों को पकड़ने में गश्त का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। विशेष आयोजनों के दौरान असामाजिक गतिविधियों एवं अपराधों पर प्रभावी गश्त द्वारा अंकुश लगाया जा सकता है।

(ख) **गश्त के सामान्य सिद्धान्त** :–

1. गश्त के दौरान पुलिस दल अपने सम्पूर्ण गश्त क्षेत्र का भ्रमण करेगा। भ्रमण के लिये कोई निश्चित मार्ग/समय को नहीं अपनाकर क्षेत्र को बदलते हुए भ्रमण करेगा।

2. गश्त के दौरान बीट क्षेत्र में यदि कोई धार्मिक/सामाजिक रूप या अन्य किसी कारण से कोई विवादित स्थल है, तो वहां निगरानी रखते हुये गश्त करेगा।

3. गश्त के दौरान बीट क्षेत्र में स्थित धार्मिक स्थलों जैसे मन्दिर/मस्जिद /गिरजाघर पर भी निगरानी रखेगा एवं विशेष आयोजन होने पर भीड़ पर नियंत्रण एवं वाहनों की पार्किंग आदि सुनिश्चित करवायेगा। इस हेतु अतिरिक्त जाब्ता प्राप्त करने की रिपोर्ट समय पर थानाधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

4. उपरोक्त बिन्दु संख्या 2 व 3 पर बताये गये स्थान पर गश्त/विशेष आयोजनों के दौरान किसी अवांछित गतिविधि की सूचना/संभावना हो, तो तुरन्त सक्षम अधिकारियों को अवगत करायेगा।

5 गश्त के दौरान बीट क्षेत्र में रहने वाले एच०एस०/आदतन अपराधियों की गतिविधियों पर नजर रखेगा। संदेह होने पर सक्षम अधिकारियों को तुरन्त अवगत करेगा।

6. गश्त के दौरान संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ करेगा। यदि आवश्यकता हो, तो संदिग्ध व्यक्ति की एवं उसके सामान की तलाशी लेगा।

7. पूछताछ एवं तलाशी के दौरान शालीनता से व्यवहार करेगा। उचित शब्दों का इस्तेमाल करेगा। जैसे – (1) श्रीमानजी, आपका नाम, पता क्या है ? (2) आप कहाँ से

आये है ? (3) आप कहाँ व किस काम से जा रहे हैं ? (4) आमजन की सुरक्षा के लिए आपकी व आपके वाहन की तलाशी ली जानी है।

8. पूछताछ के दौरान उत्तेजना में ना आएं तथा अपना मानसिक संतुलन बनाये रखें।

9. आने जाने वाले व्यक्तियों/वाहनों का नाम, पता एवं रजिस्ट्रेशन नम्बर अपनी गश्त डायरी में अंकित करेगा।

10. गस्त क्षेत्र में स्थित एटीएम, बैंक व अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर नियमित अन्तराल से गश्त करते हुए निगरानी रखेगा एवं सीसीटीवी आदि चालू हालात में है या नहीं, चैक करेगा।

11. गश्त के दौरान क्षेत्र में कुछ समय के लिये रुकने वाले स्थानों का चयन इस प्रकार से करेगा कि वहाँ से अधिक से अधिक जगह पर निगरानी रखी जा सके।

12. गश्त के दौरान चैकिंग अधिकारी के समक्ष अपनी गश्त डायरी पेश करेगा और उसमें नोट अंकित करवायेगा तथा कोई विशेष बात हो तो गश्त अधिकारी को अवगत करायेगा।

13. दिन के समय गश्त के दौरान गश्त क्षेत्र के सीएलजी सदस्यों/गणमान्य लोगों/वरिष्ठ नागरिकों से भी सम्पर्क कर जानकरी प्राप्त करेगा एवं उनके नाम एवं मोबाईल नम्बर अपनी गश्त डायरी में अंकित करेगा।

(ग) गश्त के दौरान ध्यान रखने योग्य बातें :–

1. गश्त के दौरान अचानक विषम परिस्थिति उत्पन्न होने पर तुरन्त अपने क्षेत्र/थाना की मोबाईल पार्टी से सम्पर्क करना चाहिए। मोबाईल पार्टी के आने तक विवेकपूर्वक स्थिति को संभालने का प्रयास करना चाहिए।

2. गश्त के दौरान बीट क्षेत्र में लोगों का विश्वास व अपराधियों के बारे में सूचना हासिल करने का प्रयास करना चाहिए। परन्तु आमजन को इससे किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए।

(घ) गश्त का व्यावहारिक ज्ञान :–

प्रशिक्षणार्थियों को एक दिन रॉलकॉल के समय किसी थाने पर ले जाया जावेगा। जहां एच०एम० उनको ब्रीफ कर गश्त ड्यूटी में तैनात किये जाने वाले कानिस्टेबिल के साथ उनको गश्त मे भिजवायेगा। गश्त के दौरान प्रशिक्षणार्थी SOP के उपरोक्त बिन्दुओं के अनुसार व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे।

गश्त के व्यावहारिक ज्ञान के लिए SOP

नोट :– गश्त का व्यावहारिक प्रशिक्षण परिवीक्षा काल में दिया जाना उचित रहेगा।

1. रॉल कॉल में एच०एम० गश्त हेतु बीट आंवटन कर बतायेगा तथा साथ में गश्त के उद्देश्य के बारे में ब्रीफ करेगा।

2. कानि0 जिसकी ड्यूटी गश्त में लगाई गई है, वह अपने गश्त क्षेत्र के बारे में सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त करेगा। जैसे :–

(A) गश्त क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक है ?
(B) गश्त क्षेत्र रिहायशी इलाका है या मार्केट है ?
(C) गश्त क्षेत्र में कोई विवाद की विषयवस्तु/जमीनी, साम्प्रदायिक आदि तो नहीं है। यदि हो तो इस स्थान पर किन बातों का विशेष ध्यान रखना है ?
(D) गश्त क्षेत्र में कोई एच०एस० /हार्डकोर अपराधी हो तो उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेगा।
(E) गश्त क्षेत्र में स्थित विशेष वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, जैसे – बैंक, एटीएम, मॉल, पेट्रोल पम्प आदि की सूची प्राप्त करेगा।
(F) गश्त क्षेत्र के लिये निर्धारित डायरी एच०एम० से प्राप्त कर साथ ले जायेगा तथा यह सुनिश्चित करेगा कि डायरी में थानाधिकारी, पुलिस स्टेशन, पुलिस कन्ट्रोल रूम व उच्चाधिकारियों के टलीफोन नम्बर अंकित है या नहीं। अंकित नहीं है तो उक्त नम्बर डायरी में अंकित करेगा।
(G) गश्त के लिये आवश्यक संचार साधन जैसे वायरलेस सेट थाने से प्राप्त करेगा तथा अपना मोबाईल फोन साथ लेगा। गश्त के लिये आवश्यक उपकरण डण्डा/विसिल/ टॉर्च प्राप्त कर साथ ले जायेगा।

3. दिये गये समय पर गश्त के लिये गश्त क्षेत्र में पहुंचेगा। यदि सशस्त्र गश्त के आदेश हो तो थाने से हथियार लेकर गश्त में जायेगा।

2. दबिश, घेराबन्दी व तलाशी

(क) दबिश, घेराबन्दी व तलाशी का अर्थ एवं साधारण सिद्धान्त

1. दबिश (Raid)

अपराधियों की धरपकड़ एवं अपराध नियंत्रण में दबिश का महत्वपूर्ण योगदान है। इससे न केवल अपराध नियंत्रण होता है, अपितु अपराधियों में भी भय पैदा होता है।

दबिश का अर्थ

दबिश का अर्थ होता है – छापा मारना। जब कभी किसी जगह पर किसी अपराधी के होने की विश्वस्त सूचना हो या किसी स्थान पर कोई अपराध घटित होने की सूचना हो या किसी स्थान पर अवैध शराब, नशीले पदार्थ, जाली नोट या किसी तरह की अन्य कोई गैरकानूनी वस्तु होने की सूचना हो या किसी माल की बरामदगी की जानी हो तथा ऐसी जगह पर तुरन्त पहुँच कर कार्यवाही की जानी हो, तो पुलिसकर्मियों की टीम बनाई जाकर गुप्त रूप से तुरन्त पहुँच कर कार्यवाही की जाती है, तब इस कार्यवाही को दबिश या रेड कहा जाता है।

दबिश के साधारण सिद्धान्त :–

दबिश बहुत ही सजग रूप से दी जानी चाहिए, अन्यथा दबिश का उद्देश्य विफल हो जाता है। दबिश के निम्नलिखित सिद्धान्त हैं :–

टीम भावना

दबिश के दौरान पुलिस बल को टीम भावना का परिचय देते हुए कार्य करना चाहिए। समस्त पुलिस बल का सामूहिक प्रयास ही दबिश को सफल बनाता है। किसी एक व्यक्ति के प्रयासों से दबिश का उद्देश्य सफल नहीं हो सकता। पुलिस बल को एक दूसरे के साथ समन्वय बनाये रखना चाहिए।

जिम्मेदारी

दबिश के दौरान पुलिस टीम के प्रत्येक पुलिसकर्मी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। जिम्मेदारी के स्पष्ट विभाजन से कार्यों में दोहराव व अतिव्यापन नहीं होता है और तलाशी सघनता से होती है ।

उद्देश्य की स्पष्टता

दबिश का मुख्य उद्देश्य क्या है ? दबिश किस कारण से की जा रही है ? आदि बातें दबिश में शामिल पुलिस बल को स्पष्ट होनी चाहिए। उद्देश्य स्पष्ट होने से पुलिस बल में भटकाव की स्थिति नहीं रहती है।

शीघ्रता

दबिश के दौरान सभी कार्य शीघ्रता से करके पुलिस को वहां से रवाना हो जाना चाहिए। कई बार दबिश के स्थान पर लंबे समय तक बने रहने पर कानून व्यवस्था की स्थिति विकट हो जाती है।

पर्याप्त पुलिस बल

दबिश से पूर्व पुलिस बल का आकलन अच्छी तरह से कर लेना चाहिए। दबिश के दौरान किन – किन स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है, आदि सभी का पूर्वानुमान लगाकर उसी के अनुरूप पुलिस बल की व्यवस्था करनी चाहिए।

(ख) <u>दबिश के दौरान ध्यान रखने योग्य बातें</u>

1. दबिश के लिए दक्ष जवान होने चाहिए। जिस इलाके में दबिश के लिए जाना है, उस की पूर्ण जानकारी, जैसे – रास्ता, भाषा आदि की जानकारी होनी चाहिए। वहां के लोगों के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए।

2. दबिश के लिए जाप्ता पर्याप्त मात्रा में व आवश्यकतानुसार हथियारों से लैस होना चाहिए।

3. दबिश के दौरान दबिश पार्टी इन्चार्ज के निर्देशानुसार कार्य करना चाहिए।

4. यदि दबिश रात के समय की जाये तो प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए तथा जहा तक संभव हो, ड्रेगन लाईट साथ होनी चाहिए।

5. दबिश कार्यवाही गुप्त रूप से व योजनाबद्ध तरीके से की जानी चाहिए।

6. यदि दबिश कार्यवाही दूसरे थाने इलाके में हो तो सम्बन्धित थाने में सूचना देकर वहां से इमदाद/मदद लेनी चाहिए।

7. दबिश की कार्यवाही त्वरित होनी चाहिए व कार्यवाही समाप्त होने के तुरन्त बाद वहां से चले जाना चाहिए।

8. दबिश के दौरान आस – पास के लोगों से दुर्व्यवहार व अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए।

9. दबिश के दौरान यदि कहीं लोगों के विरोध का सामना करना पड़े, तो समझदारी, सूझबूझ व विवेक से काम लेना चाहिए। उत्तेजना में नहीं आना चाहिए व ना ही अनावश्यक बल प्रयोग करना चाहिए।

10. दबिश के दौरान हिम्मत, साहस, ईमानदारी व सूझबूझ से कार्य करना चाहिए।

तलाशी

1. खुले स्थान, मैदान, निर्मित क्षेत्र, मकान एवं अन्य स्थानों आदि की तलाशी :–

(आरपीआर 1965 नियम 6.24)

तफ्तीश के दौरान पुलिस अपराध से सम्बन्धित किसी व्यक्ति या वस्तु की बरामदगी हेतु, किसी स्थान, जो अपने क्षेत्र या अन्य किसी क्षेत्र में है, की तलाशी धारा 47, 165, 166 सी.आर.पी.सी. के अन्तर्गत ली जाती है। जिसमें धारा 100 सी.आर.पी.सी. के प्रावधानों का पालन किया जाता है।

2. तलाशी के प्रकार

क. बिना वारण्ट तलाशी ।

ख. वारण्ट से तलाशी।

3. तलाशी के दौरान कर्त्तव्य :–

क. तलाशी के समय क्या तलाश किया जा रहा है, की पूर्ण जानकारी होना।

ख. तलाशी में कम से कम दो या दो से अधिक स्थानीय व निष्पक्ष नागरिक बतौर गवाह शामिल करना

ग. उपर्युक्त गवाहों को पूर्ण कार्यवाही में साथ रखना।

घ. कब्जा पुलिस में ली जाने वाली वस्तुओं पर उक्त गवाहों के हस्ताक्षर करवाना। ड़. तलाशी के लिए स्थान में प्रवेश से पहले पुलिस अधिकारी उक्त गवाहों को अपनी तलाशी देगा तथा अच्छा होगा कि दोनों गवाहों की तलाशी स्थान मालिक को दे दी जाए।

च. अगर तलाशी के दौरान उस स्थान में कोई संदिग्ध व्यक्ति है, तो उसकी भी तलाशी ली जा सकती है।

छ. सिपाही, तलाशी के दौरान अपने स्थान को, जहाँ पर उसे लगाया गया है, नहीं छोड़ेगा।

ज. गृह स्वामी को तलाशी में साथ रखा जाएगा।

झ. बरामद सामान की सूची बनाई जाएगी, जिसकी तीन प्रतियाँ होंगी। एक प्रति मकान मालिक को निःशुल्क दी जाएगी।

ण. अगर तलाशी अन्य जिले में है, तो सामान की सूची सम्बन्धित एस.एच.ओ. व इलाका मजिस्ट्रेट को दी जायेगी और आई.ओ. तलाशी की मुख्य प्रति अपने पास रखेगा, जो मुकदमा की पत्रावली के साथ लगाई जाएगी।

ट. तलाशी के दौरान शिष्टता का ध्यान रखा जाएगा और औरतों की शालीनता को बरकरार रखा जाएगा।

ठ. कब्जा पुलिस में लिए गए सामान को सुरक्षित रखना व मालखाना में जमा कराया जायेगा।

ड. अगर कोई अपराधी है तो उसको गिरफ्तार करना, सिपाही का कर्त्तव्य है कि उसे अपनी हिरासत में ठीक से रखेगा तथा हथकड़ी का विधिक प्रयोग करेगा।

धारा 47 सी.आर.पी.सी. :– (1) यदि गिरफ्तारी के वारण्ट के अधीन कार्य करने वाले किसी व्यक्ति को या गिरफ्तारी करने के लिये प्राधिकृत किसी पुलिस अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि वह व्यक्ति, जिसे गिरफ्तार किया जाना है, किसी ऐसे स्थान में प्रविष्ट हुआ है, तो ऐसे स्थान में निवास करने वाला या उस स्थान का कोई भी भारसाधक व्यक्ति उस व्यक्ति द्वारा या ऐसे पुलिस अधिकारी द्वारा मांग की जाने पर उसमें उसे प्रवेश करने देगा और उसके अन्दर तलाशी लेने के लिये सब उचित सुविधा देगा।

(2) यदि ऐसे स्थान में प्रवेश उपधारा 1 नहीं सकता, तो किसी भी मामले में उस व्यक्ति के लिये, जो वारण्ट के अधीन कार्य करता है और किसी ऐसे मामल मे, जिसमें वारण्ट निकाला जा सकता है। किन्तु गिरफ्तार किये जाने वाले व्यक्ति को भाग जाने का अवसर प्रदान किये बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता है, तो पुलिस अधिकारी के लिये यह विधिपूर्ण होगा कि वह ऐसे स्थान में प्रवेश करे और वहाँ तलाशी ले तथा ऐसे स्थान में प्रवेश कर पाने के लिए किसी गृह या अन्य स्थान के किसी बाहरी और भीतरी द्वार या खिड़की को तोड़कर प्रवेश करे, परन्तु यदि कोई ऐसा स्थान ऐसा कमरा है, जो ऐसे स्त्री के वास्तविक अधिभोग में है, जो रूढ़ि के अनुसार लोगों के सामने नहीं आती है, तो ऐसा व्यक्ति या पुलिस अधिकारी उस कमरे में प्रवेश करने से पूर्व सूचना देगा तथा उस स्त्री को वहाँ से हट जाने के लिये उचित अवसर, सुविधा देगा।

कोई पुलिस अधिकारी किसी गृह या स्थान का बाहरी या भीतरी द्वार या खिड़की अपने को या किसी अन्य व्यक्ति को, जो गिरफ्तार करने के प्रयोजन से विधिपूर्वक प्रवेश करने के पश्चात् वहां निरूद्ध है, उसे मुक्त करने के लिये तोड़कर खोल सकता है।

धारा 165 सी.आर.पी.सी. :– पुलिस अधिकारी, जो एस. एच. ओ. या आई. ओ. के पास यह विश्वास करने का आधार है कि ऐसे किसी अपराध के अन्वेषण के प्रयोजन के लिये, जिसका अन्वेषण करने के लिए उसे अधिकार है, पुलिस थाने की सीमाओं के अन्दर किसी स्थान में पाई जाती है और उसकी राय में अनुचित विलम्ब के बिना तलाशी लेना आवश्यक हो और वारण्ट प्राप्त करने का न्यायालय दूरी पर हो तथा न्यायालय से वारण्ट प्राप्त करने में, जिन वस्तुओं की तलाशी ली जानी है, उनके खुर्दबुर्द होने की सम्भावना हो, तब ऐसा अधिकारी अपने विश्वास के आधारों को लेखबद्ध करेगा व तलाशी लेगा। एस०एच०ओ०

यदि इसके लिए किसी अन्य अधिकारी को प्राधिकृत करता है तो लिखित में होना चाहिए। तलाशी की फर्द की प्रति मजिस्ट्रेट के पास व एक प्रति मकान के भारसाधक को दी जायेगी।

धारा 166 सी.आर.पी.सी. :– (1) पुलिस थाने का एस.एच.ओ. या आई.ओ., जो उपनिरीक्षक के पद से कम न हो, दूसरे थाने के एस.एच.ओ. से, चाहे वह उस जिले में हो या दूसरे जिले में हो, किसी स्थान में ऐसे मामले में तलाशी लिवाने की अपेक्षा कर सकता है। (2) तब वह एसएच.ओ. धारा 165 के उपबन्ध के अनुसार तलाशी लिवा सकेगा। जो चीजें तलाशी में मिले, उसे उस अधिकारी के पास भेजेगा, जिसने तलाशी के लिये कहा था। (3) विशेष परिस्थितियों में, जब तलाशी के लिए अपेक्षा की जाने में विलम्ब हो तथा वांछित वस्तु तथा सम्पत्ति हटा देने से या उसे नष्ट कर देने की आशंका हो तो एस.एच.ओ. तथा आई. ओ., जो एस. आई. से निम्न श्रेणी का न हो, दूसरे थाने के क्षेत्र में तलाशी ले सकता है या तलाशी की सूचना एस०एच०ओ० को, जिसके क्षेत्र में तलाशी की है, भेजेगा और यदि संभव हो तो एक प्रतिलिपि भी भेजेगा और एक प्रति संबंधित मजिस्ट्रेट को भेजेगा। (5) उप धारा 4 के अधीन भेजी गई प्रति की नकल मकान के भारसाधक को आवेदन पर निःशुल्क दी जायेगी।

धारा 100 सी.आर.पी.सी. :–

(1) बन्द स्थान का भारसाधक व्यक्ति उस अधिकारी को, जो तलाशी वारण्ट का निष्पादन कर रहा है, प्रवेश करने व तलाशी के लिये उसे उचित सुविधा देगा।

(2) उक्त रीति से प्रवेश प्राप्त नहीं होने पर धारा 47 की उप चारा 2 में उपबंधित रीति से कार्यवाही कर सकेगा।

(3) ऐसे स्थान में या उसके आस–पास सन्देहास्पद व्यक्ति, जो ऐसी वस्तु छुपाये हुए है, जिसकी तलाशी ली जानी है, उस व्यक्ति की तलाशी ली जा सकती है, यदि वह स्त्री है, तो उसकी शिष्टता का पूर्ण ध्यान रखकर अन्य स्त्री द्वारा लिवाई जायेगी।

4. तलाशी के दौरान मोहल्ले के दो या अधिक स्थानीय स्वतन्त्र और प्रतिष्ठित व्यक्तियों को साक्षी के तौर पर बुलाया जाए और तलाशी उनकी उपस्थिति में ली जाए।

5. तलाशी के दौरान अभिगृहित की गई समस्त चीजों की सूची तैयार की जाये तथा साक्षियों के हस्ताक्षर करवायें जाए।

6. तलाशी के दौरान मकान के स्वामी को हाजिर रहने की अनुज्ञा दी जाये तथा साक्षियों द्वारा हस्ताक्षरित सूची की एक प्रति उस मकान के स्वामी को दी जाए।

7. तलाशी के दौरान किसी व्यक्ति के शरीर पर कोई वस्तु छिपाई हुई मिले तो कब्जे में ली जाकर सूची बनाई जाए व उसकी एक प्रति उस व्यक्ति को दी जाए।

8. कोई व्यक्ति, जो इस धारा के अधीन तलाशी में हाजिर रहने और साक्षी बनने के लिए ऐसे लिखित आदेश द्वारा, जो उसे परिदत्त या निवीदत्त किया गया है, बुलाये जाने पर ऐसा करने से उचित कारण के बिना इन्कार या उसमें उपेक्षा करेगा, उसके बारे में यह समझा जायेगा कि उसने भा.द.स. की धारा 187 के अधीन अपराध किया है।

तलाशी के दौरान ध्यान देने योग्य बातें :–

(i) दो निष्पक्ष गवाहों को रखना।

(ii) तलाशी से पहले अपनी तलाशी देना।

(iii) जहाँ तक सम्भव हो, गवाह स्थानीय हो।

(iv) गृह– स्वामी / रहने वाले को तलाशी का आधार बताना।

(v) यदि तलाशी वारण्ट से है, तो वारण्ट दिखाना।

(vi) यदि गृह स्वामी या किरायेदार या निवासी प्रवेश में रुकावट डाले, तो धारा 47(2) सी.आर.पी.सी. के अनुसार कार्यवाही करना।

(vii) तलाशी की पूर्ण प्रक्रिया में गृहस्वामी / गवाहों को साथ रखना।

(viii) मौके पर संदिग्ध व्यक्ति की तलाशी लेना। धारा (51 द.प्र.स.)

(ix) तलाशी में बरामद सामान की जब्ती (Seizure Memo) दो प्रतियों में बनाना।

(x) तैयारशुदा जब्ती की एक प्रति गृहस्वामी को निःशुल्क देना।

(xi) जब्ती गवाहों के सामने बनाना और उस पर हस्ताक्षर करवाना।

(xii) तलाशी में बरामद सामान को आवश्यकतानुसार सील करें।

(xii) बरामद सामान की सूची का विवरण दैनिक डायरी (रोजनामचा) में लिखा जाना चाहिए।

(xiv) तैयारशुदा जब्ती में कोई फेरबदल ना करें।

(xv) बरामद सामान को मालखाना में जमा करायें और मालखाना रजिस्टर (Case Property Register) में दर्ज करायें।

(xvi) तलाशी प्रक्रिया पूरी होने पर पूर्ण विवरण सहित पालना (Compliance) रिपोर्ट सम्बन्धित न्यायालय को भेजना।

(xvii) तलाशी निश्चित विधि अनुसार लेना।

(xviii) तलाशी में औरतों की शालीनता का पूरा ध्यान रखना और औरत की तलाशी औरत के द्वारा लिवाया जाना सुनिश्चित करें।

(xix) तलाशी की कार्यवाही में अधीनस्थ कर्मचारियों ने अपने अधिकारियों के दिशा निर्देशानुसार कार्य करना और वांछित वस्तु की ही तलाश करना।

फर्द तलाशी तैयार करना :–

प्रारूप फर्द खाना तलाशी

फर्द खाना तलाशी मकान श्री..... पुत्र श्री ..... जाति .....

उम्र ..... पेशा ..... निवासी .....

मुर्तिबा तारीख .....

समय .....

उपरोक्त मौतबिरान के रूबरू मन पुलिस उप निरीक्षक नाम ..... पुलिस थाना ..... जिला ..... मकान मालिक श्री ....को अपनी जामा तलाशी लिवाई जाकर मकान के मुख्य द्वार से प्रवेश हुआ। घर में घुसते ही बाँयी तरफ एक छोटा कमरा बना है। उसके सामने पहुंचा व महिलाओं की शिष्टता को ध्यान में रखते हुए उन्हें एक तरफ जाने की हिदायत की गई। तत्पश्चात् कमरे में प्रवेश कर तलाशी ली गई तो कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिली। तत्पश्चात् इसी कमरे के पास रसोईघर की तलाशी ली गई। इसके पश्चात् मेनगेट के सामने वाले कमरे की तलाशी ली गई तो कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिली। लॉबी व बाथरूम को भी चैक किया गया। सम्पूर्ण मकान की सावधानीपूर्वक तलाशी ली गई, परन्तु कोई भी आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिली। बाद खाना तलाशी के उपरोक्त मौतबिरान के रूबरू गृह स्वामी श्री .... को अपनी पुनः जामा तलाशी लिवाई गई। गृह स्वामी को एक फर्द खाना तलाशी की कार्बन प्रति पृथक् से दी जायेगी।

अतः फर्द खाना तलाशी मुर्तिब हुई, हाजरीन को पढ़कर सुनाई, सुन समझ सही होना मान कर हस्ताक्षर किये।

हस्ताक्षर गवाह(1) हस्ताक्षर गवाह(2)

हस्ताक्षर गृहस्वामी

हस्ताक्षर अनुसंधान अधिकारी

पुलिस थाना

जिला

फर्द जब्ती तैयार करना

प्रारूप फर्द बरामदगी

फर्द जब्ती आलाय कत्ल तलवार व कब्जा मुलजिम श्री ..... पुत्र श्री .....
..

जाति ..... उम्र ..... पेशा ..... निवासी .....
..

मुतालिक मुकदमा नम्बर ..... दिनांक .....

धारा ..... पुलिस थाना .....
.....मुर्तिबा तारीख ..... समय .....

उपरोक्त मौतबिराम के रूबरू माफिक इत्तला मुलजिम श्री ..... पुत्र श्री ..... जाति ..... उम्र ..... पेशा ..... निवासी .....
..ने आगे – आगे चलकर अपने घर के सामने बबूल की झाड़ियों के पास जमीन में एक गड्ढा खोदकर तलवार निकाल कर पेश की, जो मुकदमा हाजा मे आलाय कत्ल होने से कब्जा पुलिस में ली गई। हुलिया हस्ब जैल है – तलवार एक, लम्बाई 45 इन्च, जिसका म्यान पीतल का है, तलवार की मूठ पर पीतल का काम किया हुआ, मूठ की लम्बाई 4 इन्च है। म्यान से तलवार को निकाल कर देखा गया तो तलवार के फल पर खून के निशान दिखाई दे रहे हैं। तलवार के फल की लम्बाई 37.5 इंच है तथा फल की चौड़ाई 6 से.मी. है तथा आगे से नुकीला है। फल की धार बहुत तेज है। सावधानीपूर्वक फल को म्यान में बन्द कर एक सफेद कपड़े की थैली में डालकर सील्ड मोहर कर मार्क ''ई'' अंकित किया गया। नमूना सील फर्द पर अंकित की गई।

फर्द हाजा मुर्तिब कर हाजरीन को पढ़कर सुनाई, सुन समझ सही मान कर हस्ताक्षर किये।

हस्ताक्षर गवाह(1) हस्ताक्षर गवाह(2)

हस्ताक्षर अभियुक्त

हस्ताक्षर अनुसंधान अधिकारी

पुलिस थाना

जिला

प्रारूप फर्द जब्ती

फर्द जब्ती संदिग्ध वाहन मोटरसाईकिल बिना नम्बरी हीरो होण्डा स्पलैण्डर बरंग काला मुतालिक धारा 102 सी.आर.पी.सी.

पुलिस थाना .....

मुर्तिब दिनांक..... समय.....

रूबरू मौतबिरान :–

1. श्री ..... पुत्र श्री ..... जाति ..... उम्र ..... पेशा ..... निवासी .....

2. श्री ..... पुत्र श्री ..... जाति ..... उम्र ..... पेशा ..... निवासी .....

उपरोक्त मौतबिरान के रूबरू संदिग्ध वाहन मोटरसाईकिल बिना नम्बरी हीरो होण्डा स्पलैण्डर बरंग काला, चैसिस न. ..... इंजन न. ..... हैड लाईट टूटी हुई, गणेशजी की छाप लगी हुई, दाहिना आगे का इण्डीकेटर टूटा हुआ, बाँया पैडल टूटा हुआ है। जो स्थान ..... के बबूलों में पड़ी हुई है। आस – पास में कोई ताजा खोज या वाहनों के टायरों के निशान इत्यादि नहीं पाये गये। वाहन को खड़ा कर चालू करने के कोशिश की गई, परन्तु काफी दिनों से पड़ा रहने से मोटरसाईकिल चालू होने की स्थिति में नहीं है। आस – पास में पूछताछ की गई, परंतु संदिग्ध वाहन का कोई मालिक का पता नहीं चल सका है।

वाहन मोटर साईकिल संदिग्ध अवस्था में पाई जाने से हस्ब दफा 102 सी.आर.पी. सी. में जब्त की गई।

फर्द हाजा मुर्तिब कर हाजरीन को पढ़कर सुनाई, सुन समझ सही मान कर हस्ताक्षर किये।

हस्ताक्षर गवाह(1) हस्ताक्षर गवाह(2)

हस्ताक्षर अनुसंधान अधिकारी

पुलिस थाना

जिला

दबिश / रेड ऑपरेशन का व्यावहारिक प्रशिक्षण

1. परिभाषा :–

1. **रेड** :– अपने जवानों द्वारा हॉस्टाईल्स के छिपने के स्थान या कैम्प पर बिजली की तेजी और फुर्ती से किया गया ऐसा हमला है, जिसका उद्देश्य उनको पकड़ना या मारना तथा उनके आर्म्स या एम्युनेशन के डम्प को बर्बाद करना है। यह इलाके की सर्च तथा फोलो–अप एक्शन के साथ खत्म होता है।

2. **हाईड आऊट** :– हाईड आऊट सुरक्षा बलों की पहुँच से बाहर एक ऐसी छुपाव वाली जगह होती है, जहां पर होस्टाईल अपने आप को आराम, रीफिट (Refit), रिऑर्गेनाइज तथा ट्रेनिंग करते हैं और सुरक्षा बलों के बारे में ताजा खबरें हासिल करके अपने ऑपरेशन को प्लान करते हैं या आर्म्स/एम्युनेशन/इक्युपमेंट को डम्प करते हैं।

2. हाईड आऊट की किस्में :–

(i) Training Camp

(a) स्थाई (Permanent)

(b) अस्थाई (Temporary)

(ii) Transit/Rest/ Launching Camp

(iii) हार्बर (Harbour)

3. Hide Out की विशेषताएं :–

(i) सुरक्षा बलों (Security Force) की पहुँच से बाहर

(ii) मुख्य सड़कों व रास्तों से दूर

(iii) घनी आबादी वाले इलाके / गाँवों के नजदीक।

Semi Urban Area में, जहां जंगल और पहाड़ी इलाका कम होता है, वहां हॉस्टाईल आमतौर पर अपने हाईड आऊट गाँव या ऐसी जगह पर बनाते हैं, जहां उनके मिलने की उम्मीद कम हो, जैसे फार्म हाऊस या गाँव में कोई छुपाव में जगह।

(iv) Concealed position : Hide Out को जंगल, पहाड़ी या दरियाई इलाके में ऐसी छुपाव वाली जगह में बनाया जाता है, जहां पर सुरक्षा बलों द्वारा इलाके की सर्च के दौरान हवाई खोजबीन (Detection) के दौरान उनका मिलना असम्भव हो।

(v) भागने के रास्ते (Escape Routes): प्रत्येक हाईड आऊट से भागने के रास्ते पहले से ही अंकित किये गये होते हैं, जो ज्यादातर क्रास या नदी – नालों के दामन में चुने जाते हैं।

(vi) Tactically Sighted नहीं होते हैं।

4. सुरक्षा बलों द्वारा जंगलों में हाईड आऊट को तलाश करते समय पेश आने वाली दिक्कतें :

नार्थ ईस्ट, पंजाब, श्रीलंका, जम्मू और कश्मीर में रेड जैसे ऑपरेशन हॉस्टाईल के खिलाफ करते रहने से सुरक्षा बलों को अलग–अलग स्थितियों में अलग–अलग टैरेन में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जिसमें कुछ इस प्रकार हैं –

(i) पहचान वाले लैंडमार्क का न होना या कम होना

(ii) दिशा को मैन्टेन करने में दिक्कत

(iii) जंगली इलाके में कम विजीबिलिटी

(iv) पहाड़ी व दरयाई इलाकों में सड़क का व रास्तों का कम होना

(v) छुपे हुए हॉस्टाईल का डर होना

(vi) सही खबर और इन्टैलीजेन्स की कमी

(vii) जनता से सहायता का अभाव

(viii) हाईड आऊट को जंगल में पिन प्वाईंट करना मुश्किल

(ix) कम्यूनिकेशन में मुश्किल

(x) कमांड एवं कन्ट्रोल मुश्किल

(xi) स्टोप्स को लगाने में दिक्कतें

(xii) भागने के रास्ते ज्यादा तादाद में होना

(xiii) ट्रुप्स की थकावट

5. हॉस्टाईल हाईड आऊट के बारे में खबरें हासिल करने के जरिये :

(i) लोकल या एजेंट्स/सोर्स

(ii) आत्मसमर्पित हॉस्टाईल

(iii) हॉस्टाईल्स द्वारा सताये हुए लोग

(iv) मजदूर या कुली या उनके परिवार के सदस्य, जिन्हें हॉस्टाईल ने इस्तेमाल किया

हो

(v) पकड़े गये दस्तावेज

(vi) सहायक इंटेलीजेन्स संस्थाओं की खबरें

(vii) हॉस्टाईल द्वारा छोड़ गए सबूत

6. हॉस्टाईल हाईड आऊट में रूटीन :– हॉस्टाईल के हाईड आऊट में कोई भी निश्चित रूटीन नहीं होता है। तजुर्बे के आधार पर यह पाया गया है कि हॉस्टाईल के अलग–अलग ग्रुप निम्न प्रकार के सिस्टम या रूटीन को अपनाते है :–

(i) अक्सर वे खाना सुबह जल्दी ले लेते हैं।

(ii) खाना बनाने का समय निर्धारित होता है।

(iii) सुबह की पहली किरण के साथ हाईड आऊट को छोड़ दिया जाता है।

(iv) रात होने के बाद हाईड आऊट में शरण ले ली जाती है।

(v) सन्तरियों को हाईड आऊट के चारों और लगाया जाता है।

(vi) हाईड आउट में ऑपरेशन प्लान करने के लिए मीटिंग बुलाई जाती है।

7. हाईड आउट का बदलना :– हॉस्टाईल निम्नलिखित स्थितियों में अपने हाईड आउट को बदलते है :–

(i) जब सुरक्षा बल आसपास में ऑपरेशन कर रहे हो।

(ii) जब सुरक्षा बलों द्वारा हाईड आउट की पहचान कर ली गई हो।

(iii) जब हॉस्टाईल का कोई सदस्य पकड़ा गया हो।

(iv) समय–समय पर (एक स्थान पर लम्बे समय तक न रहना)

(v) जब कभी हाईड आउट का कोई सदस्य अपने परिवार से मिलने बाहर जाता है।

8. दबिश/रेड के उसूल :–

(i) **सरप्राइज (Surprise)** : अन्त तक कायम रखना चाहिए।

(ii) **सिक्युरिटी (Secuirty)** : लोकल जनता से अपनी ट्रुप्स की मूवमेंट प्लान तथा तैयारियां छुपी रहनी चाहिये क्योंकि हॉस्टाईल सुरक्षा बलों की खबरों के लिए जनता पर ही पूरी तरह निर्भर रहते हैं। Movement के दौरान सिक्यूरिटी Conventional raid की तरह होनी चाहिए।

(iii) **स्पीड (Speed)** : एक बार जब सरप्राइज खो दिया जाता है या रेडिंग पार्टी का हाईड आउट के हॉस्टाइल के साथ लगाव हो जाता है तो ट्रुप्स को पूरी तेजी के साथ कार्यवाही कर देनी चाहिए।

(iv) **शॉक एक्शन (Shock Action)** : शॉक एक्शन चलते–चलते फायर करने, ग्रेनेड का इस्तेमाल करने तथा तेजी के साथ हाईड आऊट के ऊपर असाल्ट करने से हासिल होता है।

(v) **तलाशी (Search)** : रेड के ऑपरेशन प्लान करने के दौरान सर्च के लिए अच्छा खासा समय रखना चाहिये। हाईड आऊट के अन्दर तथा बाहर, चारों ओर के इलाके और एस्केप के रूट का अच्छे तरीके से सर्च करना चाहिये ताकि कोई छुपा हॉस्टाईल या छुपाये हुए आर्म्स/एम्यूनेशन और इक्विपमेंट मिल सकें।

(vi) **Pursuit (पीछा करना)** : छोटे दर्जे के ऑपरेशन में Pursuit भी एक विशेष महत्व रखता है। Pursuit Group को पहले से ही नामित कर देना चाहिए, जो कि भागते हुए हॉस्टाईल को पूरी तरह से बर्बाद करने या पकड़ने का जिम्मेदार होता है।

9. **दबिश / रेड की प्लानिंग व कन्डक्ट** :– रेड करने वाले ग्रुप को जहां तक सम्भव हो सके, डिटेल के साथ सैंड मॉडल पर ब्रीफ करना चाहिये। रेड को दिए हुए टास्क रेड के निम्न ग्रुप्स पर आधारित होते हैं :–

(अ) रेड ग्रुप

(ब) परसूट ग्रुप

(स) स्टॉप ग्रुप

(अ) रेड ग्रुप :– यह ग्रुप असल में हाईड आउट के ऊपर रेड करता है। इस ग्रुप की नफरी हाईड आउट की बनावट व साईज पर निर्भर करती है। इसके अलावा रेड ग्रुप की नफरी निम्न हालातों पर भी निर्भर करती है –

(i) Surprise हासिल करना, हॉस्टाईल के भागने की संभावना को कम करना।

(ii) जब हॉस्टाईल के हाईड आउट की पिन प्वाईंट जानकारी न हो।

(iii) जब ग्राउण्ड पूरे ग्रुप को डिप्लॉय करने की अनुमति न देता हो।

(iv) अगर रेड के दौरान अपने टूप्स द्वारा आपस में ही एक दूसरे पर फायर करने के खतरे पैदा होते हों।

(v) इस ग्रुप के पास हल्के हथियार व हल्के इक्विपमेंट होते हैं। रेड को अगर हाई ग्राउण्ड से लो ग्राउण्ड की तरफ किया जाए तो अत्यधिक फायदा मिलेगा।

(vi) रेड ग्रुप को निम्न टीमों में बाँटा जाता है –

- ❖ सन्तरी साईलेंसिंग टीम (Sentry Silencing Team)
- ❖ रेडिंग टीम (Raiding Team)
- ❖ सर्च टीम (Search Team)
- ❖ इन्टेरोगेशन टीम (Interogation Team)
- ❖ कैदी हैन्डलिंग टीम या गार्ड पार्टी (Prisoner's Escort Team)

(ब) परसूट ग्रुप :– यह ग्रुप उन खासतौर पर चुने गये कार्मिकों का बनाया जाता है, जिनके पास हल्का इक्युपमेंट या हथियार होता है और जो हाईड आऊट से भागते हॉस्टाईल का पीछा करने में सक्षम हों। ऑपरेशन के शुरूआती दौर में परसूट ग्रुप रिजर्व के तौर पर काम करता है और ट्रेकर कुत्ते अगर उपलब्ध हों तो उन्हें इस ग्रुप के साथ रखना चाहिए। कई बार इस ग्रुप को दो या दो से ज्यादा भागों में बाँट दिया जाता है ताकि अलग–अलग दिशाओं में भागते हॉस्टाईल का पीछा किया जा सके।

(स) स्टॉप ग्रुप :– स्टॉप्स को हमेशा जोड़ी – जोड़ी में लगाना चाहिये और उन्हें नदी – नालों के मुहानों, पहाड़ी की तलहटी या सम्भावित एस्केप रूट्स पर लगाना चाहिये। स्टॉप्स को हाईड आउट के नजदीक वहां तक ले जाना चाहिये, जहां तक सरप्राईज बरकरार रह सकता हो।

10. रेड करने से पहले ध्यान में रखने वाली जरूरी बातें :–

(i) हॉस्टाईल तथा हाईड आऊट के बारे में डिटेल में खबर

(ii) टुप्स की डिटेल में ब्रीफिंग

(iii) गाईड और उसकी हिफाजत का सही इस्तेमाल व बन्दोबस्त

(iv) अलग – अलग पार्टियों में कम्युनिकेशन

(v) नेविगेशन चार्ट का बनाना के कॉल साईन निर्धारित करना

(vi) ट्रुप्स की मूवमेंट को मौजूदा रास्तों से हटाकर करना

(vii) रेड पर जाते समय गाँव आदि से न गुजरें। अगर ऐसा न हो पाये तो गाँव से मूवमेंट इस प्रकार करें कि कोई शक न कर सके।

11. रेड के दौरान ध्यान में रखे जाने वाली बातें :–

(i) हो सके तो हाईड आऊट को हाई ग्राउण्ड से लो ग्राउण्ड की ओर अप्रोच करें।

(ii) सभी रास्तों, उनके लिंक्स व नालों के मुहानों या फैरी प्वाइंट पर स्टॉप्स को लगाया जाये।

(iii) रेड करने के समय को हमेशा बदला जाये ताकि सरप्राइज बना रहे।

(iv) अगर दिशा मालूम न हो तो हॉस्टाईल का पीछा न किया जाये।

(v) हाईड आऊट से कॉन्टेक्ट होने के उपरान्त रेड करने वाली पार्टी आक्रमण करने के साथ कार्यवाही करें।

(vi) रेड को उस समय किया जाये, जिस समय हॉस्टाईल के सावधान रहने की सम्भावना हो, अतः सभी प्रकार की बातों को ध्यान में रखकर ही रेड के समय का चुनाव किया जाये।

संक्षेप :– रेड एक तेजी से की गई कार्यवाही है जो कि हॉस्टाईल के हाईड आऊट पर उसके बारे में मिली पुख्ता खबर के आधार पर अमल में लाई जाती है। एक बार हाईड आऊट को लोकेट कर लिया जाता है तो रेड करने वाले ग्रुप को तेजी से कार्यवाही करके हॉस्टाईल को मारना या पकड़ना होता है।

रेड की प्लानिंग, तैयारी तथा कार्यरूप देने के दौरान हमेशा यह उद्देश्य ध्यान में रखना चाहिए कि पूरी कार्यवाही शुरू से लेकर अन्त तक गुप्त रहे। रेड के दौरान परसूट की कार्यवाही और रेड के इलाके की खोज, तत्परता और बारीकी के साथ होनी चाहिये।

रेड की सफलता जूनियर लीडरशिप की पहल और कुशल नेतृत्व तथा ट्रुप्स के प्रशिक्षण व मोटिवेशन पर निर्भर करता है।

घेराबन्दी एवं तलाशी का व्यावहारिक प्रशिक्षण

(CORDON AND SEARCH)

1. परिभाषा :– इस अभियान का उद्देश्य किसी इलाके की तलाशी एवं उनमें छिपे हुए संदिग्ध व्यक्तियों को घेरना है। तलाशी के निम्नलिखित उद्देश्य हैं –

i. संदिग्ध व्यक्तियों का पता लगाना, पकड़ना या उन्हें मारना।

ii. हथियार, गोला बारूद एवं दस्तावेजों को बरामद करना एवं कब्जे में लेना।

iii. संदिग्ध व्यक्तियों एवं उनसे हमदर्दी रखने वाले ग्रामवासियों के दिलों में डर पैदा करना।

iv. गैरकानूनी कार्य, जैसे हथियारों एवं गोला – बारूद बनाने तथा नकली नोटों एवं अश्लील साहित्य को छापने वाले लोगों का पर्दाफाश कर उन्हें पकड़ना या मारना।

अभियान का उद्देश्य सुरक्षा बलों को बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए क्योंकि यह अभियान

के नतीज असर डाल सकता है।

यदि उद्देश्य ग्रामवासियों की शिनाख्त करना है तो ऐसे में गाँव का घेराव रात में ही लग जाना चाहिए तथा ग्रामवासियों की शिनाख्त उजाला हो जाने पर करनी चाहिए क्योंकि ग्रामवासी ज्यादातर दिन के समय में अपने खेतों में या फिर धंधों के लिए बाहर चले जाते हैं और शाम को लौटते हैं इसलिए गाँव का घेराव यदि दिन में किया जाए तो ज्यादातर ग्रामवासी गांव में मिलेंगे ही नहीं।

2. संदिग्ध व्यक्तियों के काम करने की तरतीब (Modus operandi of Hostiles) :–

(क) गाँवों में आने का उद्देश्य :– संदिग्ध व्यक्ति आमतौर पर अपने कैम्प या हाईड आऊट, जो दूर जंगलों या ऊँची पहाड़ियों या अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं के दूसरी तरफ बने होते हैं, से अपनी कार्यवाही करते हैं। संदिग्ध व्यक्ति ग्रामवासियों या स्थानीय जनता की मदद के बिना अपनी कार्यवाही नहीं कर सकते इसलिए वे गाँवों में खाने की तलाश तथा रहने की जगह ढूढ़ते है तथा सुरक्षा बलों के बारे में खबरें हासिल करने, पैसा लेने अथवा भ्रांतियां (अफवाहें) फैलाने के इरादे से आते हैं।

(ख) संदिग्ध व्यक्तियों के द्वारा अपनाये जाने वाले तरीके :– जब भी संदिग्ध व्यक्ति गांव में आते हैं तो वे ऐसे तौर – तरीके अपनाते हैं, जिसमें उन्हें पकड़े जाने का खतरा न हो व उनका टास्क भी आसानी से पूरा हो जाए। संदिग्ध व्यक्तियों के लगभग हर गाँव में मददगार होते हैं, जो कि खाना, रहने के लिए जगह तथा सुरक्षा बलों के बारे में तथा उनकी गतिविधियों के बारे में खबरें देते है।

संदिग्ध व्यक्तियों द्वारा अपनाये जाने वाले कुछ तरीके इस प्रकार हैं :–

i. वे ऐसे गाँव में नहीं जाते, जहाँ उनके मददगार न हों।

ii. वे गाँव में खुलेआम हथियार लेकर नहीं घूमते, न ही वे वर्दी पहनते हैं।

iii. संदिग्ध व्यक्ति ज्यादातर रात के अंधेरे में गाँव में आते हैं व उजाला होते ही गाँव छोड़ कर चले जाते हैं। उनका मकसद गाँव में कम से कम समय गुजारने का होता है।

iv. जब संदिग्ध व्यक्ति को पकड़े जाने का खतरा होता है, तो वे सुरक्षा बलों को गुमराह करने के उद्देश्य से हवा में कुछ राउण्ड फायर कर बच कर भागने की

कोशिश करते है। यदि इसमें कामयाब नहीं होते तो वे स्थानीय जनता के साथ मिल जाते हैं या फिर गाँव के नजदीक किसी जगह छुप जाते है।

v. वे अक्सर गाँव वालों को संतरी के रूप में उपयोग करते है, जो कि सुरक्षा बलों की गतिविधियों एवं उनके आने की खबर तुरंत संदिग्ध व्यक्तियों को देते हैं।

vi संदिग्ध व्यक्ति गाँव में अक्सर ऐसे मकानों में रहना पसंद करते हैं, जो या तो खाली पड़े हों और गाँव के बाहरी इलाकों में बने हुए हों ताकि सुरक्षा बलों के आने की सूचना मिलने पर वे आसानी से भाग सकें। वे ऐसे मकान भी ढूढ़ते हैं, जिनके चारों तरफ पेड़, झाडियां तथा ऊँची उगी हुई खेती हो, जो उन्हें भागने में सहायता करे।

vii. यदि वे फिर भी सुरक्षा बलों के घेरे में फंस जाते हैं, तो वे कॉर्डन में खाली जगह देख भागने की कोशिश करते हैं। असफल होने पर वे सुरक्षा बलों का मुकाबला कर सकते हैं।

3. सुरक्षा बलों के लिए ध्यान में रखने वाली बातें :–

i. ऐसे अभियान पक्की सूचना मिलने के बाद ही करने चाहिए, ताकि अभियान में सफलता मिले और ग्रामवासियों को भी बेवजह परेशानी न हो।

ii. घेराव को हिस्सों में लगाना चाहिए, जैसे कि बाहरी कॉर्डन तथा अंदर का कॉर्डन ताकि भागने के सभी रास्तों को तलाशी से पहले बंद किया जा सके। कॉर्डन लगाते समय रास्ते बड़ी सावधानीपूर्वक चुनने चाहिए ताकि सरप्राइज बरकरार रखा जा सके।

iii. कॉर्डन को लगाते समय किसी भी आदमी को गाँव के अंदर या गाँव से बाहर नहीं निकलने देना चाहिये। यदि कोई आदमी कॉर्डन लगाते समय ऐसी कोशिश करता है तो उसे वहीं पकड़ कर पूछताछ करनी चाहिये।

iv. तलाशी के लिये गाँव में घुसने से पहले सर्व पार्टी को लॉचिंग बेस गाँव बाहर बना लेना चाहिये और वही से तलाशी के लिए तरतीबवार बढ़ना चाहिये।

v. मकानों की तलाशी मकान मालिक तथा पुलिस की उपस्थिति में होनी चाहिये, इसके अलावा गांव का मुखिया तथा महिलाकर्मी या पंचायत की महिला सदस्य साथ में होनी चाहिये।

vi. बिल्ट अप एरिया की तलाशी बहुत ही सावधानी तथा तरतीबवार करनी चाहिये, इसमें जल्दी नहीं करनी चाहिये। सर्पोट ग्रुप तलाशी वाले स्थान को कॉर्डन करेगा या सर्पोट देगा तथा दूसरा ग्रुप मकान की तलाशी लेगा।

vii. जूनियर लीडर्स, सेक्शन कंमाडर तथा प्लाटून कमांडरों का अपने ट्रूप्स को विस्तारपूर्वक ब्रीफ करना बहुत जरूरी है ताकि वे उत्पन्न होने वाले हालातों से

निपट सके। उन्हें यह भी मालूम हो कि उन्हें भागते हुये संदिग्ध व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्यवाही करनी है।

viii. अभियान में जाने से पहले यह यकीन कर लेना चाहिये कि सभी ट्रूप्स ने बुलेटप्रूफ जैकेट पर्याप्त मात्रा में ले लिये है। यदि नहीं लिए हैं तो पहले सर्च पार्टी को जैकेट दिये जायें और शेष कॉडर्न पार्टी को दिये जायें।

ix. अभियान में जाने से पहले पर्याप्त मात्रा में ग्रेनेड, स्टन ग्रेनेड, स्मोक कंटेनर तथा अश्रु गैस सैल भी साथ लेने चाहिये।

x. सर्च करने से पहले संदिग्ध व्यक्तियों द्वारा लगाई गई माईन्स एवं बूबीट्रेप्स के खिलाफ सावधान रहना चाहिये।

4. योजना तैयारी एवं कार्यवाही :– अच्छी तथा विस्तारपूर्वक योजना, विस्तारपूर्वक तैयारी, पक्की खबर तथा गोपनीय कार्यवाही इस ऑपरेशन की सफलता के लिये बहुत जरूरी है। ऑपरेशन की सफलता के लिये यह जरूरी है कि हिस्सा लेन वाले ट्रूप्स की संख्या को बहुत ही सावधानी से चुना जाये तथा उनकी रिहंसल करवाई जाये। गलत दिशा में की गई पहल तथा असलियत के खिलाफ कार्यवाही करने से सुरक्षा बलों को बेवजह नुकसान उठाना पड़ सकता है।

(क) संदिग्ध व्यक्तियों के बारे में खबरें हासिल करना :– कॉर्डन एवं सर्च ऑपरेशन शुरू करने से पहले विस्तृत एवं सही खबरें हासिल कर लेना जरूरी है। यदि देशद्रोहियों की पिछले कुछ समय की गतिविधियों को ध्यानपूर्वक पढ़ा जाये तो उससे उनके काम करने के तौर – तरीकों के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है। इसे ध्यान में रखते हुये दूसरे सुरक्षा बलों से खबरें हासिल की जा सकती है तथा विभिन्न गाँवों में पेट्रोल पार्टी भेज कर भी सूचना हासिल की जा सकती है। संदिग्ध व्यक्तियों के बारें में निम्नलिखित खबरें ऑपरेशन के दौरान काफी फायदेमंद रह सकती हैं –

1. संदिग्ध व्यक्तियों की संख्या तथा उनकी पहचान
2. संदिग्ध व्यक्तियों के छिपने की जगह तथा समय
3. संदिग्ध व्यक्तियों का ऑपरेशन एरिया एवं हाईड आउट
4. संदिग्ध व्यक्तियों के लड़ने की क्षमता
5. संदिग्ध व्यक्तियों की सुरक्षा तथा इन्टैलीजेन्स व्यवस्था
6. संदिग्ध व्यक्तियों के बचाव या भागने के रास्ते

(ख) गाँव के बारे में जानकरी :–

1. गाँव कितना बड़ा है तथा उसकी बसावट
2. घरों की संख्या
3. गाँव को प्रभावित करने वाले स्थान तथा गाँव के आसपास प्राकृतिक अथवा बनावटी रुकावटें
4. गांव में आने व जाने के छोटे–बड़े रास्ते
5. गांव के आसपास का इलाका योजना बनाने तथा ऑपरेशन करने के लिये उपलब्ध होना चाहिये।

(ग) आबादी के बारे में जानकारी :–

1. गाँव की अच्छी सर्च करने के लिये जरूरी है कि उसमें रहने वाले लोगों के प्रत्येक घर की
   सूची हो।
2. गाँव में रहने वाले संदिग्ध व्यक्तियों, उनके मददगार एवं सरकारी व्यक्तियों के बारे में जानकारी
3. ग्रामवासियों की भाषा, रहने का ढंग एवं उनकी आर्थिक स्थिति
4. ग्रामवासियों का अपनी सरकार तथा सुरक्षा बलों के प्रति व्यवहार
5. गांव के महत्वपूर्ण व्यक्तियों जैसे मुखिया, सरकार के उच्च अधिकारी या धार्मिक गुरु इत्यादि।

5. ऑर्गनाईजेशन :– आमतौर पर कॉर्डन एवं सर्च ऑपरेशन करने वाले ट्रूप्स को निम्न पार्टियों में बाँटा जाता है –

1. **कॉर्डन पार्टी** :– इस पार्टी का काम गाँव को चारों तरफ से घेर कर संदिग्ध व्यक्तियों के भागने के रास्तों को बंद करना है। ऑपरेशन में शामिल ट्रूप्स की संख्या का एक बड़ा भाग इस पार्टी में होता है। यदि गाँव काफी बड़ा तथा फैला हुआ है तो संदिग्ध व्यक्तियों के भागने के रास्तों पर स्टॉप्स लगाये जा सकते हैं।

2. **सर्च पार्टी** :– कॉर्डन लगने के बाद यह जरूरी है कि गाँव की तरतीबवार व विस्तारपूर्वक तलाशी की जाये। यह काम सर्च पार्टी द्वारा किया जाता है। सर्च पार्टी को दो भाग सर्च एवं सपोर्ट ग्रुप में बांट दिया जाता है। एक ऑपरेशन में एक या एक से अधिक सर्च पार्टी भी हो सकती है। यदि एक से अधिक सर्च पार्टी हो तो उनमें गाँव के इलाके को बांट दिया जाये और हर सर्च पार्टी अपनी दी हुई जिम्मेदारी के इलाके में तलाशी करे। एक सर्च पार्टी की नफरी यदि एक सेक्शन की हो तो वो अपना काम बखूबी पूरा कर सकती है।

3. **रिजर्व पार्टी** :– रिजर्व पार्टी को ऑपेरेशन के दौरान मौके के अनुसार कोई भी काम दिया जा सकता है। रिजर्व पार्टी को निम्नलिखित काम दिये जा सकते है –

   1. कर्फ्यु लगाना
   2. ऑपेरशन के दौरान गाँव पर निगरानी रखना
   3. भागते हुये संदिग्धों को पकड़ना
   4. संदिग्धों के भागने वाले रास्तों पर नजर रखना, इत्यादि।

4. **इंटेरोगेशन एवं आईडेंटीफिकेशन टीम** :– इस पार्टी का इंचार्ज एक अधिकारी या अधीनस्थ अधिकारी होता है तथा उसके साथ स्थानीय भाषा जानने वाला आदमी, एक संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान करने वाला व्यक्ति तथा गाँव का मुखिया भी हो सकता है। इनका काम ग्रामवासियों की शिनाख्त के दौरान पकड़े गये संदिग्ध लोगों से पूछताछ कर खबरें हासिल करना है।

5. **सिविक एक्शन टीम (Civic Action Team)** :– कॉर्डन एण्ड सर्च ऑपरेशन के दौरान ग्रामवासियों को तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए यह जरूरी हो जाता है कि ऑपरेशन के दौरान सिविक एक्शन किया जाए ताकि ग्रामवासियों की परेशानी को कम किया जा सके। ऑपरेशन के दौरान ग्रामवासियों को मुफ्त में चिकित्सा एवं दवाईयों का बांटना, बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए चाय इत्यादि का इंतजाम तथा बच्चों को कॉपी, पेंसिल, टॉफी बांटकर उनको विश्वास में लिया जा सकता है।

6. प्रिजनर्स एस्कॉर्ट पार्टी (Prisioners escort Party) :– इस पार्टी का काम ऑपरेशन के दौरान पकड़े गए संदिग्ध व्यक्तियों पर गार्ड लगाना है ताकि वे बच कर भाग न सके। पकड़े हुए संदिग्ध व्यक्तियों को आपस में बातचीत न करने दी जाएं व उनको अलग–अलग दिशा में मुँह कर बिठाया जाए।

7. सर्च का समय (Time of search) :– सर्च का समय ऑपरेशन के उद्देश्य पर निर्भर करता है। समय का चुनाव इस प्रकार किया जाए कि अधिकतम सरप्राईज हासिल हो सके। समय का चुनाव सुरक्षा बल पोस्ट से गाँव की दूरी तथा आपरेशन के लिए समय की जरूरत पर निर्भर करता है। आमतौर पर कॉर्डन रात के अंधेरे में तथा सर्च फर्स्ट लाईट (First Light) होने पर शुरू की है।

8. ब्रीफिंग :– ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले ट्रूप्स की अच्छी ब्रीफिंग होनी चाहिए तथा प्रत्येक व्यक्ति को मालूम होना चाहिए कि उसका काम या ड्यूटी क्या है।

9. तैयारी (Prepration) :– ऑपरेशन की सभी तैयारियां बिल्कुल गुप्त होनी चाहिए ताकि संदिग्ध व्यक्तियों को इस बारे में कोई भनक न लगे। ऑपरेशन में ट्रुप्स के साथ गाइड एवं हर प्वाइंट को बहुत बारीकी से देखा जाए ताकि ऑपरेशन के दौरान किसी प्रकार की रुकावट पैदा न हो।

10. कानून संबंधी ध्यान में रखने वाली बातें :– कॉर्डन एण्ड सर्च ऑपरेशन सुरक्षा एवं सशस्त्र बलों द्वारा किया जाने वाला ऑपरेशन है। इस ऑपरेशन में पुलिस की मदद ली जाए और हर ऑपरेशन में एक या अधिक पुलिस कर्मचारियों को साथ में रखा जाए। सुरक्षा बलों को आमतौर पर किसी मकान को बिना विधिक आदेश सर्च करने का अधिकार नहीं है, जब तक कि उस क्षेत्र में कोई स्पेशल कानून इस उद्देश्य से न बना हो। सुरक्षा बलों को कानून के दायरे के बाहर कोई कार्यवाही नहीं करनी चाहिए।

ग्रामवासियों की मानसिकता को ध्यान में रखते हुए जरूरी बातें :– कॉर्डन एण्ड सर्च ऑपरेशन के दौरान उद्देश्य जनता के दिल एवं दिमाग को जीतना है, अतः हमें वह कदम उठाना चाहिए जिससे कि सिविल जनता की ऑपरेशन के दौरान तकलीफों को कम किया जा सके। यह निम्न प्रकार से किया जा सकता है –

i. पक्की खबर मिलने पर ही कॉर्डन एवं सर्च ऑपरेशन किया जाए। बेवजह किये गये ऑपरेशन से एक तो सुरक्षा बलों द्वारा की गई कार्यवाही बेकार होती है, दूसरा ग्रामवासियों को बेवजह परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यदि सुरक्षा बलों

को संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़ने में सफलता मिलती है तो सिविल जनता भी सुरक्षा बलों का समर्थन करती है।

ii. औरतों एवं बच्चों की शिनाख्त पहले की जाए ताकि वे अपने घर का काम – काज देख सके।

iii. यदि कुछ व्यक्तियों को पकड़ा जाता है तो उनके खाने – पीने का बंदोबस्त करना चाहिए।

iv. ट्रुप्स का ग्रामवासियों के साथ अच्छा व्यवहार होना चाहिए।

v. गाँव के बुजुर्गों एवं औरतों का सम्मान करना चाहिए।

vi. ऑपरेशन के दौरान सिविक एक्शन जरूर करने चाहिए।

11. कॉर्डन एवं सर्च का तरीका :–

(क) **गाँव को एप्रोच करना (Approaching the village)** – इसमें निम्न बातों का ध्यान रखा

जाये

i. क्रास कंट्री मूव किया जाए एवं रात को किया जाए।

ii. यदि रास्ते में कोई सिविलियन मिलता है तो उसे छोड़ा न जाए।

iii. मूव के दौरान सीखी हुई ड्रिल का इस्तेमाल किया जाये।

(ख) गाँव का घेराव (Cordoning the Village) – गाँव से निश्चित दूरी पर रिलीज पाइंट का चुनाव करना चाहिए। रिलीज प्वाइंट तक ट्रुप्स गाडियों में आ सकते हैं तथा भारी सामान को वहां छोड़ा जा सकता है। कॉर्डन पार्टी को क्रास कंट्री (Cross Country) हरकत करनी चाहिए ताकि बचाव के सारे बंद हो जाए। शुरू में कॉर्डन को गाँव से दूरी पर लगाया जाए तथा फिर निश्चित किए गए समय में गाँव के नजदीक कर दिया जाए। जिस जगह पर कोर्डन लगना संभव न हो, वहाँ पर स्टॉप्स लगाए जायें। संदिग्ध व्यक्तियों के भागने के रास्तों पर स्टॉप्स के रूप में एम्बुश लगाना चाहिए।

(ग) तलाशी की तरीका (Search Technique) :– जब गाँव का घेराव हो जाता है, तो पूरे गांव की विस्तार से तलाशी लेनी चाहिए। संदिग्ध मकानों की, यदि हो सके, पहले तलाशी ली जाए। तलाशी ऊपर से नीचे को ली जाएं।

12. संक्षेप (Conclusion) :– कॉर्डन एण्ड सर्च आपरेशन काउण्टर इमरजैन्सी की लड़ाई का एक बहुत महत्त्वपूर्ण ऑपरेशन है। यदि पक्की खबर एवं विस्तारपूर्वक योजना के बाद ऑपरेशन किया जाए तो इसमें सफलता अवश्य ही मिलेगी।

जरूर करें

(क) गांवों, कस्बों, गलियों की बनावट, जमीनी बनावट तथा उसकी विस्तृत सूचना एकत्र करें। (ख) सरप्राइज के लिए कार्यवाही (Movement) अलग–अलग रास्तों से करें।
(ग) घेराबन्दी रात के समय में उजाला होने से पूर्व तथा तलाशी दिन के समय करें।

(घ) घेराबन्दी पूरी होने तक उच्च स्तर का सरप्राइज बनाये रखें।
(ड़) घेरा लगाते समय समन्वय (Cordination) के लिए एक मोबाइल पेट्रोल की नियुक्ति करें, जो कॉर्डन पार्टी से सम्पर्क बनाये रख सके।
(च) गति व सरप्राइज बनाये रखने के लिए, कॉर्डन पार्टी के विभिन्न ग्रुपों के लिए अलग – अलग रास्ते चुनें।
(छ) बेहतर संचार प्रदान करें, परन्तु कम से कम प्रसारण सुनिश्चित करें।
(ज) तलाशी वाले इलाके को अलग रखने हेतु टेलीफोन एक्सचेंज तथा टेलिफोन जंक्शन बॉक्स को डिसकनेक्ट करें।
(झ) घेराबन्दी करने से पूर्व भागने वाले रास्तों को अवरुद्ध करने के लिए उन पर उचित दूरी पर स्टॉप्स का इस्तेमाल एम्बुश के तौर पर करें।
(ट) घेराबन्दी व तलाशी तब की जाय, जब ज्यादातर ग्रामीण घरों में हों।
(ठ) फर्स्ट लाइन के समय घेराबन्दी की जांच करें तथा गैप्स भरें।

———————————

3. नाकाबन्दी

नाकाबन्दी से तात्पर्य उस कार्यवाही से हैं, जिसमें अपराधियों को पकड़ने या कार्यवाही करने के लिए पुलिस गुप्त रूप से ऐसे स्थानों पर नाका लगाकर चैकिंग व घेराबन्दी करती हैं, जहां से अपराधी आते – जाते हैं। नाकाबन्दी कभी – कभी अकस्मात भी होती है ।

(क) नाकाबन्दी के साधारण सिद्धान्त

- **सूचना की स्पष्टता**

नाकाबन्दी किस अपराध के संबंध में हो रही है, अपराध किस ढंग से घटित हुआ है, अपराधी का हुलिया क्या है, अपराधी के पास किस प्रकार के हथियार हो सकते हैं, अपराधी किस तरफ भाग सकता है, अपराधी के पास कौन सा साधन है, आदि समस्त जानकारियां स्पष्ट रूप से होनी चाहिए ।

- **स्थान की उपयुक्तता**

नाकाबन्दी करते समय उपयुक्त स्थान का चयन करना बहुत आवश्यक है। उस स्थान का चयन करना चाहिए, जहां से अपराधी की आमदरफ्त सबसे ज्यादा रहती है या उस मार्ग पर नाकाबन्दी करनी चाहिए, जिस मार्ग को अपराधी काम में लेता है।

- ब्रीफिंग

उच्चाधिकरी द्वारा नाकाबन्दी में लगे समस्त पुलिस बल को ब्रीफ करना चाहिए ताकि नाकाबन्दी के दौरान किसी भी प्रकार की त्रुटि न हो। पुलिस बल को किसी प्रकार की शंका हो तो इसी स्तर पर उसका निवारण किया जाना चाहिए।

- **पर्याप्त जाब्ता**

नाकाबन्दी की सूचना के अनुसार उचित पुलिस जाब्ते के साथ नाकाबन्दी करनी चाहिए। कई बार राजमार्ग पर नाकाबन्दी करते हैं तो कुछ जवान वाहन रुकवाने के लिए, कुछ जवान पूछताछ करने के लिए व कुछ जवान वाहनों का इन्द्राज करने के लिए होने चाहिए।

- **पर्याप्त हथियार**

यदि अपराधी हथियार सहित है, तो पुलिस को भी उचित हथियारों के साथ नाकाबन्दी करनी चाहिए। नाकाबन्दी करते समय पुलिस बल के पास अत्याधुनिक हथियार होने चाहिए।

- **उच्चाधिकारियों से संवाद**

नाकाबन्दी के दौरान उच्चाधिकारियों से निरन्तर संवाद रखना चाहिए। उन्हें नवीनतम घटनाक्रम से अवगत कराते हुए उनसे उचित दिशा – निर्देश प्राप्त करते रहना चाहिए। कई बार अपराधी नाकाबन्दी तोड़कर अन्य जिले या अन्य राज्य में प्रवेश कर जाते है। यदि उच्चाधिकारियों से निरन्तर सम्पर्क है तो अन्य जिला पुलिस या अन्य राज्य पुलिस के माध्यम से अपराधियों का पीछा किया जा सकता है।

(ख) नाकाबन्दी के लिए आवश्यक संसाधन एवं तैयारी

प्रभावी नाकाबन्दी के लिए आवश्यक है कि इसकी पूर्व से अच्छी तैयारी कर ली जावे। नाकाबन्दी की सफलता के लिए निम्न प्रकार के संसाधन जुटा लिये जाने चाहिए और निम्न प्रकार की तैयारी कर लेनी चाहिए –

- पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल होना चाहिए, ताकि नाकाबन्दी प्रभावशाली ढंग से की जा सके। जाब्ते की मात्रा नाकाबन्दी की सूचना पर आधारित हो। यदि हथियारबन्द अपराधी के लिए नाकाबन्दी है तो पुलिस बल को भी उसी के अनुसार हथियारों की व्यवस्था करनी चाहिए।
- जिस स्थान पर नाकाबन्दी की जानी है, वो ऐसा होना चाहिए, जहां से अपराधियों का आवागमन रहता है। वह स्थान सुरक्षा की दृष्टि से उपयुक्त होना चाहिए।
- नाकाबन्दी के लिए आवश्यक उपकरण भी होने चाहिए, जैसे – ड्रेगन लाईट, वायरलैस उपकरण, बैरिकेट्स, वाहन आदि की व्यवस्था होनी चाहिए।
- जो पुलिस बल नाकाबन्दी में शामिल हो रहा है, उसको अच्छी तरह से ब्रीफ कर देना चाहिए, ताकि पुलिस बल के मन में किसी प्रकार की शंका न हो और यदि कोई शंका हो तो उसका निवारण उच्चाधिकारियों द्वारा कर देना चाहिए।

(ग) नाकाबन्दी का संचालन एवं ध्यान रखने योग्य बातें

1. नाकाबन्दी उन रास्तों पर की जावे, जो मुख्य रूप से गाँव या शहर को जाते हैं तथा
   उधर से अपराधियों का आना जाना हो।
2. नाकाबन्दी स्थल पर मार्ग अवरोधक व आड़ का प्रयोग करना चाहिए।
3. नाकाबन्दी पार्टी के पास वायरलैस तथा वाहन की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे अवरोधक तोड़कर या वापस मुड़कर भागने वालों को पकड़ा जा सके।
4. नाकाबन्दी करते समय कोई चमकीली वस्तु नहीं पहने।
5. नाकाबन्दी पर बीमार व अस्वस्थ कर्मचारी को नहीं ले जायें।
6. नाकाबन्दी किये जाने वाले स्थान को गुप्त रखा जाये।
7. नाकाबन्दी करते समय पूर्ण सतर्कता एवं सावधानी बरती जाये।
8. नाकाबन्दी के दौरान कोई बातचीत नहीं करें।
9. इंचार्ज के आदेशों की पालना सख्ती से करें।
10. यदि एक से अधिक नाके हो तो आपस में सम्पर्क बनाये रखें।
11. नाकाबन्दी पर जाने से पूर्व आवश्यक हथियार साथ ले जावें।

12. नाकाबन्दी के दौरान पर्याप्त मात्रा में जाब्ता होना चाहिए तथा उन्हें नाके के आसपास के गाँव, रास्तों की जानकारी होनी चाहिए।
13. नाकापार्टी को निकटतम तारघर, टेलीफोन का ज्ञान होना चाहिए ताकि आवश्यकता पड़ने पर अन्य पड़ोसी थाना या चौकी से सम्पर्क किया जा सके।

(घ) स्थाई पिकेट पर चैकिंग

कई मामलों में पुलिस को स्थाई पिकेट और उन पर अतिरिक्त पुलिस बल लगाना पड़ता है, विशेषकर कर्फ्यू के दौरान। स्थाई पिकेट के लिए उस स्थान का चयन करना चाहिए, जो कानून के हिसाब से उपयुक्त हो। कई बार अपराधियों पर निगरानी रखने के लिए भी स्थाई पिकेट का चयन करते हैं। स्थाई पिकेट पर लगे जाब्ते के पास पर्याप्त मात्रा में हथियार हों और उनकी पारी भी समय पर तब्दील होनी चाहिए। स्थाई पिकेट असामाजिक तत्वों पर प्रभावी निगरानी का एक अच्छा साधन है।

(ड़) नाकाबन्दी का व्यावहारिक प्रशिक्षण

जब किसी थाना क्षेत्र में कोई अपराधी गिरोह या डकैत किसी घटना को अन्जाम देते हैं या ऐसी सूचना मिलती है कि ऐसा गिरोह ऐसी घटना को अन्जाम देने की फिराक में है, तो उस थाने का इन्चार्ज उस गिरोह, डकैतों या अपराधियों को पकड़ने के लिए अपने थाना क्षेत्र से उन अपराधियों के बचकर भागने के रास्तों पर नाकाबन्दी करवाता है तथा अपने आस – पास के थानों को भी इसकी सूचना देकर नाकाबन्दी के लिए प्रेरित करता है ताकि अपराधी भागने न पायें और किसी न किसी नाकाबन्दी स्थान पर पकड़े जायें। यह कार्यवाही सूचना मिलते ही तुरन्त व पुख्ता की जाये। जहाँ तक सम्भव हो, अपराधियों की पूरी सूचना इकट्ठी की जाये कि अपराधी कितने हैं, उनकी बोल–चाल व भाषा कैसी है, उन्होंने कैसे कपड़े पहन रखे है, भागने के लिए उनके पास साधन क्या है या हो सके तो वाहन के नम्बर व रंग भी पता होना चाहिए, उनकी संख्या क्या है, यदि उनके पास हथियार है तो किस किस्म के हैं ? तथा वे किस दिशा में भाग रहे है। उक्त सभी प्रकार की सूचनायें जहाँ–जहाँ नाकाबन्दी की गई है, उन सभी को इसकी सूचना तुरन्त प्रभाव से और पक्की तौर पर देनी चाहिए ताकि नाका पार्टी को उन अपराधियों को पकड़ने में मदद मिल सके।

नाकाबन्दी के प्रकार :

1. रुटीन में :– थाना इन्चार्ज अपने थाने के इलाके में या थाने के बॉर्डर एरिया पर समय – समय पर नाकाबन्दी कर वाहनों की चैकिंग करता है, जिससे तस्करों, बदमाशों, अपराधियों आदि को रोकने में मदद मिलती है।

2. किसी विशेष सूचना पर :– जब कभी देश, राज्य में कहीं कोई घटना, जैसे – लूट, अपहरण, हत्या या बम ब्लास्ट करके कोई अपराधी भागने की कोशिश करते हैं और पुख्ता

सूचना मिलती है, तो तुरन्त प्रभाव से उस क्षेत्र से निकलने वाले वाहनों को रोक कर चैकिंग की जाती है ताकि घटना करने वाले अपराधियों को पकड़ा जा सके।

नाकाबन्दी के लिए स्थान का चुनाव व सामान : नाकाबन्दी करने वाली पार्टी के पार्टी कमाण्डर को चाहिए कि वह नाकाबन्दी ऐसे स्थान पर लगायें, जहाँ से अपराधी किसी भी सूरत में भागने न पाये। इसके लिए सड़क का घुमाव या सड़क की चढ़ाई या सड़क के दोनों ओर से भागने के लिए कोई जगह न हो। साथ ही पार्टी के लिए फील्ड ऑफ फायर साफ हो तथा दूर से आने वाली गाड़ी को आसानी से देख कर उसकी पहचान कर सके।

सामान :– नाकाबन्दी पार्टी के पास नाकाबन्दी करने का पूरा सामान होना चाहिए, जिसमें वाहनों को रोकने के लिए चेतावनी बोर्ड, बैरिकेट्स, पत्थर आदि हो तथा फायरिंग पार्टी को पोजीशन लेने के लिए मोर्चे खुदे हुए या सेण्डबैग से बनाये हुए हो। नाकाबन्दी पार्टी के सभी जवानों के पास छोटे व कारगर हथियार, कम्यूनिकेशन के साधन, अंधेरे में देखने के लिए टॉर्च, जरूरत पड़ने पर पीछा करने लिए अच्छा वाहन व ड्राईवर, फर्स्ट एड बॉक्स आदि होने चाहिए। रस्से, हथकड़ी, हथियार व एम्यूनेशन पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए।

नाकाबन्दी की पार्टियाँ :– नाकाबन्दी प्वाइन्ट से कम से कम 300 गज या 400 गज पहले एक कच्ची नाकाबन्दी लगानी चाहिए ताकि अपराधियों को लगे कि पुलिस की नाकाबन्दी है। वह उसे तोड़ कर आगे निकलने की कोशिश करेंगे तो पक्की नाकाबन्दी को इसकी सूचना मिल जायेगी और वे ज्यादा मजबूती से नाकाबन्दी करेंगे और अपराधियों को पकड़ लेंगे।

1. स्टॉप पार्टी :– यह पार्टी वाहनों को रोकने के लिए इशारा देगी तथा बैरिकेट्स लगायेगी। इस पार्टी में 2 जवान चुस्त–दुरूस्त व समझदार होने चाहिए।

2. सर्च पार्टी :– इस पार्टी में 8 जवान छोटे हथियारों के साथ तथा सड़क के दोनों ओर 4–4 जवान पोजीशन में हो ताकि गाड़ी रुकते ही वे वाहन के दोनों ओर पीछे के दोनों दरवाजों से तलाशी कर सकें। उनके साथ ही जोड़ी–जोड़ी में जवान तलाशी लें, एक जवान उसकी सुरक्षा के लिए साथ रहे तथा साथी (Budde) के तौर पर काम कर सकें।

3. फायरिंग पार्टी :– इस पार्टी में कम से कम आठ जवान हों ताकि उनकी दो पार्टियां बनाई जा सके, जो दोनों ओर से फायर डालने में सक्षम हो।

4. रियर गार्ड :– पीछे भागने वाले अपराधियों को रोकने के लिए सड़क के दोनों ओर दो रियर गार्ड लगाने चाहिए। यह काम कच्ची नाकाबन्दी में लगे जवान करते हैं।

5. रिजर्व पार्टी :– इस पार्टी में कम से कम आठ जवान होने चाहिए ताकि जरूरत पड़ने पर उन्हें काम में लाया जा सके या अपराधियों द्वारा भारी फायर करने पर फायरिंग पार्टी की जवाबी कार्यवाही में मदद कर सके और उन्हें सपोर्ट फायर भी दे सके।

6. एस्कॉर्ट पार्टी :– यह पार्टी अपराधियों के पकड़े जाने पर या घायल होने पर उन्हें थाने या अस्पताल तक ले जाने लिए उनके साथ एस्कॉर्ट करें, जब तक कि उन्हें थाना पुलिस को सुपुर्द ना कर दिया जाये।

इस प्रकार नाकापार्टी प्राप्त सही सूचनाओं व अपनी पार्टियों की सही बांट व काम के बल पर त्वरित कार्यवाही करके अपराधियों को पकड़ने में कामयाब हो सकती है।

नाकाबन्दी करते समय किन–किन बातों पर ध्यान देना चाहिए :

1. पार्टी के व्यक्ति एक स्थान पर इकट्ठा ना रहें, वे अपनी–अपनी जगह अपने मोर्चे में रहें।
2. निश्चित स्थान को गुप्त रखना चाहिए।
3. किसी भी प्रकार का शोरगुल नहीं करना चाहिए।
4. गश्त के लिए निकले पुलिस जवानों को नाकाबन्दी कहाँ की गई है, इसका पता होना चाहिए।
5. नाकाबन्दी उस मार्ग की करें, जिस पर अपराधियों के आगमन की सम्भावना अधिक हो।
6. नाकाबन्दी में बीमार जवान को नहीं ले जाना चाहिए।
7. नाकाबन्दी के दौरान टीम के सदस्यों के मध्य आपसी संपर्क बना रहना चाहिए।
8. कच्ची नाकाबन्दी तोड़कर अपराधी भागते हैं तो उस पार्टी को उनका पीछा कर पक्की नाकाबन्दी पर अपराधियों के फंसते ही रियर गार्ड का काम करना चाहिए ताकि अपराधी पीछे नहीं भाग सकें।
9. नाकाबन्दी की सभी पार्टियों के जवानों को बुलेटप्रुफ जैकेट व हैलमेट पहने हुए होना चाहिए।
10. अपराधियों द्वारा हमला करने पर तुरन्त जबावी कार्यवाही कर उन पर काबू पाना चाहिए।

———————————

4. भीड़ नियंत्रण

भीड़ की परिभाषा :–

''किसी केन्द्र बिन्दु के चारों और एकत्रित होने वाले अधिक संख्या के लोग, जिनमें समान रूचि हो, भीड़ कहलाती है।''

भीड कुछ ऐसे लोगों का अस्थायी, प्रत्यक्ष और असंगठित समूह है, जिनकी जिज्ञासा, मूल्य तथा उद्वेग अस्थायी रूप से समान हो और जो समान रुचि या समान उत्तेजनाओं के कारण बन गया हो।

भीड़ में पहुंचते ही मनुष्य का व्यवहार बदल जाता है। अकेले रहने पर मनुष्य जिस प्रकार का आचरण करता है, भीड़ के साथ रहकर वह बिल्कुल भिन्न हो जाता है। प्रत्येक मनुष्य समूह के अन्य व्यक्तियों के व्यवहार पर प्रभाव डालता है और फिर इस प्रक्रिया से स्वयं प्रभावित होता है। कभी–कभी भीड़ के सभी व्यक्ति किसी समस्या को लेकर उत्तेजित हो जाते हैं। ये लोग तोड़ – फोड़ के काम में लग जाते हैं और ऐसी स्थिति में कानून और व्यवस्था भंग हो जाती है। उग्र भीड पर काबू पाना पुलिस के लिए भी कठिन होता है। कोई भी भीड़ उग्र रूप उसी समय धारण करती है, जब भीड में सदस्यों की संख्या अधिक होती है। पुलिस उग्र भीड़ का नियन्त्रण कैसे कर सकती है ? इन सभी प्रश्नों का उत्तर ज्ञात करने के लिए पुलिस के लिए भीड़ का मनोवैज्ञानिक अध्ययन करना लाभप्रद होगा।

(क) भीड़ के प्रकार

भीड दो प्रकार की होती है – (1) अनौपचारिक और (2) औपचारिक

अनौपचारिक भीड़ में किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं होती है। किसी भी प्रकार के नियमों की पालना नहीं की जाती है। अनौपचारिक भीड सक्रिय और निष्क्रिय होती है। सक्रिय भीड़, जो आक्रामक, भयभीत और प्रदर्शनकारी भीड़ के रूप में होती है।

भीड के विभिन्न प्रकार निम्न तालिका द्वारा बताये गये हैं –

1. औपचारिक
2. अनौपचारिक
   - सक्रिय भीड़
     - √ आक्रामक भीड़
     - √ भयभीत भीड़
     - √ प्रदर्शनकारी भीड़
   - निष्क्रिय भीड़

1. सक्रिय भीड़ या हिंसात्मक भीड़ –

ऐसी भीड़ में दमित मनोवृत्तियों, इच्छाओं और भावनाओं का उदय होता है। इसमें भय, क्रोध और आक्रामक प्रवृत्तियों का समावेश होता है। यह भीड़ दो प्रकार से सक्रिय होती है।

(क) जिसे पाओ उसे मारो। (ख) भाग जाओ।

इस स्थिति में लूटपाट, आगजनी, तोडफोड़ आदि घटनाएं सामान्यतया हो जाती है। न्याय और अन्याय का विचार किये बिना ही जान – माल को हानि पहुंचाई जाती है। ऐसी भीड़ को आक्रामक या हिंसात्मक भीड़ भी कहते है। जब इसका रूप साम्प्रदायिक हो जाता है तो इसे नियंत्रित करना एक कठिन समस्या होती है। ऐसी भीड का व्यवहार एक बालक अथवा जंगली व्यक्ति के समान होता है। मजदूरों, छात्रों व कृषकों आदि के प्रदर्शन प्रायः हिंसात्मक हो जाते हैं। ऐसी भीड़ का व्यवहार एक प्रकार का अस्थायी पागलपन है। पुलिस अधिकारी को ऐसी सक्रिय भीड़ की मनोवैज्ञानिक जानकारी होना आवश्यक है।

कभी–कभी एकाएक उत्पन्न होने वाली किसी परिस्थिति से भीड़ भयभीत भी हो जाती है, जैसे यदि किसी मेले में अचानक कोई पुल टूट जाये या कोई सर्कस का शेर पिंजरा तोड़ कर निकल भागे। ऐसी स्थिति में भीड़ आतंकित हो जाती है और प्रत्येक व्यक्ति को खतरा अपने सिर पर मंडराता दिखाई देता है। तब ऐसी आपा–धापी मचती है कि आदमी–आदमी को कुचल डालता है। मेले में अक्सर ऐसा होता है और सैकड़ों व्यक्ति कुचले जाते हैं।

2. निष्क्रिय भीड़ या उदासीन भीड़ –

उदासीन भीड़ वह होती है, जो केवल देखती अथवा सुनती है, कार्य कुछ नहीं करती। जैसे बड़े नेताओं के भाषण सुनने के लिए एकत्रित भीड़, धार्मिक प्रवचन या किसी खेल को देखने वाली भीड़, हारमोनियम बजाकर गाना गाने वाले को सुनने के लिए एकत्रित भीड़, किसी सिनेमा हॉल के सामने लगे पोस्टरों को देखने के लिए एकत्रित भीड़, ऐसी भीड़ में व्यक्ति का ध्यान घटना विशेष के केन्द्र के चारों तरफ होता है, परन्तु व्यक्तियों में निष्क्रियता बनी रहती है। ऐसी भीड़ संगठित भी नहीं होती, इसका व्यवहार भी शांतिपूर्ण होता है, किन्तु ऐसी भीड़ भी कभी–कभी भड़क उठती है, जैसे खेल के मैदान पर आशा के अनुकूल रन न बनने पर दर्शक खिलाड़ियों पर फलों के छिलके, बोतलें व पानी के गुब्बारे फेंकने लगते हैं। स्टेडियम के फर्नीचर को तोड़–फोड़ की कार्यवाही से नष्ट करने लगते हैं।

3. आकस्मिक भीड़ –

आकस्मिक भीड़ अचानक किसी भी कारणवश एकत्रित हो सकती है, जैसे बस स्टैण्ड पर बस की प्रतीक्षा करती भीड़, सिनेमा हॉल पर टिकटों के लिए आशार्थियों की भीड़। इस प्रकार की भीड़ का कोई मनोविज्ञान नहीं होता।

4. छात्र असंतोष –

युवकों में आज असंतोष, निराशा एवं तनाव पाया जाता है। इसके परिणामस्वरूप युवक किसी भी छोटी – मोटी घटना को लेकर आन्दोलन करने को तैयार हो जाते है। युवक वर्ग अपनी निराशा को हिंसात्मक या अहिंसात्मक प्रदर्शनों के द्वारा व्यक्त करता है। बढ़ती जनसंख्या के कारण शिक्षित बेरोजगारी बढ़ी है। शिक्षित युवक भी डिग्री नहीं नौकरी चाहते हैं। शिक्षण संस्थाओं में पर्याप्त सुविधाओं का अभाव, दोषपूर्ण प्रवेश नीति व अनुपयोगी शिक्षा, शिक्षकों का छात्रों के साथ दुर्व्यवहार, प्रशासन में भ्रष्टाचार, अंधकारमय भविष्य, यौन निराशा व पीढ़ियों का अन्तर आदि ऐसे कारण हैं, जो छात्र आन्दोलन के लिए उत्तरदायी है।

5. भाषा एवं क्षेत्रीयता –

भाषा की समस्या ने देश के लगभग सभी राज्यों में घृणा, हिंसा, तनाव, और संघर्ष की स्थिति पैदा कर दी है। जब ये आन्दोलन होते हैं तो पोस्टर एवं बोर्डों को फाड़ा एवं तोड़ा जाता है, उन पर कोलतार (डामर) पोता जाता है। इसके कारण विभिन्न राज्यों में बसने वाले लोगों में परस्पर घृणा, द्वेष और मनमुटाव को बढ़ावा मिलता है। क्षेत्रवाद भी आन्दोलनों को जन्म देता है। प्रान्तों की सीमा निर्धारण, नदी जल के विभाजन आदि के लिए राजनैतिक दबाव स्वरूप भी आन्दोलन होते हैं। लेकिन आगे चलकर ये हड़ताल, जुलूस उग्र रूप धारण कर लेते हैं।

6. औद्योगिक आन्दोलन –

यह आन्दोलन हड़ताल, जुलूस, मजदूरों की मीटिंग द्वारा प्रारम्भ होता है। जब बातचीत से समस्या का हल नहीं निकलता है तो काम बन्द, हडताल तथा बल प्रयोग द्वारा हल निकालना चाहते है। मजदूर गरीब होते हैं, उनका वेतन कम होता है। वे प्रायः वेतनवृद्धि की मांग करते है और अधिकारियों के विरुद्ध प्रर्दशन, पुतले जलाना तथा काले झण्डे दिखाना और गेट पर मीटिंग करके विरोध प्रदर्शन करते हैं।

7. किसान आन्दोलन –

जमींदारी प्रथा की समाप्ति के बाद कृषकों में शांति थी, परन्तु कुछ नेताओं ने अपने आप को किसानों का मसीहा बनाने के लिए कई कारणों से भोले–भाले किसानों को भड़का कर उन्हें आन्दोलनों में झोंक दिया है। इसमें खेती उत्पादनों के उचित मूल्य की मांग को लेकर, बिजली, सरकार द्वारा भूमि की अवाप्ति, अच्छे खाद – बीज की मांग को लेकर प्रदर्शन, रास्ता रोको, घेराव आदि आयोजित होते हैं।

8. गुण्डागर्दी –

यह दो प्रकार की होती है –

(i) व्यक्तिगत (ii) सामूहिक

व्यक्तिगत गुण्डे शराब के ठेके, जुआखाने चलाकर, तवायफों को आश्रय देकर अपना गुजारा करते हैं। ये तुलनात्मक रूप से कम आततायी होते हैं, परन्तु सामुहिक गुण्डागर्दी करने वाले साम्प्रदायिक झगड़ों में खुलकर भाग लेते हैं और हत्याएं करने में इनका ही हाथ होता है। किसी की जमीन पर कब्जा करना एवं बलवे के दौरान लूटपाट करना इनका प्रमुख कार्य है। ये लोग अपने – अपने एरिया बांट लेते है और वहां चोरबाजारी, स्मगलिंग, शराब बिक्री और बाजारू औरतों को संरक्षण देते है।

इन सबसे निपटने के लिए प्रत्येक पुलिस अधिकारी को जहां सामान्य, मनोवैज्ञानिक एवं कानूनी उपायों की जानकारी होना आवश्यक है, वहां इनके नियंत्रण के मूलभूत सिद्धान्तों का ज्ञान होना भी लाभदायक है।

भीड़ नियन्त्रण के मूलभूत सिद्धान्त –

1. भीड़ से बातचीत करना तथा प्रसन्नचित रहना
2. धैर्य से काम लेना
3. क्रोध के कारणों को मिटाना
4. आवश्यकता पड़ने पर सेवाकार्य के लिये न हिचकना
5. नेताओं से मदद लेना
6. प्रसन्न मुद्रा में लोगों से तर्क करना व आत्मविश्वास लाने की अपील करना

(ख) भीड़ की संख्या का अनुमान लगाना

कानून व्यवस्था की स्थिति सही बनी रहे, इसके लिए आवश्यक है कि भीड़ का सही–सही पूर्वानुमान लगा लिया जाये ताकि किसी भी समारोह, आयोजन, रैली, धरना, जुलूस आदि में किसी प्रकार की अव्यवस्था ना हो और उसी के अनुरूप पुलिस बल की व्यवस्था की जा सके। एक सफल पुलिस अधिकारी को भीड़ का अन्दाज लगा लेना, उसके आसूचना तंत्र पर निर्भर करता है। उसका आसूचना तंत्र कितना मजबूत है, आदि सब बातें भीड़ का सही–सही अनुमान लगाने में सहायक होते है। भीड़ का अनुमान निम्न प्रकार से लगाया जा सकता है –

- जो जुलूस, रैली, उत्सव आयोजित हो रहा है, उसका उद्देश्य क्या है और उसमें समाज के कौन–कौन से वर्ग शामिल हो रहे हैं ?
- जुलूस, रैली, उत्सव आदि में जो वर्ग शामिल हो रहा है. उसकी संख्या कितनी है ?
- जुलूस, रैली, उत्सव आदि आयोजित हो रहा है, यह पूर्व में कब और कहाँ आयोजित हुआ था और उस समय कितनी भीड़ एकत्र हुई थी ?

- जुलूस, रैली, उत्सव आदि के आयोजनकर्ता से सम्पर्क कर यह जानकारी जुटाई जा सकती है कि कितने निमंत्रण पत्र वितरित किये गये हैं, कितने समाजों के लोगों के साथ सम्पर्क किया गया है ? आदि तथ्य एकत्र कर भीड़ का अनुमान लगाया जा सकता है।

- जुलूस, रैली, उत्सव आदि में किस स्तर का नेता शामिल हो रहा है या किस स्तर का वी०आई०पी० शामिल हो रहा है ? भीड़ कितनी हो सकती है? यह बात वी0आई0पी0 एवं नेता की ख्याति, जनसामान्य में उसकी स्वीकार्यता, आदि पर निर्भर होता है।

(ग) भीड़ की मंशा का पता लगाना

अपने थाना क्षेत्र में कानून व्यवस्था की स्थिति बनाये रखने के लिए यह आवश्यक है कि पुलिस अधिकारी अपने क्षेत्र में होने वाले आयोजनों में भीड़ प्रबंधन प्रभावी ढंग से करे। कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि समस्त प्रयासों के बावजूद भी कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड जाती है। यह बात तब होती है, जब प्रशासन भीड़ की मंशा को पहचानने में असफल रहता है। यदि समय रहते भीड़ की मंशा को पहचान लिया तो पुलिस बल द्वारा तद्नुसार अपनी कार्ययोजना बनाकर भीड़ पर काबू पाया जा सकता है और लोक सुरक्षा बनी रहती है।

भीड़ की मंशा का अनुमान निम्न प्रकार की कार्य योजना बनाकर लगाया जा सकता है –

- ❖ भीड़ की मंशा को पहचानने के लिए आवश्यक है कि प्रशासन को उत्सव, आयोजन के बारे में सूक्ष्मतम पहलुओं की जानकारी हो।

- ❖ भीड़ वाले आयोजनों में किसी भी प्रकार के हथियारों का लेकर आना पूर्णतः निषेध होना चाहिए, यदि इसके बावजूद भी आयोजन में व्यक्तियों द्वारा किसी प्रकार के हथियार लाये जाते हैं तो इस प्रकार का अंदाज लगाया जा सकता है कि भीड़ में कुछ व्यक्ति अशांति करना चाहते हैं और आयोजन को हिंसात्मक बना सकते हैं।

- ❖ जो व्यक्ति आयोजन करवा रहा है, आयोजन में शामिल होने वाला प्रत्येक व्यक्ति उस आयोजक के नियंत्रण में होना चाहिए और उसके आदेश एवं निर्देशों के अनुसार चलना चाहिए। यदि भीड़ उस आयोजक के आदेशों एवं निर्देशों का अनुगमन नहीं कर रही है तो यह निश्चित तौर पर मान लेना चाहिए कि भीड़ अपने उद्देश्य से विमुख हो रही है।

- ❖ भीड़ वाले आयोजनों में असामाजिक तत्वों की उपस्थिति एक सामान्य बात है। आयोजनकर्ता एवं पुलिस प्रशासन को चाहिए कि इन असामाजिक तत्वों की पहचान करे और उनके विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करें। यदि असामाजिक तत्वों की पहचान नहीं हो पाती हैं तो ये लोग भीड़ की आड़ में आपराधिक गतिविधियां कर गुजरते हैं।

भीड़ की मानसिक विशेषतायें

भीड़ के कुछ विशेष लक्षण होते है, इसके द्वारा कुछ विशेष प्रकार के व्यवहार किये जाते हैं। इसे जानने के लिए भीड़ के मनोविज्ञान का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार के अध्ययन के द्वारा भीड़ के लक्षण मालूम होते हैं। इन लक्षणों का वर्णन प्रस्तुत किया जा रहा है।

1. **बुद्धि की कमी** – भीड़ में एकत्र होने पर बुद्धिमान लोग भी मूर्ख की तरह व्यवहार करने लगते हैं।
2. **उत्तेजना** – भीड़ के लोग छोटी–छोटी बात को लेकर उत्तेजित हो जाते हैं। उत्तेजना भीड़ का एक विशेष लक्षण है। भीड़ के लोग शान्त होकर नहीं बैठ पाते। नारे लगाना, ताली बजाना, नाचना, कूदना, भागना, ये सभी क्रियाएं उत्तेजना का अंग है।
3. **शक्ति का अनुभव** – भीड़ के लोग अपनी शक्ति को बहुत बड़ा मानते हैं। बड़ी संख्या को देखते हुए लोग अपने आपको सुरक्षित समझते हैं और इसी कारण वे अपने आपको शक्तिशाली मानते हैं।
4. **उत्तरदायित्व का अभाव** – भीड़ में उपस्थित लोगों में कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं होता। यदि तोड़–फोड़ के नुकसान के लिए भीड़ में उपस्थित किसी व्यक्ति से पूछताछ की जाती है तो सभी बचना चाहते हैं। ''मैंने यह काम नहीं किया।'' भीड़ को किसी प्रकार की जिम्मेदारी सौंपी भी नहीं जा सकती।
5. **सहज विश्वास** – भीड़ के ऊपर अफवाहों का काफी प्रभाव पड़ता है। एक दूसरे के मुंह से जो बातें फैलती है, उन्हें लोग बिना सोचे समझे स्वीकार कर लेते हैं, जैसे कुछ लोग झूठमूठ शोर मचा दें कि पुलिस आ गई, भागो – भागो'' तो लोग इस पर तुरन्त विश्वास कर लेते हैं।
6. **अस्थिरता** – उत्तेजना फैलाने और सुगठन की कमी के कारण भीड का व्यवहार किसी बात पर टिका नहीं रहता, उसमें लगातार परिवर्तन होता रहता है। उसमें निर्देश स्वीकार नहीं करने की प्रवृति भी प्रबल हो जाती है। भीड़ के सभी लोग मनमाने ढंग से काम करते हैं और किसी वादे पर टिके नहीं रहते। जितनी जल्दी भीड़ में लोग तोड़–फोड के लिए तत्पर हो जाते हैं, उतनी ही जल्दी पुलिस की चेतावनी देने पर भाग खड़े होते हैं।
7. **संकल्प शक्ति की कमी** – भीड़ के लोग अपनी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल नहीं करते, उनमें दूसरों का अनुकरण करने तथा दूसरों के कहने पर चलने की प्रवृत्ति देखी जाती है।
8. **सामाजिक आदान–प्रदान** – बड़ी संख्या में एक स्थान पर एकत्रित होने के कारण एक –दूसरे के बीच आदान–प्रदान बढ़ जाता है। एक दूसरे से बातचीत करना,

किसी के बारे में पूछताछ करना, दूसरों को भ्रम में डालना इत्यादि सामाजिक क्रियाएं भीड़ में बड़े पैमाने पर काम करने लगती हैं।

9. **नेताओं का अनुकरण** – यदि भीड़ में कोई नेता होता है तो सभी लोग उसकी बातों को स्वीकार करते हैं, उसी की आज्ञा के अनुसार काम करते हैं।

10. **नैतिकता की कमी** – भीड़ के द्वारा कोई नैतिक कार्य नहीं किया जाता। भीड़ के लोग अधिकतर समाज विरोधी काम करते हैं। किसी को मारने पीटने, गाली देने, पत्थरबाजी करने, लुटपाट करने, तोड़–फोड़ करने या आग लगाने मे पीछे नहीं रहते। भीड़ के द्वारा कभी–कभी जान और माल का भारी नुकसान कर दिया जाता है।

(घ) विभिन्न प्रकार की भीड़ नियंत्रण हेतु पुलिस की संवेदनशीलता

संवेदनशील होना पुलिस का पहला एवं आवश्यक गुण है। समय–समय पर पुलिस की संवेदनशीलता की परीक्षा होती रहती है और पुलिस बल अक्सर इस परीक्षा में खरा नहीं उतरता है। पुलिस द्वारा बल प्रयोग, लाठीचार्ज, फायरिंग आदि के कारण पुलिस का असंवेदनशील होना प्रचारित किया जाता है। कानून व्यवस्था के दौरान पुलिस यदि संयमित व्यवहार करे तो कानून व्यवस्था की भयावह स्थिति से बचा जा सकता है।

भीड़ नियंत्रण हेतु महिलाओं के लिए पुलिस की संवेदनशीलता –

(1) महिला भीड़ प्रबंधन के लिए सरकार को वफादार महिलाएं जैसे महिला विधायक या शहर की कोई ऐसी महिला जिसको कि सभी लोग जानते हो, की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि किसी भी काम या प्रदर्शन को रोकने के लिए एक महिला दूसरी महिला को समझा सकती है।

(2) महिलाओं की भीड़ के नियंत्रण के लिए महिला पुलिस का होना अतिआवश्यक है। ऐसे मौकों पर जबकि महिला को किसी गैरकानूनी काम करने से रोकना है, उस समय महिला पुलिस का होना निहायत जरूरी है क्योंकि महिलाओं की तलाशी लेना और अन्य दूसरे प्रकार के कार्यों को पूरा करने के लिए महिला पुलिस अच्छी तरह ड्यूटी कर सकती है।

(3) कई बार ऐसा भी हो जाता है कि महिला प्रदर्शन या भीड़ को समझा बुझाकर उनके विचार बदलकर समाधान निकाला जा सकता है।

(4) शिक्षित महिलाओं की मदद से महिलाओं के मजमे को तितर–बितर करने में इन महिलाओं का सहयोग लिया जा सकता है क्योंकि शिक्षित महिलायें समाज और देश के हालात को जानती है व समझती है। वे दूसरी महिलाओं को ऐसा काम करने से रोकती है, जिससे देश की हानि हो।

भीड़ नियंत्रण हेतु बच्चों के लिए पुलिस की संवेदनशीलता

बच्चे राष्ट्र की संपत्ति होते हैं और देश के भविष्य निर्माता एवं कर्णधार भी होते हैं। कई प्रकार के आयोजनों में बच्चों को शामिल किया जाता है। रैली, जुलूस, वी०आई०पी० की सभा, आदि में बच्चों को भीड़ बढ़ाने के उद्देश्य से शामिल किया जाता है। जब कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड जाती है, तब बच्चे असुरक्षा की स्थिति में आ जाते हैं। भीड़ में भगदड़ मच जाने के कारण बच्चों के कुचले जाने की संभावनाएं बढ़ जाती है। ऐसे आयोजनों में बच्चों के लिए विशेष व्यवस्था की जानी चाहिए।

- भीड़ वाले आयोजनों में बच्चों की अलग से बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए।
- आयोजन समाप्ति पर बच्चों को या तो सबसे पहले या सबसे अन्त में आयोजन स्थल से रवाना करना चाहिए।
- बच्चों के साथ किसी प्रकार का बल प्रयोग नहीं करना चाहिए।
- बच्चों के साथ उनके परिजनों को रखना चाहिए।
- बच्चों के लिए पानी वगैरह की पृथक् से व्यवस्था होनी चाहिए।
- भीड़ वाले आयोजनों में बच्चों के बैठने की व्यवस्था आगे होनी चाहिए।

(ड़) भीड़ नियंत्रण के विभिन्न तरीके

अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से इन तरीकों को तीन मुख्य शीर्षकों में बांटा गया है –

(i) सामान्य व मनोवैज्ञानिक तरीके (ii) कानूनी तरीके (iii) अन्य तरीके

(i) सामान्य व मनोवैज्ञानिक तरीके

भीड़ को नियन्त्रित करने के लिये निम्नलिखित तरीकों को काम में लाया जा सकता है –

1. पुलिस को अपना कार्य आतुरता से नहीं करना चाहिए।
2. पुलिस को कार्य में उचित समय का सदैव ध्यान रखना चाहिए।
3. सूझबूझ व दूरदर्शिता से ही भीड़ से निपटना चाहिए।
4. क्रुद्ध होने पर भीड़ का व्यवहार मूर्ख व्यक्ति के समान होता है। भीड़ अपनी मनमानी करती है। वह दूसरों की बात कम सुनती है। अतः ऐसे अवसर पर उसके साथ प्रेमपूर्वक व्यवहार करना अपेक्षित है।

5. भीड़ का नेतृत्व करने वाले व्यक्तियों से चतुराई से काम लेना चाहिये। बातचीत में हठधर्मिता अथवा चाटुकारिता नहीं होनी चाहिये। यथार्थ को ध्यान में रखते हुये पुलिस पटुताओं का प्रयोग करना चाहिये। साम, दाम, दण्ड एवं भेद की नीति अपना कर स्थिति को काबू मे करना चाहिये।

6. बातचीत में यदि एक बार में सफलता न मिले तो पुनः प्रयत्न करना चाहिए। निराशाजनक रवैया उचित नहीं होता। मानसिक सन्तुलन बनाये रखते हुये धेर्य से कान लेना चाहिए।

7. प्रत्युत्पन्नमति होने का परिचय देना चाहिये। भीड़ को रचनात्मक सुझाव देकर अपने दृष्टिकोण को समझाना चाहिये। लोगों में विवेक एवं आत्मविश्वास पैदा करना चाहिए।

8. जब तनाव अधिक महसूस हो तो सड़कों पर रात्रि में गश्त बढ़ा देनी चाहिए। विशेष स्थिति में नियंत्रण कक्ष स्थापित किये जाने चाहिये।

9. नेताओं से बातचीत के समय पुलिस अधिकारी को ऐसा दिखावा करना चाहिए, मानो पुलिस भीड का ही पक्ष ले रही है। भीड़ में से उनके नेताओं को बातचीत के लिए आंमत्रित कर लेना चाहिये। ऐसा करने से उनके आत्म सम्मान की तुष्टि हो जाती है। इन्ही के सहयोग से भीड़ को नियंत्रित किया जा सकता है। पुलिस अधिकारी को भीड़ की भावनाओं की सच्ची जानकारी होनी चाहिये।

10. भीड़ का ध्यान दूसरी तरफ बांटने का प्रयत्न करना चाहिये। ध्यान बंटने पर भीड़ में तनाव व उत्तेजना कम हो जाती है। स्वस्थ हंसी – मजाक, कहानी, चुटकले आदि सुनाकर भीड़ को व्यस्त रखना चाहिये।

11. ऐसे अवसरों पर ना तो जोर से चिल्लाने की आवश्यकता है और न इधर – उधर भागदौड़ करने की।

12. मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालने के लिये कैमरे, सी.सी.टी.वी. टेप आदि का प्रयोग करना लाभदायक रहता है। आवश्यकता पड़ने पर इनका उपयोग न्यायालय में भी किया जा सका है।

13. अफवाहों को फैलने से रोकना चाहिये। उनका खण्डन करना चाहिये। इस कार्य के लिए लाउडस्पीकर, रेडियो, टी.वी., समाचार–पत्र मोबाईल, फेसबुक आदि का प्रयोग आवश्यकतानुसार किया जा सकता है।

14. यदि किसी उपद्रव, दंगे या आंदोलन की पूर्व सूचना मिल जाये तो आवश्यकतानुसार पुलिस फोर्स का प्रबन्ध कर लेना चाहिये।

15. नेताओं की गिरफ्तारी भीड़ के बीच नहीं करनी चाहिये। नेताओं की गिरफ्तारी या तो आन्दोलन से पूर्व या भीड़ के बिखर जाने के पश्चात की जानी चाहिये।

16. प्रत्येक कर्मचारी को अपने वरिष्ठ अधिकारी को स्थिति से अवगत कराते रहना चाहिए, जिससे वे आवश्यक व उचित कदम उठा सकें।

इतना होने पर भी यदि दंगे भड़क ही उठे, भीड़ उग्र रूप धारण कर ही ले तो बल का प्रयोग करना भी आवश्यक हो जाता है। लोगों को इस बात का अहसास होना चाहिये कि जितना प्रतिशोध उनके मन में है, प्रशासन उससे अधिक प्रतिशोध ले सकता है?

(ii) कानूनी तरीके

प्रत्येक पुलिस कर्मचारी को कानून द्वारा भीड़ को नियन्त्रण में रखने के उपाय करने पड़ते हैं। कानून भारतीय संविधान में प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत भारतीय पुलिस अधिनियम, भारतीय दण्ड संहिता और दण्ड प्रक्रिया संहिता की विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत निर्मित किये गये है। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 144 व 145 के द्वारा व्यक्तियों को खतरनाक हथियार लेकर चलने से व एकत्रित होने से रोका जा सकता है। विसर्जित न होने पर दण्डित किया जा सकता है। ऐसे विधिविरुद्ध जमाव को रोका जा सकता है।

पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 44 के द्वारा आम रास्ते पर निकाले जाने वाले जुलूस के रास्ते का निर्धारण किया जा सकता है।

राजस्थान पुलिस नियम 1965 के नियम से 2.14, 2.17, 3.20, 3.22, 3.23 के प्रावधानों को ध्यान में रखना चाहिये।

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 37, 38, 41, 42, 107, 110, 149, 150 से 152, 144, 129 से 131 के अन्तर्गत विधि विरुद्ध जमाव को तितर–बितर करने एवं गिरफ्तार करने व सहायता प्राप्त करने के अधिकार दिये गये हैं।

(iii) अन्य तरीके

यदि भीड़ में असामाजिक तत्व, गुण्डे आदि उपस्थित है तो वे प्राय पीछे रहकर पुलिस की नजरों से बचे रहते हैं तथा भीड़ भरे स्थानों पर अपराध करते हैं। ऐसे तत्वों को तुरन्त पहचान कर उनके विरूद्ध कार्यवाही करनी चाहिए। भीड़ को नियंत्रित करने के निम्नलिखित तरीके अपनाये जा सकते है –

1. चेतावनी
2. शक्ति प्रदर्शन
3. लाठी चार्ज
4. अश्रुगैस का प्रयोग
5. अग्निवर्षा यन्त्र का प्रयोग
6. पानी यन्त्र (water canon) का प्रयोग

7. यातायात नियंत्रण व्यवस्था

8. सूचना संग्रहण की पूर्ण व्यवस्था

9. पीने के लिए पानी का उचित प्रबन्ध

10. पिकेटिंग एवं पेट्रोलिंग

11. घायलों की प्राथमिक चिकित्सा

12. लाशों का शीघ्र पोस्टमार्टम

13. शवों के जुलूस को निकालने पर प्रतिबन्ध तथा

14. टेलीफोन व वायरलैस का उचित प्रबन्ध

इसके अतिरिक्त यदि निम्नांकित सुरक्षात्मक तरीके पहले ही अपना लिये जाये तो भीड़ द्वारा की जाने वाली हानि से बचा जा सकता है –

(क) गुण्डों व असामाजिक तत्वों की सूची तैयार करना

(ख) हेलमेट, बूट, लोहे के वस्त्र व जंजीरों की व्यवस्था

(ग) शान्ति समितिया गठित करना

(घ) औद्योगिक सुरक्षा दल स्थापित करना

(ड़) सामाजिक संस्थानों की सहायता प्राप्त करना

(च) नियंत्रण कक्ष स्थापित करना

(छ) हथियारों का प्रबन्ध करना।

इन व्यवस्थाओं को लागू करने से पूर्व समस्त कानूनी पूर्तियां करनी आवश्यक है।

(च) भीड़ नियंत्रण के व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए एस.ओ.पी.

A कार्यवाही से पूर्व –

1. आन्दोलनकारी को अपराधी नहीं मानें, जब तक वो शांत रहें।

2. विवाद के मूल कारण की पूर्ण जानकारी प्राप्त करें।

3. आन्दोलन के कार्यक्रम की जानकारी प्राप्त करें, जैसे–

   a- किस–किस क्षेत्र से लोग आयेंगे।

   b- किसके नेतृत्व में आयेंगे।

   c- किन–किन साधनों से कितनी संख्या में आयेंगे।

d- कहां पर आयेंगे व कब पहुंचेंगे।

e- आन्दोलनकारी क्या करेंगे – पुतला जलायेंगे, घेराव करेंगे, रास्ता जाम करेंगे या ज्ञापन देंगे आदि।

4. सी.एल.जी. सदस्यों/प्रतिष्ठित व्यक्तियों से बातचीत कर समझाईश का प्रयास करे। बातचीत में कानून व्यवस्था बनाये रखने में पुलिस की प्रतिबद्धता तथा सख्त कार्यवाही के लिए तैनात होने की बातें भी प्रचारित करें।

5. साज–सामान पहनकर भीड़ की तरफ रुख करके खड़ा रहना चाहिए। हेलमेट, जैकेट, ढाल व लाठी लिए एक साथ खड़े पुलिस बल का अच्छा प्रभाव पड़ता है और सुरक्षा भी रहती है।

6. भीड़ में अपनी व्यक्तिगत या विभाग की कोई राय जाहिर नहीं करें।

7. बल प्रयोग प्रभारी अधिकारी के आदेशानुसार करना है। गैस, लाठी व हथियार का प्रयोग प्रशिक्षण के दौरान सीखे हुए तरीके से करें।

8. संचार के साधन वायरलैस /मोबाईल साथ रखें।

9. भीड़ के साथ बातचीत में संयमित भाषा का प्रयोग करें और अनावश्यक बातचीत ना करे।

10. बॉडी लेंगवेज आक्रामक हो और आत्मविश्वास से भरपूर हो।

11. किसी को माध्यम बनाकर, आश्वासन देकर व उच्चाधिकारियों से वार्ता कराकर भीड़ को शांत करने का प्रयास करें।

12. कार्यवाही से पहले हेलमेट, जैकेट व अन्य सामान पहनना सुनिश्चित करें।

13. कई बार किसी नेता की रूचि पुलिस से बल प्रयोग करवाने में होती है ताकि माहौल बिगाड कर राजनीतिक लाभ उठाया जा सके, जिसकी जानकारी साधारण आन्दोलनकारी को नहीं होती है, इस कारण पुलिस को उकसाने का प्रयास करते हैं। ऐसी स्थिति में संयम बरतें, किसी के उकसाने में नहीं आये और अपना मानसिक संतुलन बनाये रखें।

B. कार्यवाही के दौरान –

1. साम्प्रदायिक व अनावश्यक उग्र भीड़ में बिना पक्षपात उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार सख्त व त्वरित कार्यवाही करें।

2. पथराव या गालियाँ देने पर आक्रोशित ना होवे, ढालों की दीवार बनाकर खड़े रहें और एक साथ आगे बढ़े, मगर बिखरे नहीं। बल प्रयोग तभी करें, जब और कोई उपाय संभव नहीं हो तथा व्यक्तिगत सुरक्षा को सर्वोपरि समझे।

3. अधिकारी के आदेश पर ही कार्यवाही करें। जोश में आकर व्यक्तिगत बहादुरी नहीं दिखायें तथा संयमित रहकर एक दल के रूप में कार्य करें।

4. एक साथ आगे बढ़े, दौड़कर बिखरे नहीं, प्रभारी के संपर्क में रहे। भागती भीड़ का इतनी दूर तक पीछा नहीं करे कि अकेले भीड़ की पकड़ में आ जाये। अनावश्यक थके नहीं, एकजुट रहें। कही भी दो से कम जवान नहीं जावें। गलियों में मकानों की छतों से हमले का ध्यान रखें।

5. बल प्रयोग करते समय मुँह से हल्ला बोलने व पांव पटकने की आवाज निकाल कर आक्रामकता का प्रदर्शन करें।

6. अपने आवेगों पर नियंत्रण रखें, प्रहार गुस्से में होकर नहीं करें व कमर से उपर चोट कतई नहीं मारें। गिरे पड़े किसी अकेले आन्दोलकारी को बहुत सारे जवान घेरकर नहीं मारें। मारते समय लाठी कंधे से ऊपर नहीं उठानी चाहिये। साईड से मारने पर गंभीर चोट की संभावना कम हो जाती है।

7. पकड़े गये व्यक्ति को नहीं पीटें व घायल को तुरन्त उपचार के लिए भिजवायें। कार्यवाही के दौरान पत्रकारों द्वारा खीचें जा रहे फोटो या वीडियोग्राफी में आने से बचने का प्रयास करें।

8. गैस फायर के समय हवा के रुख का ध्यान रखें, भीड़ नजदीक हो तो सीधे गैस सैल फायर नहीं करें, इससे गंभीर चोट लग सकती है।

9. प्लास्टिक पैलेट्स– रबर बुलेट का प्रयोग करते समय ध्यान रखें कि निशाना कमर के नीचे ही लगे। भीड़ नजदीक होने पर इससे गंभीर चोट लग सकती है।

10. गोली तभी चलायें, जब अधिकारी /मजिस्ट्रेट से आदेश प्राप्त कर लिया हो। पांव पर गोली चलावे तथा संकट की घड़ी में सबसे उग्र आन्दोलनकारी पर हिट फायर करें। अंधाधुंध फायर कभी नहीं करें।

11. इस बात का ध्यान रखें कि बल प्रयोग के दौरान अनावश्यक लाठी प्रहार ना हो, किसी के गंभीर चोट न आये, बहुत दूर तक लाठी प्रहार करते हुए नहीं जायें। अनावश्यक फायरिंग नहीं करें।

12. विशेष ध्यान रखें कि सामान्यजन, बच्चों एवं महिलाओं को नहीं पीटें, पीछा करते हुए किसी दुकान या परिसर में नहीं जावें। तलाशी के दौरान अधिकारी साथ रहे।

13. पुलिस को यदि पीछे हटना पड़े तो एक साथ रहें, भागते नहीं दिखें। एक टुकड़ी भीड़ पर कार्यवाही का नाटक करे व उल्टे पांव चले। पुलिस दल के पलटते ही भीड़ दुगुने जोश से पीछे भागती है। लौटते समय साथियों का ध्यान रखे ताकि कोई पीछे ना छूटे।

14. बल प्रयोग के दौरान गंभीर रूप से घायल हुये व्यक्ति या मौत होने पर लाश को तुरन्त कब्जे में लेकर उपचार / अग्रिम कार्यवाही के लिए भिजवाये। प्रयास रहे कि लाश भीड़ के हाथ न लगे।

C. कार्यवाही के पश्चात् –

प्रभारी अधिकारी को कार्यवाही के दौरान प्रयोग किये गये एम्यूनेशन (गैस सैल, रबर बुलेट आदि) की जानकारी देगा। अन्य कोई जानकारी, जैसे किसी आन्दोलनकारी का नाम पता चलता है तो प्रभारी अधिकारी को अवगत करावें। प्रयास रहे कि अधिक से अधिक नामों के साथ अधिक से अधिक प्रकरण दर्ज हो।

2. हालात सामान्य नहीं होने तक घटनास्थल नहीं छोड़ें। उच्चाधिकारियों के आदेश पर ही

घटनास्थल छोड़े।

D. व्यावहारिक प्रशिक्षण –

आउटडोर स्टाफ द्वारा बलवा परेड के प्रशिक्षण के दौरान भीड नियंत्रण के व्यावहारिक ज्ञान का प्रशिक्षण करवाया जावेगा।

————————————

5. निगरानी एवं अवलोकन

(क) निगरानी की परिभाषा, प्रकार एवं महत्त्व

निगरानी का अर्थ

निगरानी का अर्थ है– पुलिस द्वारा ऐसे व्यक्ति की गतिविधियों व क्रियाकलापों के बारे में गुप्त सूचनाएं एकत्र करना, जिनका आचरण गलत/अवैध हो या जिनको चेतावनी देकर न्यायालय ने छोड़ दिया हो, उनकी जासूसी करना, निगरानी कहलाता है। निगरानी का उद्देश्य किसी व्यक्ति को बेइज्जत करना नहीं है बल्कि केवल उस पर निगाह रखना है। निगरानी (अभिरक्षण) भी अपराध की रोकथाम करने का महत्वपूर्ण एवं स्वयंसिद्ध तरीका है। इस सम्बन्ध में राजस्थान पुलिस नियम 1965 के नियम 4.5, 4.6, 4.7 के अन्तर्गत बताया गया है। प्रारूप 4.4 (1) में प्रत्येक निगरानी योग्य व्यक्ति का रिकॉर्ड रखा जाता है।

निगरानी के प्रकार

(अ) व्यक्ति की

इसमें किसी व्यक्ति विशेष की निगरानी की जाती है, जो अपराध में लिप्त रहे हैं, जिनसे स्थिति बिगड़ने की संभावना रहती हैं या जिन व्यक्तियों की गतिविधियां कानून की दृष्टि में उचित नहीं रही हो।

(ब) स्थान की

कई बार किसी स्थान विशेष की निगरानी की जाती है, जो कानून व्यवस्था की स्थिति को प्रभावित करता है।

निगरानी का महत्त्व

निगरानी अपराध की रोकथाम करने का एक स्वयंसिद्ध तरीका है। पुलिस द्वारा अभियुक्तों की सन्निकट निगरानी या देखरेख की जाती हैं। कानून व्यवस्था की दृष्टि से निगरानी एक औषधि है। निगरानी निम्न प्रकार से कारगर सिद्ध होती है –

- निगरानी से दुष्चरित्र व्यक्तियों की पहचान हो जाती है। इस प्रकार के व्यक्तियों पर उचित ढंग से प्रभावी कार्यवाही करके उनकी आपराधिक गतिविधयों पर अंकुश लगाया जा सकता है।
- विशेष आपात स्थितियों यथा – कर्फ्यू, दंगें आदि में निगरानी वाले व्यक्तियों पर प्रभावी अंकुश लगाकर कानून व्यवस्था की स्थिति को बिगड़ने से रोका जा सकता है।
- अभिरक्षण के माध्यम से इस बात की जानकारी हो जाती है कि थाना इलाके में कितने अभियुक्त दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के तहत भगौड़े या फरार घोषित हैं। अतः इससे फरार अभियुक्तों की जानकारी प्राप्त होती हैं।
- हिस्ट्रीशीट खोलने का आधार तैयार होता है ।

(ख) निगरानी क्यों व किसकी की जाती है ?

(1) व्यक्ति के बारे में सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए।

(2) व्यक्ति स्थान छोड़कर भाग तो नहीं रहा है, जानने के लिए।

(3) व्यक्ति की आय के क्या स्रोत है, जानने के लिए।

(4) व्यक्ति का दुश्चरित्र व्यक्तियों के साथ क्या संबंध है ? पता लगाने के लिए।

(5) व्यक्ति के चरित्र का पता लगाने के लिए।

(6) अपराधी को रंगे हाथों पकड़ने के लिए।

निगरानी किसकी

पुलिस निगरानी के योग्य व्यक्तियों को तीन भागों में बाँटा जा सकता है–

(1) अपने दण्डादेशों के समाप्त होने के पूर्व, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 432 के अन्तर्गत शासन द्वारा सशर्त छोडे गये सिद्धदोष ।

(2) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 356 के अन्तर्गत पारित आदेश के अन्तर्गत सिद्धदोष।

(3) पूर्व सिद्ध दोष एवं संदिग्ध बुरे आचरण वाले व्यक्ति, जो पुलिस अधीक्षक के आदेश से निगरानी रजिस्टर में दर्ज किये गये हैं।

(ग) निगरानी करते समय क्या सावधानियां रखी जाये –

(1) व्यक्ति की निगरानी करने के लिए एक से अधिक व्यक्तियों को अलग – अलग अवसरों पर लगाया जाये।

(2) निगरानी सादा वर्दीधारी से करवाई जाये।

(3) निगरानी करने वाला व्यक्ति ऐसा हो, जो वहाँ की भाषा, बोल – चाल, पहनावा आदि का अभ्यस्त हो।

(4) संदिग्ध व्यक्ति को ओझल नहीं होने देना चाहिये, परन्तु उसे इस बात का आभास नहीं होने देना चाहिये कि उसकी निगरानी की जा रही है।

(5) निगरानीकर्ता को स्वयं की सुरक्षा के लिए भी सतर्क रहना चाहिये।

(6) उच्च अधिकारियों से सम्पर्क बनाये रखने के लिए निगरानीकर्ता के पास वॉयरलेस सेट, ट्रांसमीटर आदि होने चाहिये।

(7) निगरानीकर्ता के पास उचित वाहन भी होना चाहिये, जिससे आवश्यकता पड़ने पर पीछा भी किया जा सके।

(8) निगरानीकर्ता ईमानदार व अनुभवी होना चाहिये क्योंकि अपराधी काफी चालाक होते हैं।

(9) निगरानी का कार्य पूर्ण सावधानी से किया जाना चाहिये।

निगरानी किस प्रकार की जाती है–

(अ) प्रतिष्ठा, आदत, आमदनी, खर्च और धन्धे (व्यवसाय) के बारे में जांच अधिकारी के द्वारा सामयिक जांच के माध्यम से।

(ब) बुरे आचरण (चरित्र) वाले व्यक्तियों की गतिविधियों व अनुपस्थिति का सत्यापन करके।

(स) मकान गुप्त रूप से घेरकर और किसी ऐसे समय पर पहुंचना, जब व्यक्ति गैरहाजिर पाया जाये

(द) सदैव, किन्तु अनियमित अन्तराल पर, दिन और रात दोनों समय पर निवास का निरीक्षण करके।

(य) उसकी अनुपस्थिति की सूचना पटेल, पंच, सरपंच, ग्राम रक्षक आदि से लेकर।

(र) इतिहास–वृत का संकलन करके।

किसी भी व्यक्ति को निगरानी में लाने के पहले उसकी इतिहास –वृत (हिस्ट्रीशीट) खोली है, जिसमें उसके अपराध का पूर्ण इतिहास लिखा जाता है। परन्तु यह आवश्यक नहीं कि हिस्ट्रीशीटर को निगरानी में लिया ही जाये।

(घ) निगरानी का व्यावहारिक ज्ञान

निगरानी– आसूचना संग्रह में निगरानी एक महत्त्वपूर्ण माध्यम है। इसमें संदिग्ध की छोटी से छोटी गतिविधियों का अवलोकन कर ध्यान रखा जाता है। निगरानी के सैद्धान्तिक ज्ञान के साथ–साथ व्यावहारिक ज्ञान भी निम्न प्रकार से कराया जा सकता है।

निगरानी मुख्यतः दो प्रकार की होती है।

1. स्थिर निगरानी (STATIC SURVEILLANCE)

2. गतिशील निगरानी (MOBILE SURVEILLANCE)

स्थिर निगरानी– स्थिर निगरानी उस स्थान की की जाती है, जहा टारगट रहता है या ज्यादा समय बिताता है। वह स्थान टारगेट का कार्यस्थल या निवास स्थान हो सकता है।

टार्गेट हाउस

निगरानी हाउस

चित्रः– 1

चित्र नं. 1 में दर्शाये गये भवनों के अनुसार टार्गेट हाउस से निगरानी हाउस ज्यादा उंचाई पर होना चाहिये। जैसे कि निगरानी हाउस की तीन मंजिल है, उनमें से तीसरी मंजिल से टार्गेट पर आसानी से नजर रखी जा सकती है। प्रशिक्षण संस्थान के भवनों में से उपरोक्त चित्रानुसार भवन चुनकर स्थिर निगरानी का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जा सकता है।

कार्यस्थल पर निगरानीः–

संदिग्ध के कार्यस्थल पर निगरानी के लिये कोई भी कवर, जैसे –चाय की थड़ी, बूट पॉलिस, फलों का ठेला लगाकर संदिग्ध की गतिविधियों पर निगरानी रखी जा सकती है। निगरानी प्रशिक्षण हेतु संस्थान के कार्यालय के सामने ही उपरोक्त चित्रानुसार कृत्रिम रूप से सीन बनाया जाकर व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जा सकता है। (चित्र 2)

चित्र नं. 2

गतिशील निगरानी (MOBILE SURVEILLANCE)

गतिशील निगरानी मुख्यतः पैदल, वाहन द्वारा या दोनों रूप में की जाती है क्योंकि जिस प्रकार संदिग्ध मूव करेगा, उसी के अनुसार निगरानी लगाई जाती है।

पैदल निगरानी

चित्र नं. 1

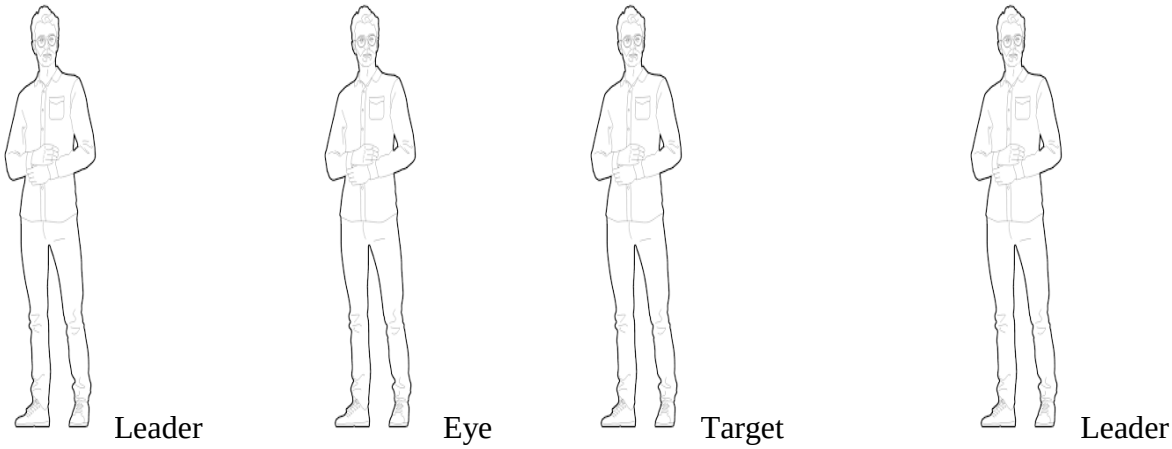

चित्र नं. 2

Eye Backing Target

Leader

पैदल निगरानी उपरोक्त चित्रों के अनुसार सम्पादित की जाती है। परिस्थिति के अनुसार मुख्य निगरानीकर्ता (आई) हमेशा टार्गेट पर नजर रखता है। लीडर का काम टीम को कमाण्ड करना है। बैकिंग हमेशा सहायक ड्यूटी में रहता है। टार्गेट की गतिविधियों के अनुसार टीम के सभी सदस्य आवश्यकतानुसार अपने स्थान भी बदलते रहते हैं। पैदल निगरानी के व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षणार्थियों में से एकको टार्गेट एवं तीन अन्य की टीम चुनी जाकर सड़क पर भीड़ में शामिल कर व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जा सकता है।

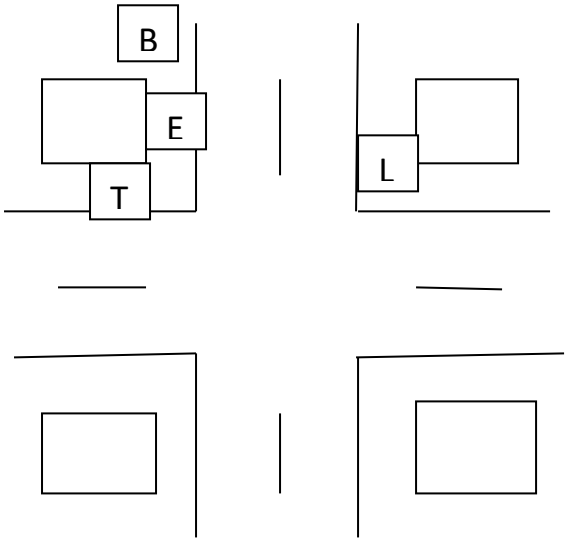

चित्र : ए

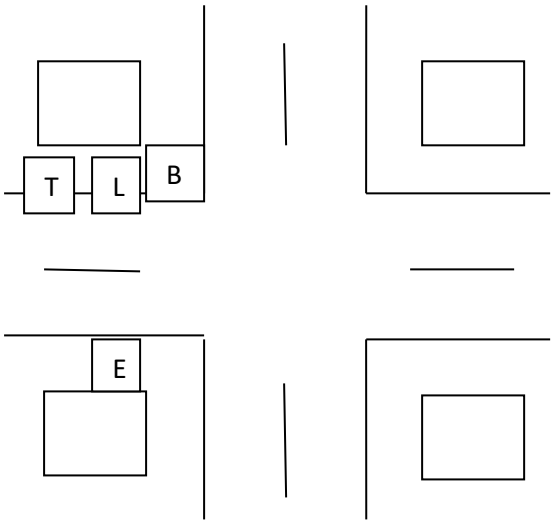

चित्र : बी

नोट :—निगरानी में उपरोक्त चित्र ए एवं बी के अनुसार टीम के सदस्य परिस्थिति के अनुसार अपना स्थान बदलते रहते हैं।

वाहन निगरानी:— वाहन निगरानी में कम से कम तीन वाहन होने चाहिये। यदि उपलब्ध हों तो चौथा वाहन भी आपात स्थिति के लिए होना चाहिये।

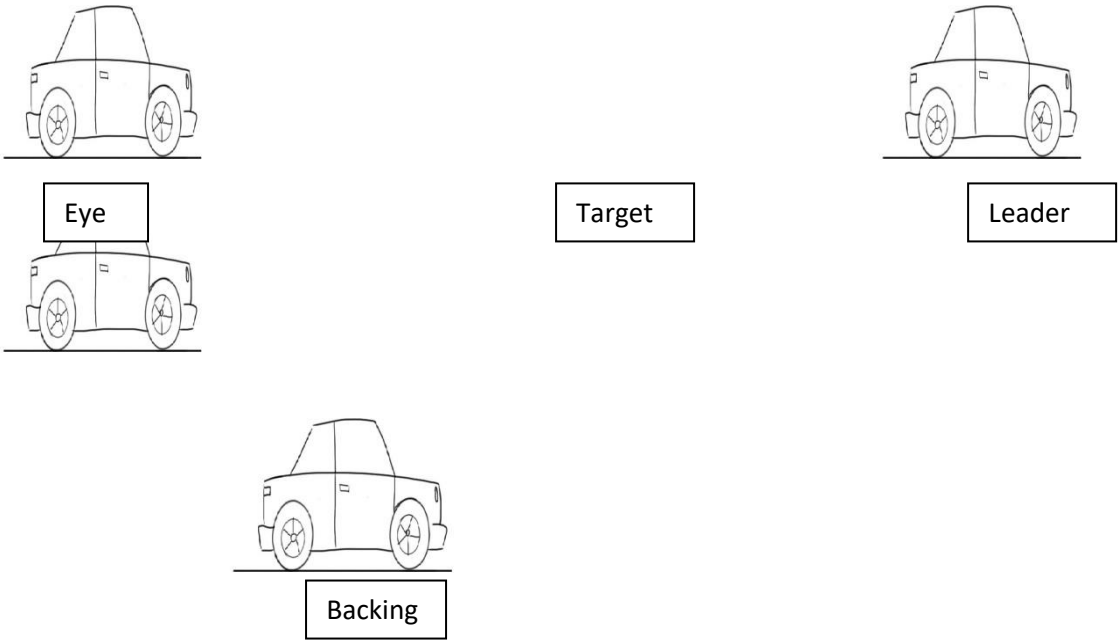

नोट :– उपरोक्त चित्रानुसार वाहन से पीछा कर टार्गेट की निगरानी की जाती है। जैसा कि पैदल निगरानी में टीम के सदस्यों द्वारा समय–समय पर स्थिति के अनुसार स्थान बदले जाते हैं, उसी प्रकार से वाहन निगरानी में भी वाहनों के स्थान बदले जा सकते हैं। वाहन की निगरानी के व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु संस्थान में उपलब्ध वाहनों के द्वारा फोरमेशन किया जाकर निगरानी का व्यवहारिक ज्ञान दिया जा सकता है।

अवलोकन / प्रेक्षण का व्यावहारिक ज्ञान

पुलिस कार्य प्रणाली में घटनास्थल, निगरानी और उपद्रवी भीड़ आदि में अवलोकन विधा की दक्षता का बहुत महत्व होता है। कक्षाओं में अवलोकन के सैद्धान्तिक ज्ञान के साथ – साथ व्यावहारिक ज्ञान करवाया जाना प्रभावी होता है। अतः सैद्धान्तिक ज्ञान के साथ निम्न प्रकार से व्यवहारिक ज्ञान भी दिया जा सकता है :–

1.घटनास्थल माध्यम से:–घटनास्थल का अपराध अनुसंधान में विशेष महत्व होता है। जितना सूक्ष्म रूप से इस का निरीक्षण किया जाये, उतनी ही अपराध एवं अपराधी को जोड़ने की सम्भावना बढ़ जाती है। प्रशिक्षण संस्थान में चोरी, डकैती, हत्या एवं एक्सीडेन्ट के विभिन्न काल्पनिक घटनास्थल बनाकर व्यावहारिक ज्ञान कराया जा सकता है।

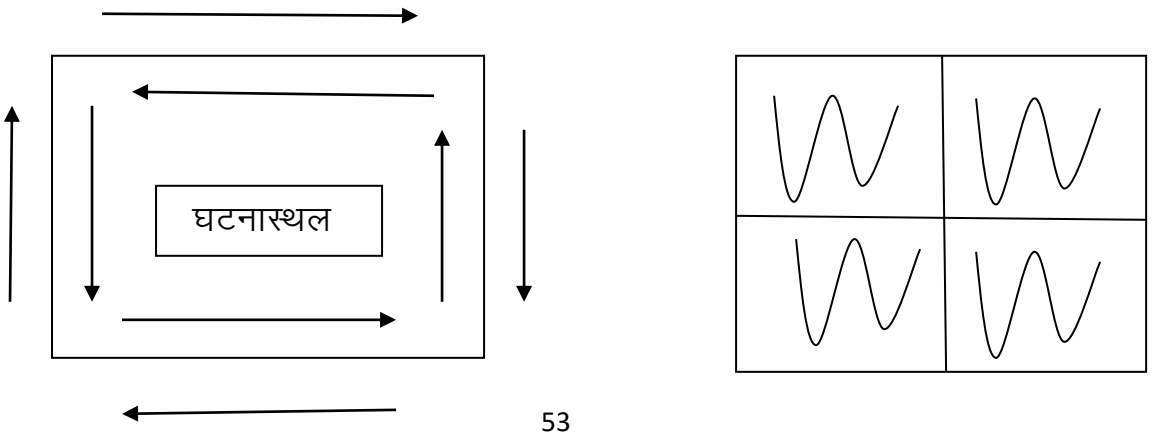

नोट :–घटनास्थल का क्लोकवाईज एवं एन्टी क्लोकवाईज प्रकार से निरीक्षण करना सिखावें। इसके साथ ही घटनास्थल को आकार के अनुसार चार भागों में अलग–अलग बांटकर अवलोकन करना सिखाया जाये, जिससे कोई भी भाग प्रेक्षण में छूट ना जाये।

2. निगरानी माध्यम से :–निगरानी में भी अवलोकन का बहुत महत्व होता है क्योंकि संदिग्ध की छोटी से छोटी गतिविधियों का ध्यान रखा जाता है। निगरानी मुख्यतः दो प्रकार की होती है –

i. स्थिर निगरानी
ii. मोबाईल निगरानी

स्थिर निगरानी ऐसे किसी स्थान की निगरानी करना है, जहाँ पर टारगेट निवास करता है या उसका कार्यस्थल होता है। निवास स्थान के लिए प्रशिक्षण संस्थान की कोई भी बिल्डिंग को चुना जाकर उसके पास की अन्य बिल्डिंग से किस प्रकार निगरानी रखी जाती है, को व्यावहारिक रूप से बताया जा सकता है कि किस प्रकार से निगरानीकर्ता टारगेट की सभी प्रकार की गतिविधियों पर नजर रखकर अवलोकन कर सकता है।

संदिग्ध के कार्यस्थल के लिए उसके बाहर कोई भी कवर, जैसे –चाय की थड़ी, फलों का ढ़ेला, बूट पोलिश करना आदि लेकर निगरानी रखकर टारगेट की सभी गतिविधियों का अवलोकन किया जा सकता है।

मोबाईल निगरानी में किसी एक कानिस्टेबल को संदिग्ध बनाकर उसे भीड़ में शामिल कर उसकी निगरानी टीम द्वारा करवाकर अवलोकन क्षमता का विकास किया जा सकता है। इसी प्रकार सभी प्रशिक्षणार्थियों को अलग–अलग टीम बनाकर यह व्यावहारिक ज्ञान दिया जा सकता है।

3. विडियो क्लिपिंग माध्यम से :– विभिन्न पिक्चरों की क्लीपिंग, जिसमें उपद्रवी भीड़ आदि के सीन को दिखाकर प्रशिक्षणार्थियों से उनकी गतिविधियों के बारे में अवलोकन रिपॉर्ट तैयार करवायी जा सकती है। इस माध्यम से उनकी अवलोकन क्षमता में वृद्धि होगी एवं व्यावहारिक ज्ञान बढ़ेगा।

4. हुलियापत्री के माध्यम से:–प्रशिक्षणार्थियों में से ही कुछ कानिस्टेबल छांटकर उनको विभिन्न प्रकार के वेश में दिखाया जाकर प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी से हुलियापत्री बनवायी जा सकती है क्योंकि हुलियापत्री बनाने हेतु प्रशिक्षणार्थी को उस व्यक्ति का सूक्ष्मता से अवलोकन करना पड़ेगा, जिससे उसकी अवलोकन क्षमता का व्यावहारिक विकास होगा।

ब. यातायात नियमन

यातायात नियमन का परिचय

भारत में मोटरयानों से संबन्धित पहला अधिनियम भारतीय मोटर यान अधिनियम 1914 था, जिसे बाद में मोटर यान अधिनियम 1939 द्वारा परिवर्तित कर दिया गया। सन् 1939 के अधिनियम को कई बार संशोधित किया गया। विभिन्न संशोधनों के बावजूद देश में सड़क नेटवर्क के विकास, भाड़े और यात्रियों के तरीके, परिवहन तकनीक में परिवर्तनों को और विशेषकर मोटरयान प्रबन्ध में सुधारी गई तकनीकों आदि को ध्यान में रखते हुए एक बोधशील एवं व्यावहारिक कानून की आवश्यकता को महसूस किया गया। विभिन्न समितियों के साथ–साथ विधि आयोग ने भी सड़क परिवहन के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया। संसद के कई सदस्यों ने भी मोटरयान अधिनियम 1939 के बोधशील पुनर्विलोकन के लिये कहा। कार्य समुह को 1939 के अधिनियम के सभी प्रावधानों का पुनर्विलोकन करने के लिये जनवरी 1984 में गठित किया गया। मोटरयान बिल को संसद में प्रस्तावित किया गया।

संसद में दोनों सदनों द्वारा पारित किये गये मोटरयान अधिनियम के बिल को राष्ट्रपति की सहमति दिनाक 14 अक्टूबर, 1988 को प्राप्त हुई। यह विधान, मोटर यान अधिनियम 1980 नाम से पहचाना जा रहा है।

मोटरयान अधिनियम में निम्न प्रकार संशोधन हुए हैं –

1. मोटर यान (संशोधित) अधिनियम 1994 (1994 का सं० 54)
2. मोटर यान (संशोधित) अधिनियम 2000 (2000 का सं० 27)
3. मोटर यान (संशोधित) अधिनियम 2001 (2001 का स० 39)
4. मोटर यान (संशोधित) अधिनियम 2019 (2019 का स० 32)

मोटर यान अधिनियम की आवश्यकताएं

(क) देश में व्यावसायिक और निजी यानों की संख्या में तेजी से वृद्धि

(ख) स्वचालित क्षेत्र में उच्च तकनीक को अपनाने के लिये आवश्यकता।

(ग) न्यूनतम बाधाओं के साथ यात्री और भाड़े का अधिक प्रवाह

(घ) सड़क सुरक्षा मानको, प्रदूषण नियंत्रण उपायों, खतरनाक और विस्फोटक सामग्रियों के परिवहन के लिये मानकों के लिये संबद्ध

(ड़) सड़क परिवहन क्षेत्र में निजी क्षेत्र प्रवर्तनों के लिये प्रक्रिया और नीति उदारीकरण का सरलीकरण

(च) अवैध व्यापार में अपराधियों को पकड़ने के प्रभावी तरीकों के लिये आवश्यकता

यातयात नियंत्रण के उपाय :–

यातायात पुलिस एवं पुलिस प्रशासन के साथ–साथ सरकार द्वारा यातायात नियंत्रण के लिए कई उपाय की विधियों को उपयोग में लिया जाता है जो निम्न प्रकार है –

1. सड़क चिन्ह –

आम नागरिकों तथा मोटर चालकों की सुविधा के लिए सड़कों का वर्गीकरण करने के साथ–साथ निर्धारित स्थानों पर सड़क चिन्ह लगाये गये हैं। इन चिन्हों को ध्यान में रखकर वाहन चलाने से दुर्घटनाओं में कमी आती है एवं सुगम यातायात रहता है।

सड़क पर लगाये जाने वाले चिन्ह तीन प्रकार के होते हैं –

(क) आदेशात्मक :– आदेशात्मक चिन्ह वाहन चालकों को एक विशेष निर्देश देते हैं, जैसे पार्किंग हॉर्न नहीं बजाना आदि। ऐसे चिन्ह प्रायः गोलाकार चिन्हों के रूप में होते हैं।

(ख) चेतावानी देने वाले :– यह वे चिन्ह होते हैं, जो कोई न कोई चेतावनी देते हैं। जैसे धीरे चले, आगे स्कूल है, आगे मोड है आदि। यह चिन्ह तिकोने रूप में दर्शाये जाते है।

(ग) सूचना देने वाले :– वे चिन्ह, जो विभिन्न सड़कों, मार्गों और शहरों की दिशा दूरी के बारे में बताते है, जैसे दिल्ली 10 किमी. है, जयपुर इधर है आदि। यह चिन्ह आयताकार रूप में दर्शाये जाते है।

2. सड़क रेखांकन –

वाहन चालकों की सुविधा के लिए सड़कों पर सफेद व पीले रंग की रेखाएं लगायी जाती है, ताकि दुर्घटना और ट्रॉफिक जाम की समस्या से छुटकारा मिल सके। यातायात को सुरक्षित एवं सुचारू रूप से चलाने के लिए वाहन चालकों पर कुछ सड़कों पर वाहन चलाने के लिए प्रतिबन्ध लगाया जाता है। इसके लिए विभिन्न सड़कों पर रेखाएं लगाकर उन्हें सुरक्षात्मक तरीके से उपयोग करने का प्रयास किया गया है।

सड़क रेखांकन निम्न प्रकार का होता है –

1. **पीली रेखा** :– जिन सड़को पर विभाजन (Divider) नहीं बने हो, उनको आधा–आधा विभाजन करने के लिए एक पीली रेखा लगा दी जाती है। किसी भी चालक को पीली रेखा को पार करने की अनुमति नहीं होती है। ऐसा करने से दूसरी तरफ से आने वाले वाहनों को बाधा पहुंचनी है और दुर्घटना होने की सम्भावना रहती है। यदि कोई चालक इसका उल्लंघन करता है, तो मोटर गाड़ी अधिनियम 1988 की धारा 119/177 के अधीन उसका चालान किया जाता है।

2. **ठहराव रेखा (Stop line)** – प्रत्येक चौराहे पर जहाँ लाल बतियां लगी होती है, कुछ दूरी पर एक सफेद या पीली रेखा सड़क पर लगाई जाती है, जिसे ठहराव रेखा कहा

जाता है। चौराहे पर रुकने वाले वाहनों को लाल बती के दौरान पार करने की अनुमति नहीं होती है। लाल बती होने पर इस रेखा से पहले रुकना जरूरी है। यदि कोई इसका उल्लंघन करता है तो उसका चालान मोटर गाड़ी अधिनियम के नियम 113(1)/177 के अनुसार किया जाता है।

3. **पीला बॉक्स (Yellow Box)** – पीला बाक्स उस सड़क पर चौराहे के पास बनाया जाता है, जहां बस रुकने की अनुमति नहीं होती है और बस या वाहन को बायें मुड़ने की अनुमति हो। इस बाक्स के द्वारा वाहनों को बायीं तरफ मुड़ने में सहायता मिलती है।

4. **जेब्रा क्रॉसिगं (Zebra crossing)** – लाल बती वाले चौराहे से थोड़ा पहले पैदल यात्रियों को सड़क पार करने की अनुमति देने के लिए जेब्रा क्रॉसिंग बनाया जाता है।

5. **बस बाक्स (Bus Box)** – सड़क पर जहाँ बस को रोकने के लिए स्थान निर्धारित किया जाता है, वहाँ पर एक बड़ा बाक्स सफेद रेखाओं से बना दिया जाता है। प्रत्येक बस इसी बाक्स में आकर रुकेगी ताकि यात्री अनावश्यक दुर्घटनाओं से बच सके और बस में सुरक्षित चढ–उतर सके।

6. **गति अवरोधक (Speed Breaker)** – जिन सड़कों व स्थानों से अधिक संख्या में वाहन तीव्र गति से गुजरते हैं, उन वाहनों की गति सीमा को कम करने और निर्धारित गति में वाहन चलाने के लिए गतिरोधक द्वारा वाहन की गति को नियंत्रित किया जाता है ताकि वाहन दुर्घटनाओं पर नियंत्रण किया जा सकें। गति अवरोधक प्रायः स्कूलों, मंदिरों, सरकारी संस्थानो व घनी आबादी वाले क्षेत्रों से गुजरने वाली सड़कों पर बनाए जाते हैं और गति अवरोधक से कुछ दूरी पर अवरोधक चिन्ह वाला बोर्ड लगाकर चेतावनी दी जाती है। गति अवरोधक पर सफेद रेखाएं भी लगाई जाती हैं, ताकि दुर्घटनाओं से बचा जा सके।

यातायात नियंत्रण के तरीके

A. यातायात संकेत द्वारा –

यातायात संकेतक मुख्यतः दो प्रकार से दिये जाते हैं

1. **मैनुअल यातायात संकेत** – ये संकेत यातायात पुलिस कर्मचारियों द्वारा हाथ से दिये जाते हैं।
2. इलेक्ट्रिक ट्राफिक यातायात संकेत – ये संकेत प्रायः इलेक्ट्रिक उपकरणों की सहायता से दिये जाते हैं।

B. यातायात नियंत्रण के साधनों द्वारा –

यातायात पुलिस द्वारा जिन साधनों (उपकरणों) का उपयोग किया जाता है, उसका विवरण निम्न प्रकार हैं –

1. **गति मापन उपकरण** :– प्रायः वाहनों की गति मापने के लिए गतिमापक यंत्र को उपयोग में लाया जाता है, जिसे इन्टरसेप्टर (Intercepter) वाहन में रखकर प्रयोग में लिया जाता है। तथा यातायात पुलिसकर्मी इस यंत्र का प्रयोग तेज गति से आ रहे वाहन पर केन्द्रित करके करते हैं। प्रायः इस यंत्र का प्रयोग राष्ट्रीय राजमार्ग, रिंग रोड तथा दुर्घटना सम्भावित क्षेत्रों में किया जाता है। गति सीमा का उल्लंघन करने वाले वाहनों का चालान एम.वी. एक्ट 1988 की धारा 112/183 के अधीन किया जाता है।

2. **भार मापी यंत्र** :– इस यंत्र का उपयोग उन वाहनों का भार मापने के लिए किया जाता है, जो अधिकृत भार से अधिक भार का परिवहन कर रहा है। इस यंत्र में अगले व पिछले भार के लिए दो छोटे प्लेटफार्म होते हैं। अगली तरफ व पिछली तरफ से एक्सल के पास इस यंत्र के दोनों प्लेटफार्मों को रखा जाता है। इसके बाद कुल एक्सल भार में से पंजीकरण पुस्तिका में दर्ज खाली वाहन का भार घटा दिया जाता है। यह घटाए गए वजन के बाद शेष भार निर्धारित वजन से अधिक हो तो उसके विरुद्ध एम.वी. एक्ट की धारा 113/194 (1) के अधीन कार्यवाही की जाती है।

3. धुआँ मापी यंत्र (आटोमैटिक स्मोक एनालाइजर) :– इस यंत्र का उपयोग उन वाहनों के विरुद्ध किया जाता है, जो वायु प्रदुषण फैलाते हैं। वाहनों से निकलने वाले धुएं की जांच करने के लिए इसका उपयोग किया जाता हैं। यदि वाहन में कार्बन कणों का घनत्व निर्धारित मात्रा से अधिक पाया जाता है, तो ऐसे वाहनों के विरुद्ध धारा 190 (3) एम.वी. एक्ट के तहत कार्यवाही की जाती है। कार्बन कणों का घनत्व चार पहियों वाले वाहनों में 4.5-5.0% से कम व तिपहिया वाहनों में 5.5% से कम होना चाहिए।

यातायात संकेत

यातायातकर्मी द्वारा दिये जाने वाले संकेतों/ऑटोमेटिक लाईट व मेनुअल की जानकारी

यातायात को सुचारू रूप से चलाने में यातायातकर्मी द्वारा दिये जाने वाले हाथ के इशारे, इलेक्ट्रिक सिग्नल का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है।

इलेक्ट्रिक एवं ऑटोमेटिक लाईट सिग्नल :– मुख्य सड़कों, बड़े शहरों में यातायात व्यवस्था के लिये ऑटोमेटिक सिग्नल सबसे ज्यादा कारगर है, तीन प्रकार की लाईट होती है जिनका अपना अलग–अलग उद्देश्य है।

1. **लाल लाईट** :–स्टॉप लाईन से पहले रुकिये।

2. **पीली लाईट** :– चौकस होकर चलने की तैयारी करें ।

3. **हरी लाईट** :– जिधर जाने का सिग्नल है, यदि उधर जाना है, चलिये।

ऑटोमैटिक लाईट का समय चौराहे पर यातायात के दबाव के अनुसार होता है।

ट्रेफिक कानिस्टेबल द्वारा दिए जाने वाले हाथ के इशारे :– जहां ऑटोमेटिक सिग्नल लाईट की व्यवस्था नहीं है, वहां सड़क या चौराहे पर यातायात पुलिस कानिस्टेबल ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए हाथ से कुछ विशेष प्रकार के इशारे करता है।

1. **पीछे से आते हुए वाहन को रोकना** :– इसके लिए पुलिस कर्मचारी अपनी बांयी भुजा कन्धों के बराबर भूमि के समानान्तर इस प्रकार बढ़ाता है कि हथेली सामने की ओर हो एवं हथेली के पीछे से आते हुए वाहनों को सामने की ओर से दिखलाई पड़े।

2. **सामने से आती हुई गाडी को रोकना** :– इसके लिए सिपाही अपनी दायी भुजा को सिर के ऊपर इस प्रकार उठाता है कि सामने से आने वाले वाहनों को साफ दिखाई पड़े। जब सामने से भी अलग – अलग मार्गों से वाहन आ रहे हों और पुलिस कर्मचारी उनमें से एक मार्ग से आने वाले वाहन को रोकना चाहता है तो वह अपना मुख उस आने वाले वाहनों की दिशा में करता है।

3. **सामने–पीछे से आने वाले वाहनों को रोकना** :– इसके लिए सिपाही बताए गए दोनों ऊपर वाले संकेत देता है, यानि पीछे से आने वाले वाहन के लिए अपने बायें हाथ को कधों के बराबर भूमि के समानान्तर इस प्रकार बढ़ाता है कि हथेली सामने की ओर हो और हथेली के पीछे का भाग पीछे से आने वाले वाहनों को सामने से दिखाई पड़े। सामने से आने वाले वाहनों को रोकने के लिए पुलिस कर्मचारी अपनी दाहिनी भुजा सिर के ऊपर से इस प्रकार उठाता है कि सामने से आने वाले वाहनों को उसकी हथेली दिखाई पड़े।

4. **बांयी ओर से आते वाहनों को दायीं ओर जाने से मना करना** :– इसके लिए पुलिस कर्मचारी अपने बायें हाथ को कंधे के बराबर भूमि के समानान्तर बढ़ाता है और दायां हाथ आगे की ओर थोड़ा सा इस प्रकार उठाता है कि हथेली नीचे की ओर रहे।

5. **दांयी ओर से आते हुए वाहनों को रोकने व दायीं ओर से जाते हुए वाहनों को, जो दायीं ओर मोड़ना चाहते है, जाने देना** :– इसके लिए पुलिस कर्मचारी अपनी दायीं भुजा कंधों के ऊपर 135 डिग्री का कोण बनाते हुए उठाता है। उसकी हथेली का रुख दायी ओर होता है व बायें हाथ को कंधों के बराबर भूमि के समानान्तर लाता है।

6. **दायीं ओर से आने वाले वाहनों को, जो दायीं ओर मुड़ना चाहते है, जाने देना** – इसके लिए पुलिस कर्मचारी अपनी बायीं भुजा को कंधे के ऊपर 135 डिग्री कोण बनाते हुए उठाता है और हथेली का रुख बायीं ओर रखता है और वह दाहिने हाथ को सिर के ऊपर लेने के साथ हथेली को सामने रखता है।

7. यातायात को बंद करने की चेतावनी :– इसके लिए पुलिस कर्मचारी अपने दाहिने व बांये हाथों को कंधे के बराबर व सिर के ऊपर के बीच की स्थिति में इस प्रकार रखता है कि दाहिने हाथ की हथेली दाहिनी दिशा में व बायें हाथ की हथेली बायी दिशा की ओर हो।

8. बायीं ओर से आ रहे वाहन को आगे बढ़ने देना :– इसके लिए पुलिस कर्मचारी दाहिने हाथ को सिर के ऊपर इस प्रकार रखता है कि हथेली सामने की ओर हो, बायें हाथ को कंधे के बराबर रखते हुए कोहनी को ऊपर की ओर मोड़ता है व हथेली का रुख दाहिनी ओर करता है। उस समय उसका मुख बायीं दिशा में होता है।

9. बायीं ओर से आ रहे वाहनों को बढ़ने देना :– इसके लिए पुलिस कर्मचारी अपने बायें हाथ को कंधे की सीध में इस प्रकार रखता है कि हथेली की ओर रहे और दाहिने हाथ को कोहनी की सीध में रखते हुए कोहनी को ऊपर की ओर मोड़ता है।

10. सामने से आ रहे वाहनों को बढ़ने देना :– इसके लिए पुलिस कर्मचारी दाहिने हाथ को कंधे की सीध में रखते हुए कोहनी को ऊपर की ओर मोडता है, हथेली का रुख वाहन के पीछे की ओर रखता है एवं ऐसा वह प्रायः बार–बार करता है।

4. सुगम एवं सुरक्षित यातायात : एक चुनौती

आजकल ट्रेफिक को नियंत्रित करना एवं ट्रेफिक सम्बन्धी अपराधों पर नियंत्रित करना गंभीर चुनौती है।

ट्रेफिक यातायात

सुरक्षित एवं नियमित यातायात संचालन हेतु जनता का सहयोग आवश्यक है। बिना जन सहयोग के सुगम एवं सुरक्षित यातायात का लक्ष्य असंभव है।

- जो भी यातायात के कानून, नियम बने है, उसकी जानकरी स्कूलों में बच्चों को दी जाती है। उनको अध्ययन में भी नियमित रूप से यातायात नियमों की शिक्षा देनी चाहिए।
- चालक का कर्तव्य है कि वह वाहन चलाते समय हेलमेट/सीट बेल्ट का प्रयोग अवश्य करें।
- गाँवों में जुगाड़ नहीं चलने चाहिए। जनता को चाहिए कि उसको बन्द करे। इससे गम्भीर दुर्घटनाएं होती है।
- भारत में प्रति वर्ष सड़क दुर्घटनाओं से लाखों व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त होते हैं एवं इनकी मृत्यु हो जाती है। जनता को चाहिए कि वो यातायात के कानून/नियम बने हुए हैं, इसकी पालना करें।
- यातायात नियमों की पालना करने से न केवल स्वय का जीवन सुरक्षित रहता है, अपितु जनता भी सुरक्षित रहती है।

इस प्रकार ट्रैफिक नियमों का अक्षरशः पालन करके ही घटित होने वाले अपराधों पर नियंत्रण रखकर इस गम्भीर चुनौती से निपटा जा सकता है।

5. यातायात ड्यूटी के आचरण

ड्यूटी के दौरान यातायात पुलिसकर्मी को निम्न बातें ध्यान में रखनी चाहिए –

- यातायात पुलिसकर्मी संयमित एवं मर्यादित होना चाहिए।
- यातायात पुलिसकर्मी को सदैव सहनशील रहना चाहिये।
- यातायात पुलिसकर्मी को ड्यूटी के दौरान उत्तेजित नहीं होना चाहिये।
- पुलिस आमजन की शान्तिपूर्वक बात सुने एवं तुरन्त निस्तारण करें।

- पुलिसकर्मी को चाहिये कि आम नागरिकों एवं वाहन चालक को 'श्रीमान' आदि शब्दों से सम्बोधित कर बात करें।
- यातायात पुलिसकर्मी द्वारा वाहन चौकिंग के दौरान जो कमियाँ पायी जाये, उन पर उत्तेजित न होकर शान्तिपूर्वक निराकरण करें।
- यातायात पुलिस को चाहिये कि हर मोड़ पर एवं महत्वपूर्ण स्थानों को चिन्हित कर मार्गदर्शन के बोर्ड लगायें ।
- वाहनों के रिफ्लेक्टर लगाने की जानकारी तथा इसके गुण भी बतायें एवं रिफ्लेक्टर लगाने के लिए वाहन चालक को प्रेरित करें।
- यातायात पुलिसकर्मी को वाहन मालिक एवं वाहन चालक को नम्बर प्लेट नियमानुसार लगाने के बारे में समझाना चाहिए।

राज्य में पुलिस अपना कर्तव्य पालन नियमपूर्वक एवं जिम्मेदारी से करे। प्रत्येक पुलिस अफसर को अपने कर्तव्य अधिकारों शक्तियों का ज्ञान होना चाहिए। इसके लिए ट्रेफिक ड्यूटी में निम्न आचरण नियमों का पालन करना चाहिए –

1. पुलिस को अपने कर्तव्य का पालन शान्तिपूर्वक करना चाहिए। जहां कही बल प्रयोग की आवश्यकता हो तो कम से कम बल प्रयोग कर अपना कर्तव्य निभाना चाहिए।

2. कड़े अनुशासन का पालन करना पुलिस की पहली शिक्षा है, जिससे कर्तव्य पालन में निरन्तर समयबद्धता और निष्ठा में वृद्धि होती है। अनुशासन के द्वारा ही पुलिस विभाग में आज्ञापालन के उच्च स्तर को कायम रखा जा सकता है। अतः प्रत्येक पुलिस अधिकारी को अनुशासन में रहकर कर्तव्य पालन करना चाहिए ।

3. सभी यातायात को सुगमता से चलाए ताकि ट्रैफिक जाम की समस्या उत्पन्न नहीं हो।

4. यदि कोई भी चालक यातायात नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसे नियमानुसार वाहन चलाने की हिदायत दे। बार–बार अवहेलना करने पर उसके विरुद्ध उचित कानूनी कार्यवाही करें।

5. ट्रेफिक पुलिस को अपने कर्तव्य का पालन साहस, ईमानदारी एवं निष्ठा के साथ करना चाहिए।

6. किसी भी व्यक्ति के साथ अनावश्यक बहस न करें।

7. प्रत्येक व्यक्ति के साथ अच्छा व्यवहार करें।

8. सामाजिक प्रतिष्ठा का खयाल किए बिना ट्रैफिक पुलिस को अपना काम करना चाहिए।

9. कर्तव्य पालन के दौरान पुलिस को विशाल दृष्टिकोण अपनाना चाहिए व किसी से कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए।

10. पुलिस बल का प्रत्येक सदस्य ईमानदार एवं निष्ठावान होना चाहिए। उसे उदाहरण के रूप में जनता के सामने आना चाहिए क्योंकि कर्तव्य के प्रति निष्ठा एवं व्याहारिक ईमानदारी पुलिस प्रतिष्ठा का आधार होता है।

चौराहों पर यातायात का नियमन

यातायात को सुचारू रूप से संचालित करने में रोड डिवाइडर, रोड कट आदि का विशेष महत्व है। यातायात के सुचारू संचालन में रोड कट अवरोध पैदा करते है। अतः इन रोड़ कट पर जाब्ता तैनात किया जावे, जो हाथ के इशारों से यातायात को नियंत्रित करेंगे। इन रोड कट्स पर, जहाँ 'U' टर्न प्रतिबंधित हो, वहाँ पर आवश्यक रूप से साइन बोर्ड लगाया जावें और इन रोड़ कट्स पर आवश्यकतानुसार लाल व पीली ब्लिंकर बत्ती की व्यवस्था की जावे।

7. INTERCEPTOR VEHICLE

इन्टरसेप्टर का शाब्दिक अर्थ है – बीच में रोकना।

इन्टरसेप्टर वाहन में निम्न उपकरण होते हैं –

1. वाहन :– यह एक लाईट वाहन होता है, जैसे – जिप्सी इनोवा आदि।

2. एक इनवर्टर 3. दो कैमरे 4. एक प्रिन्टर

5. एक डीवीडी राईटर 6. दो एलसीडी मोनिटर 7. एक ब्रीथ एनालाइजर

इन्टरसेप्टर में दो कैमरे लगे होते हैं। जो सामने से आने वाले वाहन की गति सीमा को व साईड पिक्चर को नापते व दिखाते है।

(क) **पहला कैमरा** :–

(i) यह यंत्र सड़क के ऊपर चलते हुए वाहन की गति को देखने के काम आता है।

(ii) यह यंत्र 100 मीटर की दूरी से ही वाहन की गति को नाप लेता है।

(iii) यह एक हेण्डी मूवी कैमरे की तरह होता है और इसके साथ लेजर लाईट लगी होती हैं, जो चलते हुए वाहन से 100 मीटर दूर वाहन पर लग कर वापिस उसकी रफ्तारी सूचना प्रदान करता है।

(iv) इन्टरसेप्टर कैमरे द्वारा मिली हुई सूचना एक तार के जरिए गाड़ी में लगे हुए एलसीडी मॉनिटर में दिखाती है और गाड़ी में लगे हुऐ डीवीडी राईटर में लॉड कर लेती है।

(ख) **दूसरा कैमरा** :–

(i) यह केमरा वाहन की छत पर एक फ्रेम में लगा होता है जो 180 डिग्री तक घूमता है।

(ii) इस कैमरे का मुख्य काम 100 मीटर दूरी तक होने वाली हर एक घटना को गाड़ी में

लगे दूसरे एलसीडी मॉनिटर में दिखाता है।

(iii) इस कैमरे द्वारा ली गई तस्वीरों को गाड़ी में लगे हुऐ डीवीडी राईटर में लॉड कर लिया जाता है।

(iv) इस कैमरे के द्वारा 100 मीटर दूरी से ली गई तस्वीरों को जूम करके भी देखा जा सकता है।

(ग) **प्रिन्टर** :–

(i) यह यंत्र गाड़ी में लगे कैमरे के द्वारा भेजी गई तस्वीरों को डीवीडी राईटर के माध्यम से प्रिन्ट कर देता है।

(ii) इसके द्वारा निकाले गये प्रिन्ट को वाहन की गति व चालक की स्थिति की खींची गई तस्वीर को जूम कर प्रिन्ट निकालता है, जो कि कोर्ट में साक्ष्य के लिए काम में ली जाती है।

(घ) **डीवीडी राईटर** :–

(i) यह वाहन के ऊपर लगे कैमरे के द्वारा भेजी गई तस्वीरों को अपने अन्दर लगे मेमोरी में लॉड कर लेता है और नम्बर एक एलसीडी मॉनिटर पर भी दिखाता है।

(ii) यह वाहन के अन्दर माउन्टेन पर लगे कैमरे के द्वारा भेजी गई चलते वाहन की गति की सुचना को अपनी मेमोरी में लॉड कर लेते है और नम्बर दो मॉनिटर पर दिखाता है।

(ड़) **एलसीडी** :–

इस वाहन के अन्दर दो एलसीडी मॉनिटर लगे हुए होते हैं।

(क) एक एलसीडी मॉनिटर वाहन के ऊपर लगे हुऐ कैमरे के द्वारा भेजी हुई तस्वीरों को दिखाता है।

(ख) दूसरा एलसीडी मॉनिटर वाहन के अन्दर माउन्टेन पर लगे हुऐ कैमरे के द्वारा भेजी हुई तस्वीर, जिसमें चलते वाहन की गति को दिखाता है।

ब्रीथ एनलाईजर (BREATH ANALYSER)

यह भी एक इलेक्ट्रोनिक उपकरण है। इसका मुख्य कार्य चालक द्वारा पी हुई एल्कोहॉल को उसकी सांसों के द्वारा चैक करना है और मात्रा को अपने ऊपर लगे डिजीटल स्क्रीन पर दिखाना है। यह दो प्रकार के होते है।

(i) सूटकेसनुमा :– यह यंत्र एक मोबाईल की तरह का होता है। इसमें एक डिजीटल स्क्रीन, चार बटन, एक प्रोसेसर बार होती है। इसके ऊपर एक पाइप लगा होता है।

इस यंत्र पर लगे हुऐ पाईप को चालक के मुंह में लगाकर हवा छोड़ने को कहा जाता है और प्रिन्ट बंटन से यंत्र की स्क्रीन पर आई एल्कोहॉल मात्रा को प्रिन्ट कर लिया जाता है।

(ii) बैगनुमा :– यह यंत्र बैग की तरह होता है। इसका कार्य चालक के द्वारा ली गई एल्कोहॉल की मात्रा चौक करना होता है।

सजा का प्रावधान :

1. अगर कोई चालक अधिक गति से वाहन को चलाता है तो एम. वी. एक्ट की धारा 184 के तहत चालान कर न्यायालय में पेश कर दिया जाता है और वाहन को जब्त कर लिया जाता है।

2. अगर कोई वाहन चालक 30mg से अधिक मात्रा में एल्कोहॉल का सेवन कर वाहन चलाता है तो उसे एम. वा एक्ट की धारा 185 के तहत वाहन को जब्त कर चालान कर न्यायालय में पेश किया जाता है।

<u>दुर्घटना स्थल की सुरक्षा</u> – जब कोई वाहन दुर्घटना होती है तो घटना स्थल पर निम्न कार्य किये जाते हैं –

1. साक्ष्य की सुरक्षा

2. स्किड मार्क्स उठाना

3. यातायात का डायवर्जन

दुर्घटना स्थल को घेर कर उसको सुरक्षित करना आवश्यक है।

दुर्घटना स्थल पर वाहनों के पहियों के निशान मिलते हैं। उनको भी सुरक्षित कर घटनास्थल पर FSL की टीम बुलाकर पहियों के निशान की फोटो लेनी चाहिए एवं अन्य वैज्ञानिक ढंग से पहियों एवं अन्य निशान उठाने चाहिए। मौके पर खून इत्यादि मिलाते है, उनको सुरक्षित उठाने चाहिए।

घटनास्थल पर साक्ष्य सुरक्षित रहे, इसके लिए यातायात को समुचित रूप से विभाजित भी किया जाना चाहिए।

दुर्घटना स्थल पर निम्न साक्ष्य एकत्र किये जा सकते हैं –

1. पीड़ित व्यक्ति की गाड़ी के पेंट की परत (टुकड़े) मिलना

2. घटनास्थल पर अपराधी की गाड़ी के पेंट की परत (टुकड़े) मिलना

3. वाहन के टायरों में स्टैंडर्ड चिन्हों का पाया जाना

4. घटनास्थल पर टूटी हुई हैडलाइट के शीशे के टुकड़े का पाया जाना

5. संदिग्ध व्यक्ति की गाड़ी पर पेंट की परत का पाया जाना

6. पीड़ित व्यक्ति की गाड़ी के पेंट की परत का घटनास्थल पर पाया जाना

7. मौके पर संदिग्ध वाहन के टायर चिन्हों का पाया जाना

2. ट्रेफिक डाईवर्जन :– दुर्घटना होने की सबसे बड़ी समस्या यातायात जाम होने की स्थिति है। अतः पुलिस को सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंचना चाहिए एवं यातायात को सुचारू रूप से नियंत्रित करना चाहिए। इसके लिए क्षतिग्रस्त वाहनों को जल्दी से जल्दी घटनास्थल से हटा कर यातायात शुरू करवाना चाहिए। यदि वाहन क्षतिग्रस्त होकर इस प्रकार फंस गये हो कि वाहन नहीं निकल सकते तो तुरंत ही वैकल्पिक रास्ते से यातायात को डायवर्ट करना चाहिए। ट्रैफिक डाईवर्जन के लिए सड़क पर दोनों बिन्दुओं पर जहां डायवर्जन किया है, उपयुक्त जाब्ता तैनात किया जाये। यातायात के उस मार्ग पर सुचारू रूप से शुरू होने के बाद डायवर्जन समाप्त कर देना चाहिए।

दुर्घटना में पीड़ित को सहायता, दुर्घटना पीड़ित को प्राथमिक चिकित्सा और वाहन से अस्पताल पहुंचाना

घायलों के प्राथमिक उपचार के सिद्धान्त

प्राथमिक चिकित्सा किसी भी व्यक्ति को तत्काल व अल्पकालीन रक्षा के लिए दी जाने वाली सहायता को कहते हैं। प्रायः जानकारी के अभाव में हम लोग इस प्रकार की कार्यवाही कर बैठते है, जिससे दुर्घटनाग्रस्त या घायल व्यक्ति की सहायता करने के स्थान पर उसका अहित कर देते है और इस कारण उसकी मृत्यु तक हो जाती है।

प्राथमिक चिकित्सा का महत्व

घायल व्यक्ति के लिए दुर्घटना का प्रथम एक घण्टा, गोल्डन ऑवर माना जाता है। यदि इस अवधि में उसे उचित सहायता मिल जाती है तो घायल व्यक्ति की जान बच सकती है। डॉक्टर तक पहुंचने के पहले उस व्यक्ति की हालत इतनी खराब हो सकती है कि डॉक्टर किसी भी प्रकार की चिकित्सा करने में सफल न हो पाए। प्राथमिक सहायता का उद्देश्य यह है कि दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को उचित सहायता पहुँचायी जाए और जब तक डॉक्टर की सहायता उपलब्ध नहीं हो, तब तक उसकी स्थिति को और अधिक बिगड़ने से रोका जा सके।

प्रायः दुर्घटना होने पर लोग घबरा जाते है और अपना धैर्य खो बैठते है। एक पुलिसकर्मी को, जिसे प्राथमिक चिकित्सा का प्रशिक्षण दिया गया है, यह बताया जाता है कि उनके अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए।

प्राथमिक चिकित्सा के सुनहरे नियम

1. परिस्थिति व कार्य की आवश्यकता को देखते हुए कार्य को स्वच्छता, शीघ्रता व शान्ति से किया जाना चाहिए।

2. यदि प्राथमिक चिकित्सा के लिए आवश्यक वस्तुए उपलब्ध न हो तो उन वस्तुओं को तत्काल उपलब्ध कराना चाहिए।

3. दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की उचित रूप से जाँच करके यदि आवश्यक हो तो उसे लिटा देना चाहिए और प्राथमिक चिकित्सा प्रारम्भ करने के साथ ही साथ डॉक्टर को बुलाने का प्रबन्ध भी करना चाहिए।

4. घायल व्यक्ति को दुर्घटनास्थल से शीघ्र ले जाने का प्रबंध किया जाना चाहिए।

5. दुर्घटना के प्रभाव को तुरन्त दूर करना चाहिए, उदाहरणार्थ यदि किसी अंग से रक्त बह रहा हो तो तुरन्त रक्त बहने से रोकने का प्रबन्ध करना चाहिए।

6. यदि व्यक्ति मुर्छित हो तो मूर्छा का कारण ज्ञात करके दूर करने का प्रयास करना चाहिए।

7. यदि दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की हड्डी टूट गयी है तो हड्डी को स्थिर किए बिना दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को वहां से नहीं हटाना चाहिए। यदि दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की सांस में रुकावट है तो कृत्रिम सांस देने का प्रबन्ध करना चाहिए।

8. यदि दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को गहरा घाव हो गया है तो उस पर साफ कपड़े की पट्टी बांध देने से घाव में जहरीले कीटाणुओं का प्रवेश रोका जा सकता है।

9. दुर्घटना के कारण दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति बुरी तरह घबरा जाता है और डर से कांपने लगता है। ऐसी दशा में उसे हिम्मत बंधानी चाहिए और यदि ठंड का मौसम हो तो उसके शरीर को गर्म कपड़े से ढक देना चाहिए।

10. प्रायः अज्ञानता के कारण लोग बेहोश हुए व्यक्ति को गरम चाय, दूध आदि पिलाने की कोशिश करते है, किन्तु ऐसा करना बिल्कुल गलत होता है क्योंकि ऐसी स्थिति में तरल पदार्थ उसकी श्वास नली में जा सकता है, जिसके कारण उसकी मृत्यु तक हो सकती है।

11. प्राथमिक चिकित्सा देते समय चिकित्सा देने वाले व्यक्ति को अपना व्यवहार सहानुभूतिपूर्ण रखना चाहिए।

12. यदि चिकित्सा के अलावा आसपास अन्य व्यक्ति भी खड़े हों तो उनकी सहायता भी प्राथमिक चिकित्सा के लिए मांगना काम को आसान बनाने में सहायक हो सकता है।

13. दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को किसी विशेष स्थिति में आराम मिलता है। इस बात को ध्यान में रखा जाकर उसे करवट में लिटाना लाभदायक हो सकता है।

प्राथमिक उपचार (First Aid)

1. यदि चोट लगा व्यक्ति किसी कमरे या स्थान पर हो तो सभी खिड़कियां और दरवाजे खोल देने चाहिए। यदि वह खुले स्थान पर हो तो आस–पास एकत्रित भीड़ को तत्काल हटा देना चाहिए। ऐसा करने से चोट लगे व्यक्ति को शुद्ध व ताजी हवा मिलेगी। हानिकारक गैसों, अशुद्ध वायुमण्डल आदि से चोट लगे व्यक्ति को बचाना चाहिए।

2. कमर, गर्दन, छाती आदि स्थान के कसे हुऐ कपड़े को ढीला कर देना चाहिए।

3. यदि श्वास नहीं चल रहा हो तो कृत्रिम श्वास दिया जाना चाहिए।

4. आवश्यकतानुसार जल्दी ही चोटग्रस्त व्यक्ति को आराम की स्थिति में सुरक्षित स्थान पर ले जाना चाहिए।

5. जब तक अत्यन्त आवश्यक न हो, तब तक रोगी को बिना किसी अन्य जिम्मेदार व्यक्ति को सुपुर्द किए, छोड़कर नहीं जाना चाहिए।

6. जब तक व्यक्ति अचेत रहे, कोई भी भोजन (ठोस या तरल) उसे मुँह के द्वारा नहीं देना
चाहिए।

7. होश आने पर पीने के लिए पानी दिया जा सकता है। नाड़ी के कमजोर होने की स्थिति में गर्म चाय व कहवा पीने को दिया जा सकता है।

8. चोटग्रस्त व्यक्ति को पीठ के बल ऐसे लिटाना चाहिए कि जिससे उसका सिर एक तरफ को झुका रहे। यदि मुँह पीला पड़ गया हो तो सिर को नीचा और पैरों को ऊँचा उठा देना चाहिए। यदि मुंह लाल पड़ गया हो तो कंधो और सिर को ऊँचा उठा देना चाहिए।

वाहन से अस्पताल पहुँचाना –

दुर्घटना में घायल व्यक्ति को जहां तक हो सके, शीघ्रातिशीघ्र गाड़ी द्वारा अस्पताल पहुंचाना चाहिए तथा गाड़ी में बैठाते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि पीड़ित व्यक्ति के फ्रैक्चर या टूट–फूट हुई है, तो शारीरिक नुकसान अधिक नहीं हो इसीलिए उनको स्ट्रेचर

पर लेटा कर एम्बुलेंस के द्वारा अस्पताल पंहुचाना चाहिए, जिससे घायल व्यक्ति को तुरन्त इलाज मिल सके।

दुर्घटना के होने पर व्यवस्था सम्बन्धी जानकारी एवं प्राथमिक सहायता –

1. यातायात पुलिसकर्मी ड्यूटी के दौरान कोई दुर्घटना होने पर 108 दुर्घटना वाहिनी एम्बुलेंस को तुरन्त सूचना करें।
2. घायल को तुरन्त हॉस्पिटल भिजवाने की व्यवस्था करें।
3. अगर 108 दुर्घटना वाहिनी एम्बुलेंस किसी कारण से नहीं पहुंचती है तो दूसरे वाहन के माध्यम से घायलों को प्राथमिक उपचार कर हॉस्पीटल भिजवायें।
4. घायलों के परिजनों को तुरन्त सूचना करने की व्यवस्था करें।
5. दुर्घटना स्थल पर तुरन्त यातायात व्यवस्था शुरू करे।
6. यातायात पुलिसकर्मी यह भी ध्यान रखे कि दुर्घटना के दौरान कोई असामाजिक तत्व दुर्घटना स्थल पर किसी प्रकार का व्यवधान ना डाले सकें।
7. दुर्घटना स्थल पर अत्यधिक भीड़ एकत्रित नहीं होने देना चाहिए।
8. दुर्घटना की सूचना अपने उच्च अधिकारियों को तुरन्त देनी चाहिए।
9. दुर्घटना घटित होने पर आवश्यक प्राथमिक चिकित्सा देनी चाहिए।
10. दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की प्राथमिक चिकित्सा करते समय विशेष तौर पर चोट का ध्यान रखना चाहिए। यदि चोट ज्यादा लगी हुई है व खून ज्यादा बह रहा है तो पहले कपड़े से चोट लगी हुई जगह को बांधना चाहिए, ताकि खून रुक सके।
11. दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के शरीर में टूट–फूट हुई है तो जहाँ तक हो सके, शरीर को सीधा रखना चाहिए।
12. दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की प्राथमिक चिकित्सा करने के बाद उस वाहन को कब्जे में लेना चाहिए, जिससे दुर्घटना घटित हुई है।

यातायात जाम के समय ड्यूटी में ध्यान रखने वाली बातें –

जाम के दौरान ट्रेफिक मैनेजमेन्ट के लिये निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिये –

1. यातायात जाम अगर किसी एक्सीडेन्ट के कारण है तो एक्सीडेन्ट हुए वाहन व व्यक्तियों को तुरन्त घटनास्थल से हटा देना चाहिये।
2. अनावश्यक भीड़ जमा नहीं होने दें।

3. यातायात जाम के दौरान पर्याप्त पुलिस जाप्ते की व्यवस्था होनी चाहिये।

4. वी. आई. पी. के आगमन के कुछ समय पूर्व ही ट्रैफिक रोकना चाहिये, न कि कई घंटो पहले क्योंकि इससे यातायात जाम की विकट स्थिति पैदा हो सकती है।

5. वी. आई. पी. के आगमन के दौरान एक वैकल्पिक मार्ग से वाहनों को निकालना चाहिये।

6. बड़े शहरों में आए दिन जाम की स्थिति पैदा हो जाती है, इसके लिये शहरों में निम्न व्यवस्था होनी चाहिए –

(i) ओवरब्रिज –

बड़े शहरों में रेलवे क्रोसिंग या भीड़–भाड़ वाले इलाके में, जहाँ पर ट्रैफिक का दबाव अधिक रहता है, ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए, रेलवे लाईन या रोड़ के ऊपर पुल बना दिया जाता है, जिससे ट्रेफिक बिना रुके आसानी से निकल जाता है और जाम की स्थिति पैदा नहीं होती तथा ट्रैफिक कंट्रोल रहता है तथा इस प्रकार के पुल को ओवर ब्रिज कहते हैं।

(ii) फ्लाई ओवर –

जैसा कि नाम से ही प्रतीत है, महानगरों में अत्यधिक ट्रेफिक होता है, उसे कंट्रोल करना मुश्किल होता है इसलिए ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिये व जाम की स्थिति से बचने के लिये चौराहों या अत्यधिक ट्रेफिक दबाव वाली जगह पर ओवर ब्रिज के ऊपर एक और पुल बना दिया जाता है जिसे फ्लाई ओवर ब्रिज कहते हैं।

<u>हाईवे यातायात प्रबन्ध –</u>

हाईवे – मोटर वाहन कानून में इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। लेकिन इसका मतलब है कि सभी ऐसी सड़कें, जो एक शहर से दूसरे शहर या राज्यों को एक दूसरे से मिलाती हो।

फुटपाथ – सड़क के दोनों तरफ का वह हिस्सा, जिसका इस्तेमाल पैदल चलने वाले करते है। यह हिस्सा सड़क के बराबर या थोड़ा ऊँचा हो सकता है।

शोल्डर – सड़क के दोनों तरफ का कच्चा हिस्सा।

क्षेत्र – क्षेत्र से इस अधिनियम के किसी प्रावधान (उपबन्ध) के सम्बन्ध में ऐसा क्षेत्र तात्पर्यित (अभिप्रेत) है, जिसके लिए राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित कर उस प्रावधान की आवश्यकताओं के लिए विनिर्दिष्ट करे।

सर्किल्स (गोल चक्कर) –

सड़क पर रोटरी (गोल चक्कर) पार करते हुए दूसरी गाड़ियों की ओर खास ध्यान दें। अपनी दाहिनी तरफ से आने वाली गाड़ियों को रास्ता देना चाहिए । जहाँ सड़क पर लेन हो, वहां अपनी ही लेन में रहें और स्पीड कम रखें।

- सीधा आगे जाना हो तो –
  बांयी लेन में रहें, बायी लेन में रहते हुए रोटरी पार करें। रोटरी पार कर लेने के बाद अपनी गाड़ी बांयी और रखते हुए सीधे निकल जायें।

- बांये मुड़ना हो तो –

  सड़क की एकदम बायी वाली लेन में रहे। धीरे–धीरे बायें मुड़कर अपनी दिशा में निकल जाएं।

- दांयी ओर मुड़ना हो तो –
  दांयी तरफ की लेन में गाड़ी चलाएं, गोल चक्कर के ट्रेफिक में मिल जायें। अपना मोड़ आने से थोड़ा पहले बायें मुड़ने का संकेत देते हुए अपनी सड़क की तरफ निकल जायें।

हाइवे तथा सड़क न्यायालय

बढ़ती हुई सूचना एवं प्रौद्योगिकी तथा यातायात के साधनों में असीमित विस्तार के कारण देश में हाइवे की संख्या में दिन–प्रतिदिन विस्तार हो रहा है। हाईवे के रख–रखाव के लिए एक प्राधिकरण का गठन किया गया है, जिसे एन. एच. ए. आई. के नाम से जाना जाता है। हाईवे पर यातायात कानून लागू करने के लिए पृथक् रूप से पुलिस व सड़क न्यायालयों का गठन किया गया है। ऐसे न्यायालय मौके पर ही जुर्माना करके मामले का निपटारा कर देते हैं, जबकि अन्य सड़कों पर किए गए चालान का निपटारा सम्बन्धित अधिकारी/न्यायालय द्वारा चालान में दी गई तारीख व समय पर किया जाता है। राज्य सरकारें समय–समय पर सड़क यातायात को सुचारू रूप से चलाने के लिए अलग से अधिकारियों की नियुक्ति कर सकती है और उन्हें यातायात का उल्लंघन करने वालों को जुर्माना करने की शक्तियां व अधिकार सौंप सकती है। वर्तमान में हाइवे सड़क न्यायालय पर्याप्त संख्या में स्थापित किए जा चुके हैं।

हाईवे मोबाईल

जिले से गुजरने वाले हाईवे पर सम्बन्धित जिले की मोबाइल पार्टी मय गाड़ी के 24 घन्टे ड्यूटी पर तैनात रहती है, जो हाईवे पर घटने वाली दुर्घटना की सूचना सम्बन्धित जिले के कन्ट्रोलरूम व उच्चाधिकारियों को देते है तथा हाईवे पर जाम लगने पर जाम को खुलवाना व यातायात को नियमित रूप से संचालित करती है।

सड़क सुरक्षा शिक्षा

राज्य सरकार के निर्देशानुसार पुलिस व परिवहन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से सड़क सुरक्षा सप्ताह हर वर्ष मनाया जाता है, जिसमें उक्त विभागों द्वारा स्कूलों, चौराहों, सड़कों एवं महाविद्यालयों में दुर्घटनाओं को रोकने व कम करने के लिए जनता को अधिक से अधिक यातायात नियमों की पालना करने व जागरूकता पैदा करने के कार्यक्रम आदि का आयोजन किया जाता है।

सड़क सुरक्षा सप्ताह में निम्न बिन्दुओं के संबंध में जानकारी दी जाती है –

1. चौराहों व सड़क पर स्थित यातायात संकेतों पर विशेष ध्यान दें व उनकी पालना करें।
2. बिना लाईसेन्स वाहन न चलायें।
3. यातायात पुलिस के निर्देशों की पालना करें।
4. सड़कों पर चिन्हित प्रतीकों, यातायात संकेतों को अपनाने की आदत डालें। यह न सोचें कि आपको पुलिसकर्मी नहीं देख रहा है।
5. गन्तव्य तक पहुंचने में जल्दबाजी से बचने के लिए समय से पूर्व ही प्रस्थान करने की आदत डालें।
6. सार्वजनिक वाहनों में ज्वलनशील सामग्री न ले जायें, धूम्रपान न करें खाने–पीने की चीजों का प्रयोग न करें।
7. चलते वाहन से अपना कोई अंग बाहर न निकाले।
8. रेलवे क्रोसिंग पर जल्दी न करें, बंद रेल फाटक को पार न करें।
9. वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग न करें।
10. जहाँ निमार्ण कार्य हो रहा हो, वहाँ वैकल्पिक मार्ग का प्रयोग करें।
11. घर के गन्दे पानी को सड़क पर न छोड़े, इससे सड़क टूटती है।
12. सड़क पार कर रहे पैदल चालक का सम्मान करें।

पैदल चालक के लिए :–

1. फुटपाथ पर ही चलें। जहाँ फुटपाथ न हो, वहां आने वाले यातायात की दिशा में चलें।
2. सड़क पार करते समय पहले आधी सड़क दाहिने और देखते हुए शेष आधी सड़क बांयी ओर देखते हुए चलें।

3. चौराहों पर जेब्रा क्रॉसिंग से हरी बत्ती होने पर ही सड़क पार करें। यदि भूमिगत मार्ग बने हों तो उनका प्रयोग करें। दौड़कर रास्ता पार न करें।

4. यातायात में फंसने पर घबराये नहीं, अपने स्थान पर ही खड़े रहें।

दुपहिया वाहन चालकों के लिए :–

1. हैलमेट आपका जीवन रक्षक है, अतः दुपहिया वाहन चलाते समय सदैव इसका उपयोग करें। जहाँ तक संभव हो, दुपहिया वाहन पर सवारी को भी हेलमेट पहनायें।

2. साईकिल चालकों को सड़क के बाये किनारे पर ही चलना चाहिये और स्वचालित दुपहिया वाहनों को उनके दाहिनी बगल में चलना चाहिये।

3. वाहन घुमाते समय वाहन के दिशा संकेतों का प्रयोग करें। यदि वाहन में दिशा संकेत न हो तो पीछे देखकर, जिस दिशा में जाना हो, उस दिशा की ओर हाथ से संकेत दिया जाना उचित है।

4. मोड़, चौराहों, बस स्टेन्ड्स व छविगृह के सामने गति धीमी करना अच्छे चालक की पहचान है।

5. वर्षा के समय तथा उबड़–खाबड़ सड़कों पर वाहन की गति धीमी रखें क्योंकि सन्तुलन बिगड़ने की सम्भावना रहती है।

6. रात्रि में वाहन चलाते समय डिपर का प्रयोग करें ।

चौपहिया वाहन चालकों के लिए :–

1. आपसे तीव्र गति से आने वाले वाहन को आगे निकलने का रास्ता देने पर न केवल आप ही उसकी प्रशंसा के पात्र बनेंगे अपितु उसे भी आपसे ऐसा करने की प्रेरणा मिलेगी।

2. जब आप अपना वाहन रोकें, सड़क के किनारे बायीं ओर रोकें।

3. निर्धारित सीमा से अधिक सवारियाँ न बिठायें।

4. महिलाओं, बच्चों, वृद्ध व अपाहिजों को प्राथमिकता दें एवं उन्हें बिठाने में सहयोग करें।

5. आगे चलने वाले वाहन से निश्चित दूरी बनाये रखें।

यातायात पुलिस का संगठन और कार्य

यातायात पुलिस का संगठन :–

- अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस/महानिरीक्षक पुलिस (यातायात)

- उप महानिरीक्षक पुलिस (यातायात)
- पुलिस अधिक्षक (यातायात)
- अतिरिक्त पुलिस अधिक्षक (यातायात)
- उप पुलिस अधिक्षक (यातायात)
- **जिला–स्तर**

राजस्थान पुलिस में यातायात पुलिस का गठन विभिन्न प्रकार से किया गया है, जिसमें यातायात प्रमुख के पद पर अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस/महानिरीक्षक पुलिस (यातायात) होते है तथा इनकी सहायतार्थ उपमहानिरीक्षक व पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उप अधीक्षक पुलिस स्तर के अधिकरी होते हैं।

जयपुर में पुलिस अधीक्षक व जोधपुर में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, कोटा, उदयपुर अजमेर, अलवर, बीकानेर में उप पुलिस अधीक्षक व राजस्थान के अन्य जिलों में निरीक्षक व उप निरीक्षक स्तर के अधिकारी यातायात पुलिस के शाखा प्रभारी अधिकारी होते हैं।

राजस्थान के प्रायः सभी जिलो में यातायात थाने है, जिनके प्रभारी अधिकारी निरीक्षक व उप निरीक्षक स्तर के अधिकरी होते है, जिनका प्रमुख कार्य यातायात को नियंत्रण करना व यातायात सम्बंधित अपराधों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करना है।

कार्य :–

1. वाहनों के आवागमन को नियंत्रित करना यातायात पुलिस का मुख्य कार्य है। इसके साथ ही यातायात पुलिस का कार्य मोटर गाड़ी अधिनियम का उल्लंघन करने वाले चालक एवं वाहन को निर्धारित सड़क, स्थान एवं गति से चलने के लिए निर्देश देना व उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करना है।

2. संदिग्ध अवस्थाओं में वाहनों की चैकिंग करना तथा आपत्तिजनक वस्तुएँ मिलने पर उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करना

3. निर्धारित स्थान के अतिरिक्त वाहनों को ठहरने के पश्चात् सड़क से हटाना व सड़क यातायात में उत्पन्न अवरोध को दूर करना

4. मोटर गाड़ी अधिनियम के अधीन जारी नियमों का उल्लंघन करने, जैसे बिना रोशनी के गाड़ी ले जाना, सिग्नल देने में लापरवाही बरतना, नशे में गाड़ी चलाना, गतिसीमा का उल्लंघन करना या गलत ढ़ंग से ओवरटेकिंग करना इत्यादि पर उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करना

5. पुलिस एक्ट की धारा के अनुसार बताये गये नियमों का पालन करना, जिसमें सड़कों व चौराहों पर यातायात का पालन करना एवं यातायात के नियमों का सतर्कता से पालन करवाना

यातायात नियंत्रण का व्यावहारिक प्रशिक्षण –

1. कॉनिस्टेबल सबसे पहले पहुँच कर चौराहे के चारों तरफ 50–50 मीटर तक राउण्ड लेगा।

2. यह देखेगा कि सिग्नल लाइट सही कार्य कर रही है या नहीं। यदि सही कार्य नहीं कर रही तो कंट्रोलरूम को सूचना करेगा।

3. सड़क पर रखे कोन डिवाडर को सही तरीके से रखवायेगा/बाँधेगा।

4. चौराहे के आस–पास संकेतक चैक करेगा कि रात्रि में इस पर किसी ने पोस्टर तो नहीं चिपका दिया है।

5. चौराहे पर खड़े रह कर स्लीप लाइन पर वाहन खड़े रहने की कार्यवाही करे एवं जेब्रा क्रॉसिंग की पैदल चलने वालों से पालना कराएँ।

6. कॉनिस्टेबल चौराहे पर ऐसे स्थान पर खड़ा रहेगा, जहाँ से पूरे चौराहे पर नजर रहे एवं सड़क पर वाहन चालकों को भी कॉनिस्टेबल नजर आये।

7. नियमों की पालना नहीं करने वाले वाहन चालक को रोके एवं कार्यवाही के लिए वहाँ मौजूद अधिकारी के पास लेकर जाएँ।

8. कानिस्टेबल आवश्यक रूप से लोगों से शालीनता का बर्ताव करेंगे एवं वाहन चालकों को पूर्ण इज्जत देते हुए बात करेंगे।

9. जो कॉनिस्टेबल बाजार में तैनात है, वे यह सुनिश्चित करेंगे कि वाहन निर्धारित स्थान पर पार्क हो।

10. कॉनिस्टेबल यह ध्यान रखेंगे कि बाजारों में लोडिंग वाहन निश्चित समय पर ही प्रवेश करे।

11. कॉनिस्टेबल यह ध्यान रखेगा कि सड़क पर कोई ठेले वाला यातायात तो अवरुद्ध नहीं कर रहा है।

12. सड़क पर अतिक्रमण न होने दें।

13. वाहन चालक अपने वाहन अपने निर्धारित स्थान पर ही रोक कर सवारियों को चढ़ाएगा एवं उतारेगा।

14. बसें निर्धारित बॉक्स में ही रुके। बसें सड़क पर अन्य वाहनों के लिए रुकावट न करें।

15. कॉनिस्टेबल यह सुनिश्चित करेंगे कि सड़क पर किसी भी प्रकार की रुकावट न आये व वाहन अपनी गति से चलते रहें।

16. यदि कोई दुर्घटना घटित होती है तो सर्वप्रथम घायलों को उपचार के लिए उपलब्ध साधन से अस्पताल रवाना करेगा।

17. दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को मौके से हटवा कर यातायात सुचारू कराएँ।

18. दुर्घटना की सूचना कंट्रोलरूम को देंगे।

19. मुख्य बाजार में सड़क के मध्य मिडियन में कट पर वाहन क्रॉस करते समय सड़क पर जाम की स्थिति न होने दें।

20. सड़क पर कोई खड्डा हो गया है तो कट्रोल रूम को सूचना करेंगे तथा खड्डे पर क्रोस डिवाईडर रखें ताकि कोई वाहन दुर्घटनाग्रस्त न हो जाए।

————————————————

स. आपदा प्रबन्धन

आपदा का अर्थ :–

आपदा जन–धन को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाली वह घटना है, जो व्यापक रूप से विनाशकारी होती है। ''प्राकृतिक आपदा'' प्राकृतिक बदलाव अर्थात प्रकृति के प्राकृतिक वातावरण के बदलाव के फलस्वरूप प्रकृति की सामान्य गतिविधियों में कम या अधिक बदलाव से पैदा होकर मानव जीवन व अन्य जीव–जन्तुओं के जीवन के सामान्य अनुक्रम में असहनीय बदलाव उत्पन्न होकर, जन हानि व सम्पति की हानि होने की स्थिति पैदा होना ही प्राकृतिक आपदा है, जिसका पूर्वानुमान लगाया जाना व नियंत्रित करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकीन होता है।

आपदा के प्रकार :– (1) प्राकृतिक आपदा

(2) मानव जनित आपदा

(1) **प्राकृतिक आपदा** – यह ऐसी घटना है, जो प्राकृतिक प्रकोप के रूप में देखी जा सकती है, जिसमें व्यापक रूप से जन–धन का नुकसान होता है, जिसमें मानव का योगदान नगण्य होता है, प्राकृतिक आपदा कहलाती है। जैसे – भूकम्प, सुनामी, ज्वालामुखी, बाढ़, चक्रवात, सूखा आदि। जिसे प्राकृतिक प्रकोप मानकर इससे निपटने के लिए कार्य योजना बनाकर मानव को सहायता पहुँचायी जा सकती है तथा बचाव व पुनर्वास के प्रयास किये जाते हैं।

(2) **मानवजनित आपदा** :– वह आपदा है, जो मानव के दैनिक कार्यों के फलस्वरूप उत्पन्न होती हो, जैसे – बिजली से करण्ट फैलना, आगजनी, रासायनिक रिसाव, बम विस्फोट आदि।

आपदा प्रबन्धन योजना के निम्नलिखित छः चरण होते हैं :–

1. आपदा रोकथाम

2. आपदा का प्रभाव कम करना

3. आपदा से निपटने की तैयारी

4. आपदा आने पर कार्यवाही करना

5. आपदा राहत एवं पुनर्वास

6. आपदा एवं विकास

1. **आपदा रोकथाम** :– आपदा की रोकथाम के उपायों में वे सभी कार्य सम्मिलित हैं, जो किसी प्राकृतिक प्रकोप को आपदा में परिवर्तित होने से रोकने के लिए किये जा सकते हैं। यह स्पष्ट है कि समुद्री तूफान, बाढ़, हिमस्खलन जैसे प्राकृतिक खतरों को रोकने के लिए कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन उनके आपदाकारी प्रभावों को रोकने के लिए प्रयास

किये जा सकते हैं। रोकथाम के कुछ उपाय राष्ट्रीय विकास के अन्तर्गत आते है जबकि अन्य का सम्बन्ध विशेष आपदा प्रबन्ध कार्यक्रमों के साथ है।

2. **आपदा का प्रभाव कम करना (Mitigation)** :– आपदा का प्रभाव कम करना आपदा प्रबन्धन योजना का प्रमुख हिस्सा है। आपदा का प्रभाव कम करने के अन्तर्गत उन सभी उपायों को सम्मिलित किया जाता है, जिनसे किसी क्षेत्र के लोगों को आपदा से यथासम्भव बचाने में मदद मिलती है। आपदा प्रभाव कम करने की आधारभूत नीतियों में भूमि उपयोग को नियंत्रण करना, आपदा प्रतिरोधी आदर्श भवनों का निर्माण करना, सामुदायिक गतिविधियों को नियंत्रित करना एवं भवनों के वास्तुशिल्प सम्बन्धी डिजाइन तैयार करना तथा चट्टानों को गिरने से रोकने के लिए अवरोधक खड़े करना आदि उपाय सम्मिलित हैं। इसमें गैर रचनागत उपायों में आपदाओं से रक्षा के लिए पर्याप्त कानून, नियम, बीमा एवं ऋण योजनाएं, शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रम, स्वयं सहायता समूहों को सक्रिय बनाना, उपयुक्त चेतावनी प्रणाली और संस्थाओं की स्थापना जैसे उपाय सम्मिलित है।

3. **आपदा से निपटने की तैयारी (Preparedness)** :– आपदाओं से निपटने की तैयारी सम्बन्धी उपाय, राष्ट्रीय आपदा तैयारी योजना के दायरे में आने चाहिए और साथ ही विशेष आपदा की स्थिति में केन्द्र, राज्य, जिला और खण्ड स्तर पर अल्प एवं दीर्घ अवधि की योजनाऐं बनाई जानी चाहिए। बाढ़, सूखा, तूफान और भूकम्प जैसी आपदाओं के लिए अलग–अलग आपात योजनाएं, राहत योजनाएँ तथा पुनर्वास योजनाएँ बनाई जानी चाहिए।

4. **आपदा आने पर कार्यवाही करना** :– आपदा आने पर तुरन्त कार्यवाही करनी चाहिए, अन्यथा दूसरी अनेक समस्याऐं उत्पन्न हो जाती हैं, जिन पर तुरन्त यथासंभव कार्यवाही की जानी चाहिए। जैसे सन् 1999 के उड़ीसा तूफान के कारण उपजी महामारी की आशंका।

5. **आपदा राहत एवं पुनर्वास** :– आपदाग्रस्त क्षेत्र में आपदा के स्वरूप एवं सहने की क्षमता अनुसार राहत एवं पुनर्वास के कार्य चलाये जा सकते हैं। आपदा के उपरान्त सहायता की आवश्यकता, प्रकार, मात्रा तथा अवधि का निर्धारण करने में इससे सहायता मिलती है।

6. **आपदा एवं विकास** :– आपदाओं का प्रत्यक्ष सम्बन्ध विकास से होता है। जनहानि के अतिरिक्त अनेक ऐसी क्रियाएँ या तो मंद हो जाती हैं या नष्ट हो जाती हैं, जो विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। आपदा से होने वाली क्षति विकास में बाधा बनती है। इसके लिए राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न समितियों का गठन किया गया है।

आपदा प्रबन्धन एवं पुलिस

आपदा प्रबन्धन के क्षेत्र में प्रारम्भिक कार्यवाही प्रायः स्थानीय प्रशासन एवं आकस्मिक सेवा प्रदाता संस्थाओं के द्वारा प्रदान की जाती है, हालांकि इसमें कई संस्थाएं शामिल हो सकती हैं। इसके लिए आकस्मिक सेवा प्रदाता संस्थाओं को निरन्तर तैयारी की अवस्था में रहने की आवश्यकता रहती है ताकि आवश्यकता पड़ने पर बिना किसी विलम्ब के

आवश्यक सहायता प्रदान की जा सके। ऐसी सभी संस्थाओं को ऐसी व्यवस्था करके रखना चाहिए ताकि सूचना मिलने पर अविलम्ब उसे क्रियाशील किया जा सके।

पुलिस को इस प्रकार की घटना की जानकारी प्रायः सबसे पहले प्राप्त होती है। अतः पुलिस को सूचना मिलते ही तुरन्त मौके पर पहुंचकर घटना के विषय में विस्तृत तथ्यात्मक जानकारी प्राप्त करके घटना के संबंध में जिम्मेदार अधिकारियों एवं संस्थाओं को सूचना का संप्रेषण करना, घटनास्थल पर मौजूद साक्ष्य को संरक्षित रखना, घायलों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाना तथा क्षेत्र में फंसे लोगों को वहाँ से सुरक्षित स्थानों पर ले जाने का कार्य करना पड़ता है। यद्यपि इस कार्य में अग्निशमन सेवा, चिकित्सालय, अन्य सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाऐं सम्मिलित रहती है, परन्तु समन्वय स्थापित करने की प्रारंभिक जिम्मेदारी पुलिस की ही होती है। स्थानीय प्रशासन पर विभिन्न संस्थाओं के कार्य को सुचारू रूप से संचालित करने के लिये जिला एवं राज्य स्तर पर कार्ययोजना तैयार की जानी चाहिये, जिसमें विभिन्न संस्थाओं के ढ़ाचे एवं कार्य तथा उनके उत्तरदायित्व का स्पष्ट उल्लेख हो ताकि आवश्यकतानुसार सभी एजेन्सियां एवं संस्थायें प्रभावी कार्यवाही कर सकें। इस तरह की कार्ययोजना रहने पर जनहानि तथा सम्पति के नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है।

उपरोक्त कार्य को सुचारू रूप से सम्पन्न करने के लिये जिला पुलिस को अपने पास आपदा पुस्तिका (Disaster Manual) तैयार करके रखना चाहिये, जिसमें निम्नलिखित सूचनायें हों –

1. विभिन्न प्राकृतिक एवं मानवजनित आपदा का विवरण
2. आपदाओं के बारे में अफवाहें, जिन्हें दूर किया जाना होता है।
3. स्थानीय प्रशासन, जैसे– म्यूनिसपल, पंचायत के अधिकारियों के विषय में जानकारी
4. गांव, वार्ड, सेक्टर आदि का मानत्रित व विवरण
5. स्थानीय प्रशासन के पदाधिकारियों का उत्तरदायित्व
6. गैर–सरकारी संगठनों की सूची तथा उनके पदाधिकारियों के नाम
7. आपदा प्रबंधन के लिये सरकारी धन की व्यवस्था तथा अन्य स्रोतों के विषय में जानकारी
8. स्वैच्छिक संस्थाओं की भूमिका
9. विभिन्न स्तरों पर प्रदान किये जाने वाले प्रशिक्षणों का विवरण
10. समय–समय पर जागरूकता पैदा करने हेतु किये जाने वाले प्रदर्शन एवं अभ्यासों का विवरण
11. अभिलेखीकरण

आकस्मिक कार्ययोजना तैयार किया जाना

आकस्मिक कार्ययोजना में निम्न विवरण विस्तार से अंकित किये जाने चाहिये ताकि समय–समय पर स्थानान्तरण के उपरान्त पुलिसकर्मियों को आपदा प्रबंधन के लिये पर्याप्त मार्गदर्शन प्राप्त हो सके।

1. क्षेत्र की भौगोलिक जानकारी, क्षेत्र की बनावट (Topography)
2. जलवायु
3. जनसंख्या तथा उसकी संरचना, जाति, लिंग व धर्मवार
4. उद्योग व व्यापार
5. प्राकृतिक एवं मानवजनित आपदा – इसके अंतर्गत क्षेत्र में घटित प्राकृतिक एवं मानवजनित आपदाओं का इतिहास विस्तार से अंकित किया जाना चाहिये।
6. नेतृत्व का स्पष्ट उल्लेख, जिसमें निम्न बातों का उल्लेख अवश्य हो –
    1. शासन का ढाँचा तथा विभिन्न स्तर के पदाधिकारियों की शक्ति एवं उनका उत्तरदायित्व
    2. कमाण्ड
    3. आवश्यक सेवा प्रदाता संस्था की सेवाओं में भूमिका
    4. आकस्मिक एवं अन्य सेवा संस्थायें –
        - 4.1 चेन ऑफ कमाण्ड
        - 4.2 पता एवं टेलीफोन नम्बर
        - 4.3 अग्नि शमन, जलापूर्ति, चिकित्सा, यातायात, रेलवे, टेलीफोन, रेडक्रास सोसायटी, सिविल डिफेंस आदि संस्थाओं तथा गैरसरकारी संगठनों को इस सूची में शामिल किया जाये।
7. सूचना प्राप्त करने तथा उसके संप्रेषण की व्यवस्था
8. कन्ट्रोलरूम की स्थापना
9. विभिन्न संस्थाओं से संबंध रखने वाले/पदाधिकारियों के नाम एवं टेलीफोन नम्बर
10. घटनास्थल पर की जाने वाली व्यवस्था –
    1. प्रत्येक संस्था/विभाग के उत्तरदायित्व एवं कार्य का अभिलेखीकरण की जाने वाली व्यवस्था
    2. मौके पर पहले उपस्थित होने वाले पुलिस अधिकारी के लिये दिशा–निर्देश

3. नियंत्रण कक्ष, स्टाफ, जाँचकर्ता अधिकारी तथा पर्यवेक्षणकर्ता अधिकारियों के उत्तरदायित्व

4. संबंधित विभाग को सूचना देना

5. चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना तथा प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों को सूचना देना

6. जीवित बचे लोगों के लिये कैम्प की स्थापना

7. घटना में मृत व्यक्तियों की पहचान हेतु अस्थाई मोर्चरी की स्थापना

8. क्षेत्र को खाली कराना

9. यातायात ट्रैफिक की व्यवस्था

10. सम्पत्ति की सुरक्षा

11. शांति व्यवस्था बनाये रखना

12. घटना की सूचना पर आने वाले वी.आई.पी. की सुरक्षा

13. घटनास्थल पर मीडिया को सही तथ्यों की जानकारी देने के लिये नोडल अफसर की नियुक्ति

14. मीडिया के लिये लाईजन अफसर की नियुक्ति

15. संचार व्यवस्था स्थापित करना

11. जनसाधारण को दी जाने वाली सूचना

11.1 लाउड स्पीकर की व्यवस्था

11.2 सही एवं स्पष्ट सूचना का प्रसारण

11.3 रेडियो एवं टेलीविजन पर प्रसारण हेतु सही तथ्यों का संप्रेषण

12. बचाव कार्य।

13. मलबा हटाने का कार्य

14. शिक्षा एवं प्रशिक्षण

14.1 स्वयंसेवकों तथा स्वैच्छिक संगठनों एवं सरकारी कर्मचारियों को आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण की व्यवस्था

14.2 शैक्षिक संगठन– आपदा निवारण में स्वैच्छिक संगठनों की तैयारी, अनुभव एवं योग्यता का लाभ लेना

15. आकस्मिक कार्ययोजना का पूर्वाभ्यास एवं प्रदर्शन – समय–2 पर विभिन्न एजेन्सियों एवं मीडिया को साथ लेकर इस प्रकार के अभ्यास एवं प्रदर्शनी आयोजित करनी चाहिये ताकि कार्ययोजना के बारे में शामिल लोगों, कर्मचारियों एवं सस्थाओं के साथ–2 आमजन में भी जागरूकता आ सके।

16. कार्ययोजना का मूल्यांकन – समय–2 पर आकस्मिक कार्ययोजना का मूल्यांकन किया जाना चाहिये तथा उसमें सूचनाओं को आवधिक किया जाना चाहिये।

(क) आपदा प्रबंधन में पुलिस की भूमिका –

आपदा प्रबन्धन के क्षेत्र में पुलिस की केन्द्रीय भूमिका है। पुलिस निरन्तर कार्य करने वाली संस्था है, जिसका नेटवर्क सदैव क्रियाशील रहता है। जब भी कोई आपदा घटित होती है, तो इसकी सूचना प्रायः सबसे पहले पुलिस थाने को प्राप्त होती है और सूचना के संबंधित को सम्प्रेषण, विभिन्न चरणों में राहत एवं बचाव कार्य में लगी विभिन्न संस्थाओं को सहयोग, घटना की विवेचना, अतिविशिष्ट लोगों की भ्रमण के दौरान सुरक्षा तथा घटना में प्रभावित व्यक्तियों की चिकित्सा एवं पुनर्वास तक पुलिस समन्वयक की मुख्य भूमिका निभाती है, इसलिए आपदा प्रबन्धन में पुलिस द्वारा तैयार कार्ययोजना और उसका क्रियान्वयन आपदा के लिए किए गये अभ्यास का महत्वपूर्ण योगदान होता है। आपदा प्रबन्धन में पुलिस को परिणामों के बारे में जानकारी होना आवश्यक है।

आपदा के प्रकार –

आपदा को मुख्यतः दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है :–

1. प्राकृतिक आपदा

2. मानवजनित आपदा

दोनों ही प्रकार की आपदा में बड़ी संख्या में जनहानि तथा सम्पत्ति को नुकसान पहुंचता है। जहां तक प्राकृतिक आपदा का प्रश्न है, इसे नियंत्रित करना मुश्किल है क्योंकि प्रकृति पर मानव का कोई नियंत्रण नहीं है। अतः इस प्रकार की आपदा को ईश्वरीय देन मानकर इससे निपटने के लिए कार्ययोजना तैयार की जाती है। प्राकृतिक आपदा भूकंप, बाढ़, सूखा, तूफान, महामारी आदि के रूप में हो सकती है। इसके बारे में न तो कोई पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, न ही इसकी विकरालता की पूर्व से जानकारी की जा सकती है। अतः इस प्रकार की आपदा से निपटने के लिए देश में उपलब्ध विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से कार्य किया जाता है।

इसके विपरीत मानवजनित आपदा प्रायः मानव भूल या यांत्रिक त्रुटि के कारण होती है, जिसमें पूर्वानुमान लगाना सम्भव हो पाता है, परन्तु कई बार इसका पूर्वानुमान बिल्कुल ही नहीं लगाया जा सकता है। उदाहरणस्वरूप चैरनॉविल आणविक दुर्घटना तथा भोपाल गैस त्रासदी जैसी घटनायें अप्रत्याशित थीं, जिन्हें दशकों बाद भी नहीं भुलाया जा सकता है। ये पूर्णतया मानव भूल एवं लापरवाही का परिणाम थीं। मानवजनित आपदा को पर्याप्त सावधानी तथा सतर्कता के द्वारा निश्चित रूप से टाला या कम किया जा सकता है। इसके

अतिरिक्त आज के युग में आतंकवाद एवं आतंकी गतिविधियों के कारण पैदा की गयी आपदायें सबसे बड़ी चुनौती के रूप में उभर कर सामने आयी है। कुछ मानवजनित आपदाएं निम्नांकित हैं, जैसे– वायु, रेल तथा जलयान दुर्घटना, आग, विस्फोट, भवन गिरने की घटना, औद्योगिक दुर्घटना, आतंक एवं सामूहिक नरसंहार, युद्ध आदि।

पुलिस की भूमिका एवं कार्यक्षेत्र

1. **भीड नियंत्रण** – विभिन्न प्रकार की आपदाओं के विगत अनुभव से माना है कि किसी घटना के होने पर जिज्ञासावश बड़ी संख्या में लोग घटनास्थल की और पहुंचना शुरू कर देते है, जिससे राहत कार्य में बाधा आती है, साथ ही महत्वपूर्ण साक्ष्यों के नष्ट होने का भी खतरा रहता है। अतः ऐसी स्थिति में उस क्षेत्र में भीड़ नियंत्रण हेतु पुलिस व्यवस्था की जानी चाहिये।

2. **यातायात व्यवस्था** – घटना में घायल व्यक्तियों को अस्पताल तक ले जाने तथा विभिन्न सेवा प्रदाता एजेन्सियो की पहुँच घटनास्थल पर हो, इसके लिये आवश्यक है कि सुचारू यातायात व्यवस्था की जाये। घटनास्थल से चिकित्सालय तथा सेवा प्रदाता संस्थान, जैसे – अग्निशमन दल, रेलवे स्टेशन, बस अड्डो के बीच समानान्तर यातायात व्यवस्था बनायी जानी चाहिये ताकि ट्रैफिक के कारण कोई रूकावट पैदा न हो सके। ट्रैफिक व्यवस्था के बारे में लाउडस्पीकर, रेडियो एवं टी.वी. आदि के द्वारा प्रचार–प्रसार किया जाना चाहिये।

3. **क्षेत्र की तलाशी एवं उसे खाली कराया जाना** – प्रायः घटनास्थल पर पुलिस ही सबसे पहले पहुंचती है। अतः उस समय घायल व्यक्तियों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया जाना चाहिये तथा क्षेत्र को खाली कराये जाने की व्यवस्था की जानी चाहिये ताकि अन्य आवश्यक सेवा प्रदाताओं को परेशानी न हो। उसे पर्याप्त सावधानी के साथ हटाया जाना चाहिये। क्षेत्र को खाली कराये जाने अथवा आवश्कयतानुसार यदि घर के अंदर लोगों को रहने की अनुमति दी जाती है तो इस तरह की घोषणा पुलिस के द्वारा ही स्थिति के आवश्यक मूल्यांकन के उपरान्त लाउडस्पीकर से करनी चाहिये।

4. **सम्पत्ति की सुरक्षा** – घटना के बाद प्रायः आपराधिक तत्व चोरी, लूट–पाट आदि की घटनाओं में लिप्त हो जाते हैं। अतः पुलिस को चाहिये कि लोगों की सम्पत्ति की सुरक्षा के लिये तत्काल आवश्यक प्रबन्ध करे तथा आवश्यकतानुसार पुलिसकर्मियों की नामजद ड्यूटी लगायी जाये ताकि आम जनता की सम्पत्ति की सुरक्षा हो सके।

5. **घटना की आपराधिक विवेचना** – यदि आपदा के पीछे कोई आपराधिक कारण परिलक्षित हो तो पुलिस को इस विषय में तत्काल प्रथम सूचना अंकित कर विवेचना शुरू करनी चाहिए। इसके लिये खोजी कुते, बम डिस्पोजल स्क्वाड तथा फोरेंसिक विशेषज्ञों को घटनास्थल पर आने की सूचना तत्काल दी जानी चाहिये। घटना की गंभीरता एवं महत्ता को देखते हुए विवेचना के लिए पुलिस अधिकारियों की विभिन्न

टीमें तत्काल गठित की जानी चाहिये। इस दौरान उपलब्ध लोगों के साक्ष्य, उन व्यक्तियों की वीडियो रिकॉर्डिंग, घटनास्थल पर उपलब्ध भौतिक साक्ष्य आदि को एकत्रित कर लेना चाहिये। यदि गिरफ्तारी की आवश्यकता हो तो आवश्यकतानुसार गिरफ्तारी की जानी चाहिये तथा नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जानी चाहिए।

6. **नियंत्रण कक्ष की स्थापना** – घटना के तत्काल बाद सूचनाओं के आदान – प्रदान, प्रेस एवं मीडिया को तथ्यों की सही जानकारी देने तथा अफवाहों को शांत करने के उद्देश्य से एक वृहद् नियंत्रण कक्ष की स्थापना की जानी चाहिये। इसमें आवश्यकतानुसार आम आदमी, मीडिया तथा बचाव कार्य में लगी विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए अलग – अलग उपनियंत्रण काउण्टर्स लगाये जाने चाहिये। काउन्टर्स पर जिम्मेदार एवं सहनशील पुलिसकमी तैनात किये जाने चाहिये, जो विभिन्न भाषाओं की जानकारी रखते हों, संवेदनशील हो तथा अपने कार्य को सुचारू रूप से सम्पन्न करने के लिये पूर्व में परखे जा चुके हों। इनके पास घटना की अद्यतन जानकारी तथा घायल/मृतकों के विषय में विवरण निरन्तर उपलब्ध कराया जाना चाहिये ताकि सही सूचना का आदान–प्रदान हो सके। इन नियंत्रण उपकेन्द्रों के लिये निर्धारित टेलीफोन नम्बरों को रेडियो, टी.वी. एवं अन्य संचार के माध्यमों से जनसाधारण को उपलब्ध कराने हेतु पुलिसकर्मी तैनात किये जाने चाहिये। नियंत्रणकक्ष में अभिलेखीकरण पर विशेष बल दिया जाना चाहिये और यदि संभव हो तो वहां प्राप्त होने वाली एवं दी जाने वाली सूचना को रिकॉर्ड किया जाना चाहिये। इन घटनाओं के बाद होने वाली विभिन्न प्रकार की न्यायिक एवं अन्य जाँचों में इस तरह के अभिलेखों के होने पर काफी सुविधा होती है।

7. **वी.वी.आई.पी./वी.आई.पी. भ्रमण** – आमतौर पर बड़ी घटनाओं के तत्काल बाद राजनैतिक कारणों से विभिन्न विशिष्ट महानुभावों तथा अन्य राजनैतिक व्यक्तियों का तुरन्त आगमन शुरू हो जाता है। ऐसी स्थिति में न सिर्फ उनकी सुरक्षा बल्कि शांति व्यवस्था की गंभीर समस्या भी उत्पन्न हो जाती है। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि इन महानुभावों की सुरक्षा के लिये अलग से पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारियों की ड्यूटी लगायी जाये। राहत एवं बचाव कार्य में लगे हुए पुलिसकर्मियों को इस कार्य से अलग रखा जाना चाहिये क्योंकि यदि उन्हें महानुभावों की सुरक्षा तथा राहत कार्य करने की दोहरी जिम्मेदारी दी जायेगी तो किसी भी कार्य को जिम्मेदारी के साथ निभा नहीं पायेंगे। प्रयास यह किया जाना चाहिये कि इस तरह के राहत एवं बचाव कार्य में बाधा न उत्पन्न होने पाये। इस सम्बन्ध में पुलिस के अधिकारियों को महानुभावों से व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क करके उन्हें यथासम्भव जनहित में भ्रमण स्थगित करने हेतु अनुरोध भी करना चाहिये। यदि पर्याप्त पुलिस उनकी सुरक्षा हेतु उपलब्ध नहीं है तो ऐसे महानुभावों को भ्रमण की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

8. **मृतक एवं घायलों की शिनाख़्त** – मृतकों एवं घायलों की शिनाख़्त हेतु एक अलग पुलिस टीम बनायी जानी चाहिये, जो उनकी फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी तथा उनसे संबंधित सूचनाओं को तरतीबवार संकलित कर उनके चिकित्सा के स्थान, पोस्टमार्टम एवं अतिम संस्कार आदि का पूरा रिकॉर्ड रखे। मृतकों की शिनाख़्त करने वाले व्यक्तियों का पूरा विवरण, शव को प्राप्त करने वाले व्यक्तियों का फोटोग्राफ तथा उनका विवरण अच्छी तरह तैयार करना चाहिये क्योंकि कई बार इस तरह की आपदाओं के बाद घोषित होने वाली सहायता राशि को प्राप्त करने के लिये अनधिकृत व्यक्ति मृतक को अपना रिश्तेदार बताकर धन लेने का प्रयास करते हैं तथा मृतकों के नाम–पते गलत दर्ज करा दिये जाते है, जिससे बाद में कई कानूनी पेचीदगियां पैदा हो जाती है। अतः घायलों तथा मृतकों की शिनाख्त तथा घटनास्थल से अस्पताल, राहत केन्द्र, मुर्दाघर तथा उनके अंतिम संस्कार स्थल तक स्पष्ट छायांकन तथा अभिलेखीकरण किया जाना चाहिये।

9. **स्वागत केन्द्र** – आमतौर पर ऐसा देखा गया है कि बड़ी दुर्घटनाएँ या बम विस्फोट आदि के उपरांत बड़ी संख्या में दूर–दराज क्षेत्रों से घायल तथा मृतकों के रिश्तेदार एवं बड़ी संख्या में लोग अपने परिजनों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिये एकत्रित होते है। जिनको सही जानकारी देने तथा इनके ठहरने के लिये स्वागत केन्द्रों की स्थापना की जानी चाहिये, जैसे इनके बैठने, खाने–पीने आदि की व्यवस्था करायी जानी चाहिये। स्वैच्छिक संगठनों के स्वयंसेवकों को इनके सहायतार्थ लगाया जाना चाहिये, जोकि किसी पुलिस अधिकारी के मार्गदर्शन में कार्य करें।

10. **विदेशियों के बारे में सूचना** – यदि किसी विदेशी नागरिक की घटना में घायल या मृत्यु होती है तो पुलिस को चाहिये कि उसके संबंध में विस्तृत सूचना 'वियना कन्वेंशन' में दिये गये प्रावधानों के अनुसार संबंधित देश के दूतावास को यथाशीघ्र उपलब्ध करा दी जाये।

(ख) बचाव एवं राहत :

प्राकृतिक आपदा, जैसे– बाढ़, भूकम्प, चक्रवात, अन्य आपदाएं जैसे– सुखा, तूफान, आगजनी की घटनाएं एवं गम्भीर दुर्घटनाएँ।

राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण (NDMA)

राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण एक राष्ट्रीय संस्था है, जिसका अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री व उपाध्यक्ष केबिनेट मंत्री स्तर का होता है। प्राधिकरण में आठ अन्य सदस्य राज्यमंत्री स्तर के होते है। प्रत्येक सदस्य का कार्यक्षेत्र विभाजित होता है, जो समस्त राज्यों में फैला होता है। अपने कार्य निष्पादन हेतू प्राधिकरण ने एक सुव्यवस्थित ढांचा तैयार किया है, जो सूचना प्रौद्योगिकी तकनीक एवं ज्ञान के आधार पर अपने कार्य सम्पन्न करता है।

राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के सचिवालय में एक सचिव होता है, जो निरंतरता व समन्वय बनाये रखता है। जिसके अधीन आपदा प्रबन्धन के दो उप विभाग (विंग) होते हैं।

आपदा प्रबन्धन विंग प्रथम :–

जो आपदा न्यूनीकरण, तैयारी पुनःनिर्माण समूह, जागरूकता एवं वित्तीय व प्रशासनिक व्यवस्थाएँ देखता है।

आपदा प्रबन्धन विंग द्वितीय :–

जो विभिन्न राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन केन्द्रों के बीच समन्वय, प्रशिक्षण कैपेसिटी बिल्डिंग आदि पर कार्य करता है।

राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण (NDMA) के कार्य व जिम्मेदारियाँ :–

राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण आपदा प्रबन्ध हेतु कार्ययोजना बनाना, उनको लागू करना व उनका मूल्यांकन करने के लिए एक सर्वोच्च राष्ट्रीय संस्था है। इसके कार्यक्षेत्र निम्नलिखित है :–

1. आपदा प्रबन्धन हेतु कार्य नीति तैयार करना
2. राष्ट्रीय योजना को स्वीकृति प्रदान करना
3. विभिन्न मंत्रालयों व विभागों द्वारा तैयार योजनाओं को राष्ट्रीय योजनाओं के अनुरूप स्वीकृत करना
4. राज्यों के लिए उनकी योजनाओं हेतु दिशा–निर्देश तैयार करना।
5. केन्द्र के विभिन्न विभागों के मंत्रालयों के लिए आपदाओं से निपटने, उनकी रोकथाम, आपदाओं का असर कम करने के लिए एवं उनसे जुड़े विकास के कार्य व प्रोजेक्ट के लिए दिशा–निर्देश तैयार करना
6. आपदा प्रबन्धन की नीतियों का बेहतर समन्वय एवं उन्हें लागू करना
7. आपदाओं के न्यूनीकरण की योजनाओं के लिए धन प्रबन्धन करना
8. केन्द्र सरकार के निर्देश पर अन्य देशों को आपदा प्रबन्धन में सहयोग करना
9. नेशलन इन्सटीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए नीतियां एवं दिशा–निर्देश जारी करना

राज्य आपदा उत्तरदायी कोष (SDRF) :–

जिस तरह NDMA किसी राष्ट्रीय स्तर की आपदाओं से निपटने के लिए संस्थागत तरीके से निवारण कार्य करती है, उसी तरह SDRF भी प्रत्येक राज्य में राज्य स्तरीय आपदाओं से निपटने के लिए कार्य योजना तैयार करती है।

विभिन्न आपदाओं में बचाव व राहत कार्य :–

बाढ़ :–

बाढ़ आने का कारण अत्यधिक वर्षा का होना है, जिसमें पानी नदी, नालों व बांधों को तोड़ कर बाहर फैल जाता है, जिससे काफी जन–धन की हानि होती है। बाढ़ के दौरान पुलिस के कर्तव्य निम्न है –

1. प्राकृतिक विपदाओं से सम्बन्धित सूचनाओं को जनता तक अधिक से अधिक तीव्र पहुँचाएं व सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दें। जैसे किसी बांध से अधिक पानी की निकासी पर नीचे के क्षेत्रों को सूचना तीव्रता से पहुँचाए, जिससे पानी का स्तर बढ़ने तक वो अपने जन व धन को सुरक्षित स्थान पर ले जा सके।

2. बाढ़ आने की सूचना मिलते ही तुरन्त प्रभावित क्षेत्रों में पुलिस को पहुंचना चाहिए एवं बाढ़ पीड़ित व्यक्तियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की व्यवस्था की जाए एवं उनकी सम्पत्ति के नुकसान से बचाने के भी उपाय किए जाएँ।

3. बाढ़ आने से पूर्व ही पुलिस को बाढ़ निरोधक उपकरण, जैसे नावें, लाइफ जैकेट, रस्से, मिट्टी के कट्टे (बोरे) आदि तैयार रखने चाहिए, अच्छे तैराकों से सम्पर्क होना चाहिए।

4. कमजोर वर्ग, विशेषकर महिलाऐं व बच्चों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देना चाहिए तथा बाढ पीड़ितों की सहायता के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं से सम्पर्क स्थापित कर उन्हें प्रेरित कर उनसे सहयोग लेना चाहिए।

5. बाढ़ के दौरान बदमाश व अपराधी तत्व लोगों की सम्पत्ति को हड़पने व लूटमार करने की कोशिश करते हैं। अतः ऐसे तत्वों की गतिविधियों पर नजर रख उनके खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए।

6. बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जल्द से जल्द आवश्यक सेवाएं, जैसे बिजली, पानी, भोजन, चिकित्सा आदि उपलब्ध करवाने हेतु अन्य सम्बन्धित विभागों से बेहतर समन्वय स्थापित करना चाहिए।

ज्वालामुखी :–

ज्वालामुखी धरातल के उन प्राकृतिक छिद्रों को कहते हैं, जिनसे होकर लावा तथा गैसें बाहर निकलती है। ज्वालामुखी क्रिया के दौरान गर्म लावा, तप्त गैसें, उष्ण जल एवं अन्य पदार्थ एक दरारनुमा गोलाकार छिद्र से बाहर निकलते हैं, जिसे ज्वालामुखी नली (वोलकैनिक पाइप) कहते हैं। इसके उपरी भाग को ज्वालामुखी कहते हैं।

पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण उत्पन्न आपदाओं में ज्वालामुखी का प्रमुख स्थान है। ज्वालामुखी क्रिया एक प्रमुख प्राकृतिक आपदा के रूप में प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक पर्यावरणीय स्वरूपों पर विनाशकारी प्रभाव डालती है। ज्वालामुखी उद्‌गार से निःसृत ज्वलंत लावा प्रवाह, विभिन्न प्रकार के ठोस टुकड़े तथा विषैली गैसे अपना दुष्प्रभाव पर्यावरण पर छोड़ते हैं। मानव निर्मित भवन, छोटे – बड़े बांध, सड़कें, जलाशय आदि का नुकसान होता है। ज्वालामुखी की राख काफी दूर दराज तक कई हजार किलोमीटर तक फैल जाती है, जिससे हवाई यात्राऐं कई दिनों तक प्रभावित हो जाती है।

भूस्खलन :–

भुस्खलन एक प्रमुख प्राकृतिक आपदा है। इस घटना में भूमि का एक भाग टूटकर निम्नतर भागों की ओर खिसकता है। यह क्रिया गुरुत्वाकर्षण द्वारा प्राकृतिक रूप से होती है। यह क्रिया अधिकांशतः पर्वतीय उच्च प्रदेशों में होती है। पर्वतीय क्षेत्रों में जहाँ तीव्र ढ़ाल पाया जाता है, चट्टानों का विशाल भाग खिसककर एक बड़ी प्राकृतिक आपदा को जन्म देता है। स्विटजरलैण्ड, नार्वे तथा कैनेडियन स्वकीय पर्वत आदि में गाँव को तीव्र दाल क्षेत्रों के तटीय भागों में बनाते हैं, जहाँ भूस्खलन से कई हजार लोग मारे जाते है, गाँव के गाँव तवाह हो जाते हैं, रास्ते अवरुद्ध हो जाते हैं। भूस्खलन अधिकतर वर्षा के दिनों में होता है।

सूनामी :–

सुनामी विशाल सागरीय लहरें हैं, जो मूलतः सागरीय तलों में आने वाले भूकम्प एवं भूस्खलन के कारण होती है। यह एक विनाशकारी सागरीय लहर के लिए प्रयुक्त जापानी शब्द है, जो दो शब्दों TSU = Harbour (पोताश्रय) Nami = waves (लहर) से मिलकर बना है। समुद्र में भूकम्प के कारण कम्पन से समुद्री लहरें काफी ऊँचाई तक उठती है, जो भूकम्प की तीव्रता पर निर्भर करती हैं। कई बार इन लहरों की ऊँचाई 30 मीटर तक होती है, जो समुद्रतटीय इलाकों से टकराने के बाद भयंकर विनाश मचाती है। सुनामी से भारी जन–धन की हानि होती है। 26 दिसम्बर 2004 को इण्डोनेशिया, म्यांमार, भारत, श्रीलंका तथा मालदीव में आयी सुनामी ने भारी तबाही मचा दी, जिसमें करीब 1 लाख 60 हजार लोग मारे गए। 11 मार्च 2011 में जापान में सुनाची से सेन्दई शहर पूरी तरह तबाह हो गया, जहाँ करीब 15000 व्यक्ति मौत के गाल में समा गए एवं फ्यूकोसीमा परमाणु संयन्त्र में भारी तबाही हुई है।

भूकम्प :–

हमारे देश में कई भागों में भूकम्प आने की घटनाएं होती रहती है, जिसके कारण जन व धन की काफी हानि होती है। वर्ष 1993 में महाराष्ट्र में लाटूर व किल्लारी में व 26 जनवरी 2000 को गुजरात में आए भूकम्प ने बड़े पैमाने पर जन व धन की हानि पहुंचाई। भूकम्प नापने के लिए रिक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। इसके अनुसार भूकम्प की तीव्रता 1 से 9 तक होती है, तीव्रता की प्रत्येक इकाई वृद्धि के साथ इसकी शक्ति बढ़कर 10 गुना हो जाती है। सामान्यतया 5 तक के मान वाले भूकम्प से नुकसान नहीं पहुंचता है।

भूकम्प पीड़ितों के लिए पुलिस के निम्न कार्य है :–

1. भूकम्प आने की सूचना मिलने पर पुलिस को तुरन्त भूकम्प पीडित क्षेत्र में पहुंच कर घायल व्यक्तियों को अस्पताल में भेजने की व्यवस्था करनी चाहिए।

2. सभी सरकारी ऐजेन्सियों व उच्चाधिकारियों को तुरन्त सूचना देकर निजी व सरकारी संस्थाओं से उचित समन्वय स्थापित कर भूकम्प पीड़ितों की मदद करनी चाहिए।

3. मलबे में दबे व्यक्तियों को निकालने की और उन्हें अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था करनी चाहिए।

4. भूकम्प पीड़ित क्षेत्र में पुलिस गार्ड/गश्त लगानी चाहिए ताकि असामाजिक व आपराधिक तत्वों पर रोकथाम लग सके व लोगों की सम्पति सुरक्षित रह सके।

5. भूकम्प पीडित व्यक्तियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना, उनके लिए भोजन जुटाने का प्रयास करना चाहिए। स्वयंसेवी संगठनों से सम्पर्क कर रिलीफ कैम्प लगाने चाहिए।

चक्रवाती तूफान/तूफान :–

यह प्राकृतिक आपदा है, जिससे काफी जन–धन की हानि होती है। तूफान अक्सर स्थानीय किस्म के होते है, परन्तु इसकी गति के कारण इसकी भयावहता काफी अधिक होती है। इसके अत्यधिक वेग के कारण इसमें अधिक शक्ति होती है, जिसके कारण जन–धन को अधिक नुकसान पहुंचता है।

चक्रवाती तूफान विशेषकर तटवर्ती क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं, जो अपने समुद्री पानी को तीव्र गति से अन्दरूनी इलाकों में ले जाते हैं, जिससे काफी जन–धन की हानि होती है, संचार व्यवस्था ठप हो जाती है, सड़क व रेल यातायात प्रभावित हो जाता है।

तूफान ग्रसित क्षेत्रों में पुलिस को निम्न भूमिका निभानी चाहिए :–

1. तूफान आने की पूर्व सूचना इलाके में प्रसारित करें, व्यक्तियों को सुरक्षित स्थान पर जाने की सलाह दें।

2. तूफानग्रस्त क्षेत्रों के बारे में उच्चाधिकारियों को सूचित करें व उनके निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें।

3. तूफान में फंसे लोगों को बचाने में प्रशासन की पूरी मदद करें व अन्य विभागों से तालमेल करें।

4. तूफान पीडित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाने की व्यवस्था करें।

5. तूफान पीड़ित व्यक्तियों की मदद के लिए गैरसरकारी संस्थान व सामाजिक संस्थाओं को प्रेरित करें।

6. यातायात व्यवस्थाओं पर नियंत्रण कर लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुँचाए व सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करें।

अकाल :–

यह एक प्राकृतिक विपदा है, जो वर्षा न होने के कारण उत्पन्न होती है। यदि लगातार कई वर्षों तक वर्षा न हो तो उस क्षेत्र में फसल नहीं होती है, पशुओं के लिए चारा उपलब्ध नहीं होता है, पानी की कमी हो जाती है, सूखा क्षेत्र में खाद्य सामग्री की कमी हो जाती है तथा लोगों को अप्रिय स्थिति का सामना करना पड़ता है, उनके आय के स्रोत घट जाते हैं एवं कानून व्यवस्था की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है।

राजस्थान प्रदेश, जो वर्षा के ऊपर काफी निर्भर है, अक्सर अकाल जैसी त्रासदी का सामना करता है फिर भी विगत कुछ वर्षों में नहरी पानी, बेहतर समन्वय व सरकारी प्रयासों से इसके असर को कम करने में मदद मिली है।

अकाल की स्थिति में पुलिस को निम्न कार्य करने चाहिए :–

1. अवैध संग्रहण व काला बाजारी पर प्रभावी नियंत्रण होना चाहिए। जिन व्यक्तियों/व्यापारियों ने अनाज गोदाम में भरकर छिपा रखा है व काला बाजारी कर रखी हो, उन पर छापे मारकर उनके खिलाफ सम्बन्धित विभाग से मिलकर कानूनी कार्यवाही करनी चाहिए।

2. सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सही बनाए रखने के लिए अनाज व आवश्यक वस्तुओं के वितरण पर निगरानी रखें व दुरुपयोग करने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करें।

3. अकाल पीड़ित व्यक्तियों की मदद के लिए स्वयंसेवी संगठनों से सम्पर्क कर उन्हें प्रेरित करें।

4. असामाजिक व गुण्डा तत्वों पर निगरानी रखे व लोगों के जान व माल की रक्षा करें।

5. अकाल की स्थिति में स्थानीय लोग दूर–दराज के क्षेत्र में आते–जाते हैं, ऐसी परिस्थितियों पर नजर रखे।

आगजनी की स्थिति में

आग लगने पर पुलिस को निम्न कार्य करने चाहिए –

1. आग लगने की स्थिति की सूचना मिलने पर सर्वप्रथम फायर ब्रिगेड को व उच्चाधिकारियों को सूचित करें।

2. घटनास्थल पर पहुंचकर स्थानीय व्यक्तियों की मदद से आग पर नियंत्रण के प्रयास करने चाहिए व पीड़ित व्यक्तियों को सुरक्षित निकालने के प्रयास करने चाहिए तथा इलाज के लिए उन्हें तुरन्त अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था करनी चाहिए।

3. घटनास्थल से सम्पति को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की व्यवस्था करनी चाहिए।

4. मौके पर स्थिति को नियंत्रण में रखना चाहिए व पर्याप्त संख्या में पुलिस बल रखना चाहिए एवं जब तक फायर ब्रिगेड न पहुंचे, तब तक स्थानीय लोगों को आग पर काबू पाने के लिए प्रेरित करना चाहिए।

5. फायर ब्रिगेड पहुंचने के लिए उसके आवागमन को घटनास्थल तक सुनिश्चित करना चाहिए।

6. फायर ब्रिगेड में पानी खत्म होने पर उसकी वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए।

7. यदि आग तेल डिपो, पैट्रोल पम्प आदि पर लगी हो तो अग्निशमन यंत्र का प्रयोग करें, प्रभावित आग क्षेत्र को सामान्य क्षेत्र से विभाजित करना चाहिए, जिससे आग फैलने से रोकी जा सकती है।

8. स्थानीय संसाधन जैसे रेत के बोरों का प्रयोग करना चाहिए।

बम विस्फोट :–

बम या बम विस्फोट की सूचना मिलने पर सुरक्षा से सम्बन्धित किये जाने वाले कार्य :–

1. जब भी बम की सूचना मिले तो अपना धैर्य व शांति बनाये रखना चाहिए।

2. किसी भी सूचना या धमकी को अफवाह या झूठा करार न दें, उसकी सत्यता की परख करनी चाहिए।

3. सूचना देने वाले से अधिक से अधिक जानकारी हासिल करें।

4. जहां बम विस्फोट हो गया है, वहा से आमजन को दूर रखे, उस क्षेत्र को सुरक्षित रखें, लोगों की आवाजाही उस स्थान से बंद रखें।

5. घटनास्थल पर दक्ष व प्रदर्शित दस्ते को नियुक्त करें।

6. हताहतों को प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराए एवं इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था करें।

7. एक बम विस्फोट के तुरन्त बाद उसके आस–पास दूसरा बम विस्फोट भी हो सकता है, इसलिए सक्रिय रहे।

8. घटना की सम्पूर्ण सूचना तुरन्त अपने उच्चाधिकारियों एवं प्रशासन को दें।

9. मलबा हटाने की व्यवस्था करें, अन्य विभागों से इस कार्य में सहयोग प्राप्त करें।

10. मलबे में दबे हताहतों को निकालने के लिए बचाव दल आने तक स्थानीय लोगों की मदद से कार्यवाही करें।

11. आग पर नियंत्रण रखें व फायर ब्रिगेड को सूचना दें।

12. बचाव दलों को घटनास्थल के बारे में सही जानकारी दें, जिससे बचाव कार्यवाही अतिशीघ्र की जा सके।

13. सूचना केन्द्र/कन्ट्रोल रूम में विस्फोट में घायल व मृत व्यक्तियों की सूचना भिजवाएं।

गम्भीर दुर्घटनाएं (Accident) :–

आज हमारा देश तीव्र गति से विकास कर रहा है। इस तकनीक युग में छोटी सी गड़बड़ी या मानवीय मूल गम्भीर दुर्घटना को अंजाम दे देती है, जिसमे हमें भारी जन व धन की हानि उठानी पड़ती है तथा मौके पर अफरा – तफरी मच जाती है। चाहे वो ट्रेन एक्सीडेन्ट हो, गम्भीर सड़क दुर्घटना, बम विस्फोट की स्थिति हो तो पुलिस की भूमिका ऐसी परिस्थिति में अतिमहत्वपूर्ण हो जाती है।

पुलिस के कर्तव्य :–

1. घटनास्थल पर बिना विलम्ब के पहुंचकर स्थिति का जायजा लें।

2. सर्वप्रथम घटनास्थल/मौके पर घायल व फंसे हुए व्यक्तियों को निकाल कर उन्हें प्राथमिक उपचार के पश्चात् अस्पताल पहुंचाए।

3. यदि मौके पर वाहनों में या दुर्घटनाग्रस्त रेलगाड़ी में लोग फंसे हुए हैं तो उन्हें निकालने की व्यवस्था की जावे। गैस कटर इत्यादि।

4. दुर्घटनाग्रस्त वाहनों व रेलगाड़ियों में यात्रियों का सामान सुरक्षित रहे, इसके लिए पर्याप्त मात्रा में स्थानीय बल तैनात किया जाए।

5. मौके पर राहत कार्य के लिए स्थानीय लोगों व स्वयंसेवी संस्थाओं से सहयोग प्राप्त करें।

6. मौके से लगातार उच्चाधिकारियों से सम्पर्क स्थापित रखें व अन्य विभागों से बेहतर तालमेल व समन्वय स्थापित करें।

7. बचाव कार्य में मौके पर डाक्टर, एम्बुलेंस व 108 को बुलाएं व उनकी सेवाएं प्राप्त करें।

प्राथमिक चिकित्सा एवं व्यावहारिक प्रदर्शन

रेड क्रॉस

रेड क्रॉस की शुरूआत फ्रांस और आस्ट्रिया के मध्य सन् 1850 के युद्ध के दौरान घायल सैनिकों की देखभाल से हुई। जिसका श्रेय स्वीडन के व्यवसायी श्री हेनरी डूनेन्ट को जाता है। रेड क्रॉस की स्थापना मानव जीवन को बचाने, उसे सम्मानपूर्वक जीने तथा बिना जाति, धर्म, देश, लिंग एवं धार्मिक भावनाओं के भेदभाव के उनकी पीड़ा दूर करने के उद्देश्य से की गई थी।

इन्टरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस (ICRC) की स्थापना सन् 1876 में हुई थी। शांति के लिए प्रथम नोबेल पुरस्कार रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी डूनेन्ट व फ्रेडरिक पेसी को संयुक्त रूप से उन के कार्यों के लिए वर्ष 1901 में प्रदान किया गया था। वर्ष 1917 में, 1944 में व 1962 में (ICRC) को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस अन्तराष्ट्रीय संस्था में करीब 9 करोड़ 70 लाख स्वयंसेवी व्यक्ति जुड़े हुए हैं।

प्राथमिक चिकित्सा का महत्व एवं पुलिसकर्मियों द्वारा फर्स्ट एड

प्राथमिक सहायता (फर्स्ट एड) क्या है –

दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को डॉक्टर के आने से पहले जो तुरन्त सहायता दी जाती है, उसको प्राथमिक उपचार कहते है।

प्राथमिक सहायता डॉक्टर के आने से पहले या अस्पताल तक घायल या रोगी को पहुंचने से पहले दी जाने वाली सहायता या उपचार है, चिकित्सा नहीं। हमारा काम उस समय समाप्त हो जाता है, जब पीड़ित को डॉक्टरी सहायता प्राप्त हो जाती है।

1. **प्राथमिक सहायता का उद्देश्य** :– हरसंभव उपायों से रोगी या घायल व्यक्ति की मदद करना है ताकि उसे आराम मिल सके, उसका जीवन बचाया जा सके और घाव या चोट को गम्भीर स्थिति तक पहुँचने से रोका जा सके।

2. **पुलिसकर्मियों द्वारा फर्स्ट एड** :– पुलिस विभाग में कार्यरत अधिकारियों को हर पल दुर्घटना से रूबरू होने की आशंका बनी रहती है। दुर्घटना, रेल दुर्घटना, बाढ़, दंगा एवं अपराधियों के साथ पुलिस मुठभेड़ आदि जैसे अवसरों पर प्राथमिक सहायता की तुरन्त आवश्यकता पड़ती है। अतः पुलिसकर्मियों को फर्स्ट एड की जानकारी एवं प्रशिक्षण नितांत आवश्यक है।

घायल लोगों और बीमारों को सहायता देने में निम्नलिखित बातों का समझना आवश्यक है :–

1. पहले रोगी की दशा और रोग को भली–भांति पहचानना चाहिए ताकि उसे उचित सहायता दी सके। इस बात का विचार करना भी उचित है कि रोगी को कितनी, कैसी और कहां तक सहायता दी जाये।

2. आवश्यकता के अनुसार डॉक्टर के आने तक रोगी या घायल मनुष्य को उपयुक्त चिकित्सा और सहायता दी जाये।

प्राथमिक सहायता के स्वर्ण सूत्र –

1. पहले परमावश्यक कार्य शीघ्रता तथा शांति से तथा बिना किसी भय एवं कोलाहल से कीजिए।

2. यदि श्वांस क्रिया रुक गयी हो, तो तुरन्त कृत्रिम श्वास दीजिए। प्रत्येक क्षण अमूल्य है। जब तक डॉक्टर न आये, घायल को मृतक मत मानिये।

3. प्रत्येक प्रकार के रक्तस्त्राव को तुरन्त बंद कीजिये।

4. रोगी को सदमे से बचाइये। उसका उपचार रोगी को कम से कम हिलाकर तथा कोमलता से हाथ लगाकर कीजिये।

5. रोगी को तुरन्त खतरे के स्थान से दूर हटाइये।

6. जितना हो सके, रोगी को किसी चिकित्सक के पास या चिकित्सालय में ले जाने का प्रबंध कीजिये या किसी चिकित्सक को वहीं बुलाइये।

रक्त स्त्राव या बहते खून को बन्द करने के तरीके –

1. मुख्य धमनियां एवं दबाव बिन्दु या स्थान –

धमनियां :– लक्ष्य से शरीर के विभिन्न अंगों को रक्त ले जाने वाली नसें है।

दबाव स्थान :– वह स्थान है, जहाँ एक धमनी को उसके नीचे की हड्डी के ऊपर दबाया जा सकता है, ताकि उस स्थान से रक्त आगे न जा सके।

2. रक्त स्त्राव या बहते खून को बंद करना –

रक्त स्त्राव दो प्रकार के होते हैं

1. **भीतरी रक्त स्त्राव** – घाव होने पर भीतरी मुख्य रक्त नसें फट जाती है तथा रक्त शरीर के अन्दर किसी गुहा में रिस–रिस कर इकट्ठा होने लगता है तथा नाक, मुँह या कान से रक्त आता है। ऐसे समय तुरन्त डॉक्टरी सहायता प्राप्त कीजिए और रक्त स्त्राव के स्थान पर ठण्डे पानी की गद्दी या बर्फ रखिये।

2. **बाहरी रक्त स्त्राव** :– बाहरी रक्त स्त्राव के अन्तर्गत रक्त शरीर के बाहर निकलता है। इसमें शरीर की त्वचा का कटना या फटना आवश्यक है। बाहरी रक्त स्त्राव तीन प्रकार का है –

1. धमनी से

2. शिरा से

3. कोशिकाओं से

रक्त कोशिकाओं को रोकने के दो प्रकार उपचार है –

1. **ठण्डक पहुंचाना** – ठण्डक पहुंचाने के लिए ठण्डे पानी की गददी या बर्फ को घाव पर रखिये। इससे नसें सिकुड़ेंगी और रक्त बंद हो जायेगा। ठण्डा पानी लगाने से न डरिये। खून रुक जाने पर घाव के ऊपर पानी, टिचर ऑफ आयोडिन मत लगाइये, नहीं तो घाव सड़ जायेगा। साफ पानी कभी नुकसान नहीं करता।

2. **दबाव डालना** –

   दबाव कई तरीकों से डाला जा सकता है–

   सीधा दबाव – घाव में यदि कोई कांटा, कांच आदि न हो, तो अंगूठा घाव पर रखकर घाव को दबाते है। जिधर से रक्त निकल रहा है, उधर के जोड़ में गददी रखकर मोड़ने से रक्त बंद हो जाता है।

   दबाव स्थान या प्रेशर पॉइंट दबाकर दबाव – घाव के दबाव स्थान को अंगूठे से दबाया जाता है। रक्त यदि फिर भी न रुके तो टॉर्निकेट लगाते है। टॉर्निकेट किसी भी मजबूत डोरेनुमा पट्टी से लगाया जा सकता है। 15 मिनट बाद टॉर्निकेट ढीला कर देते है। शिरा के रक्त को बंद करने के लिए उसके बहाव की ओर बंध लगाइये तथा दबाव डालिये।

ध्यान रखिये –

1. रक्त निकलते ही तुरन्त बंद कीजिये, नहीं तो सदमा होने का डर है और मृत्यु का भी।

2. रक्त बंद होने पर घाव का इलाज कीजिये।

3. रोगी के रक्त बहने वाले भाग को थोड़ा ऊँचा उठा दीजिये।

4. रोगी का रक्त बंद होने पर सदमे का उपचार कीजिये।

5. रक्त को देखकर घबराइये नहीं, धैर्य से काम कीजिये।

पट्टी बंधन के प्रकार –

1. आवरण या घावों को ढ़कना – चोट या घाव को लाल दवा या डिटोल के पानी से या साफ पानी से साफ कर साफ रुई या गाज के टुकड़े से ढक दीजिये। अब इसे गोल पट्टी से स्थिर कर दीजिये या तिकोनी पट्टी से ढ़क दीजिये।

2. **पट्टी बांधना –**

दो प्रकार की पट्टियों का प्रयोग करते हैं –

(1) **तिकोनी पट्टी का प्रयोग** :– घाव या चोट को ढकने, टूटे अंग को स्थिर करने के लिए, किसी अंग को सहारा देने के लिए तिकोनी पट्टी का प्रयोग करते हैं।

पट्टी तैयार करना – 37 से 40 ईंच वर्गाकार कपड़े को तिरछा काटकर दो तिकोनी पट्टियां बनाई जाती हैं।

गाँठ लगाना – गाँठ दो मोड़ों से बनती है।

तिकोनी पट्टी बांधने के तरीके –

1. छोटा या बड़ा झोला या गोफन – हाथ या भुजा को सहारा देने के लिये लटकन के रूप में बांधे जाते हैं। छोटे झोले के लिए चौड़ी पट्टी बनाकर इसी तरह बांधी जाती है।

2. पांव की पट्टी :– पंजा तिकोनी पट्टी के नोक वाले भाग की ओर रखकर नोंक उलट दो। दोनों सिरों को टखने से लपेट कर रीफ नॉट आगे बांध दो। अब नोक को तीर की दिशा में वापस मोडकर सेफ्टीपिन लगा दीजिये।

3. **सिर की पट्टी** – आधार को आधा मोडकर, बीच में से माथे पर रखकर, नोक पर रखकर, नोक के ऊपर लाते हुए, फिर माथे पर रीफनॉट बांध दो। पीछे की नोक को गांठ के ऊपर से लेकर सेफ्टीपिन लगा दो।

4. **घुटने की पट्टी** – आधार को दो इंच मोड़ लो। घुटने को पट्टी के बीच में लेते हुए नोक ऊपर रखते हुए तथा दोनों सिरों को घुमाकर घुटने पर रीफनॉट लगा दो, फिर नोक के नीचे लगाकर सेफ्टीपिन से टांक दो।

(2) गोल पट्टियों का प्रयोग –

गोल पट्टियों का प्रयोग अधिकतर अस्पतालों में किया जाता है। जहाँ तिकोनी पट्टी न मिले, वहां गोल पट्टी का प्रयोग करना पड़ता है। ये पट्टियां अलग–अलग अंगों के लिए अलग–अलग चौड़ाई की होती हैं। पट्टी को गोल समेटने के बाद इसे बांधते समय हाथ में इस प्रकार पकड़ते हैं कि वह आसानी से खुलती जावे। पट्टी को नीचे से ऊपर की ओर लपेटिये तथा अन्दर से बाहर की ओर अंग के सामने पट्टी की तह को इस प्रकार लपेटिये कि पहले चक्कर का दो तिहाई भाग ढ़कता जावे। यह आवश्यक है कि पट्टी ना तो अधिक कस कर बांधी जावे, न अधिक ढीली की जाये।

दुर्घटनास्थल पर प्राथमिक चिकित्सा की विधियां :–

साधारण दुर्घटनायें –

1. **कपड़ों में आग लगना** – यह एक सामान्य दुर्घटना है, जो असावधानी से आये दिन होती रहती हैं। स्टोव फट जाने से अधिकतर ऐसी दुर्घटनाएँ होती हैं, नंगी आग या गर्म वस्तु से जलना और तरल पदार्थ से झुलसना कहा जाता है। इससे छाले पड़ जाते हैं। चेहरा, सीना, पेट व निम्नांग का जलना भयानक होता है। गहराई तक जल जाने से मृत्यु का भी भय रहता है।

सावधानियां एवं उपचार –

1. आघात का भय रहता है। अतः आघात का ध्यान रखना अति आवश्यक है।
2. यदि आपके कपड़ों में आग लग जाये तो दौड़िये नहीं, जमीन पर लुढक जायें, आग बुझ जायेगी।
3. यदि किसी दूसरे के कपड़ों में आग लगी हो तो अपने हाथों से लपटों को बुझाने की कोशिश मत कीजिये। आप जल जायेंगे। एक मोटा कपड़ा, दरी लेकर अपने सामने रखकर घायल व्यक्ति को अचानक ढ़ककर उसे जमीन पर लुढ़काइये। यह कठिन है, परन्तु अभ्यास करने के बाद यह बहुत लाभदायक सिद्ध होता है।
4. छालों को फोड़िए मत। जले स्थान से कपड़े को मत हटाइये, जरूरी हो तो उसे चारों ओर से काट दीजिए।
5. जले स्थान को साफ कपड़े या रुई – पट्टियों के टुकड़ों को बरनोल मरहम या टैनिक एसिड जैली या सोडियम बाइकार्बोनेट (खाने का सोडा) के गर्म घोल में भिगोकर घाव पर रखिये। चूने के निथारे हुए पानी में बराबर खोपरे का तेल मिलाकर लगाइये। अण्डे की सफेदी भी लगा सकते हैं। घाव व छालों पर चाय की उबली हुई पत्ती पीस कर लगाइये।
6. सदमे की हालत उत्पन्न होने पर सदमे का उपचार कीजिए तथा रोगी को तुरन्त डॉक्टर के पास या अस्पताल में ले जाइये।

2. नकसीर आना या नाक से रक्त बहना –

कारण –

1. नाक या सिर पर चोट लगने से
2. गर्मी से
3. कभी–कभी कमजोरी की हालत में भी नकसीर फूट पड़ती है।

उपचार –

1. रोगी को आराम से खुली हवा में, सिर को थोड़े पीछे झुकाकर बिठा दें।

2. सीने के कपड़े ढीले कर दें तथा रोगी से मुंह से सांस लेने को कहें।

3. नाक व माथे पर, गर्दन के नीचे ठण्डे पानी का कपड़ा या बर्फ का टुकड़ा या गद्दी लगाओ।

4. नाक के सख्त भाग के नीचे के भाग को दबाइये।

5. रक्त रुकने पर रुई नाक में लगा दो।

6. पीली या ताजी मिट्टी के ढेले को गीला करके सुंघाइये।

7. नीम की भीतरी छाल या बेल की पत्ती का लेप माथे पर करें।

8. प्याज को छीलकर सुंघाइये।

9. जिस नथूने से रक्त बह रहा है, उसके विपरीत और के हाथ को ऊँचा उठा देने से श्वास बदल जाता है और रक्त बंद हो जाता है।

3. सांप द्वारा काटना –

यदि किसी सांप ने काट लिया है तो यह निश्चित करने का प्रयास करना चाहिए कि काटने वाला साप विषैला है या नहीं। विषैले होने पर तुरन्त प्राथमिक सहायता की कार्यवाही करें।

1. काटे हुए स्थान से ऊपर हृदय की ओर कपड़े या रस्सी से बंध लगाइये।

2. लाल दवा से घाव धोएं तथा दांतों से कटे स्थानों पर गुणाकार में चाकू या ब्ले से 1/4 इंच गहरा काटकर, उस घाव में लाल दवा के दाने भर कर रगड़ें, फिर पानी से धोयें।

3. रोगी को जगाते रहो। रोगी को नीम की पत्ती तथा गर्म चाय पिलानी चाहिए।

4. कपड़े से ढ़ककर शरीर गर्म रखें।

5. श्वास रुकने पर कृत्रिम श्वांस दो।

6. घाव पर जलता हुआ कोयला या लोहे की गर्म सलाख रखें।

7. केले के छिलके का रस 20 ग्राम तथा 20 काली मिर्च का चूर्ण पिलाने से लाभ होता है।

8. मरीज को तसल्ली दो तथा डॉक्टर के पास तुरन्त ले जाइये।

4. पागल कुत्ते या बन्दर आदि द्वारा काटना –

पागल कुत्ते को ''रैबीज'' नामक बीमारी होती है, जिसका वायरस उसकी लार में आ जाते हैं तथा काटते समय वायरस से संक्रमित लार व्यक्ति के घाव में जाकर खून में मिल जाती है तथा वायरस स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाता है। काटने का घाव सिर के जितना नजदीक होगा, खतरा उतना ही अधिक होता है।

पागल कुत्ते के काटने पर –

1. कास्टिक सोडा या कार्बोलिक एसिड से एक–एक दांत के घाव को अलग–अलग धोयें।

2. कटे हुए भाग को नीचे की ओर रखें, जिससे खून निकल जाये।

3. लाल मिर्च शहद में मिलाकर घाव पर लेप करें।

4. डॉक्टर को दिखाकर ''रैबीज'' के टीके लगवायें।

5. विषैले कीट – पतंगों द्वारा डंक मारना –

बिच्छु, ततैया, भिर, भौंरा, शहद की मक्खी, कनखजूरे के डंक शरीर में पीड़ा पहुंचाते हैं। कभी–कभी इनके विष से बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है।

उपचार –

1. पोली चाबी डंक के चिन्ह पर रखकर दबाव देकर डंक बाहर निकाल दें।

2. डंक लगे स्थान पर आयोडिन या अमोनिया या खाने के सोडे का पानी लगाएं या लाल दवा मलें या नमक मिली मिट्टी का लेप करें। अमृत धारा, पेन बाम या विक्स मलें।

3. बिच्छु के काटने पर आक का दूध, आम की खटाई या चिरचिटे की जड़ का स्पर्श करायें तथा नींबू के रस में नमक मिला कर मलें।

4. धनिया चबाने से, नीम की पत्ती व नमक का लेप करने से, आम का आचार, तम्बाकू, मिट्टी का तेल, स्प्रिट, सरसों का तेल, प्याज का रस में से किसी एक के मलने से भी आराम मिलता है।

5. कानखजूरे के चिपकने पर उस पर चीनी/बूरा बुरकने से उसके पंजे ढीले हो जायेंगे। फिर उसमें बारिक पाउडर या लाल दवा उंडेलकर उस स्थान को साफ करें। बाद में टिंचर आयोडिन, स्प्रिट या मरकरी क्रीम लगाकर पट्टी बांध दीजिये।

6. आवश्यकता हो तो डॉक्टरी सहायता प्राप्त कीजिए।

6. धूप, गर्मी या लू लगना :–

तेज धूप व गर्म हवा के लगने या गर्म जगह पर रहने से यह रोग होता है।

लक्षण – चेहरा लाल पड़ना, चमड़ी गर्म या रूखी, श्वास लेने में कठिनाई और वह भी गर्म निकलती है। जी मितलाना, चक्कर आना, ज्यादा प्यास का लगना, बेहोशी–सा महसूस होना, बाद में ज्वर भी हो जाता है।

उपचार –

1. रोगी को ठण्डे या छायादार स्थान पर लिटा दें।

2. कमर तक उसके कपड़े उतार कर ठण्डे पानी के छींटे दें या गीली चादर से लपेट दें या छाती व रीढ़ पर ठण्डे पानी की गदिदया रख दे व ठण्डे कपड़े से शरीर रगड़ कर पोंछें।

3. उत्तेजक पदार्थ न देकर खूब पानी पिलायें।

4. कच्चे व छोटे आम को भूनकर उसका रस निकालकर शर्बत बनाकर पिलायें।

5. दस्त आएं तो बार–बार खूब गुलाब जल पीने को दें।

6. इमली का शर्बत, शिकंजी या पोदीने का पानी पीने को दें।

7. रोगी को पूर्ण आराम दें तथा डॉक्टर को बुलायें।

7. बिजली का करंट :–

बिजली के उपकरणों को काम में लेते वक्त कई बार शॉर्ट सर्किट हो जाता है। कभी–कभी बिजली के नंगे तारों को छूने से भी करंट लग जाता है। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए –

1. सर्वप्रथम मेन स्विच को बंद कर दें।

2. यदि मेन स्विच न मिले तो लकड़ी के हत्थे वाली किसी वस्तु से तार का काट दें।

3. रबड़ की चप्पल पहन कर लकड़ी की छड़ी, कम्बल, चमड़े की बेल्ट या डोरी से पीड़ित को बिजली से छुड़ाने का प्रयास करें।

4. यदि कोई अंग जल गया हो तो उस पर ठंडा पानी डालें व एंटीसेप्टिक क्रीम लगा कर पट्टी बांध दें।

5. यदि पीड़ित व्यक्ति को सदमा हो तो उसे उबारने का प्रयास करें।

8. डूबने पर :–

यदि कभी आपके सामने कोई व्यक्ति डूब रहा हो तो उसको बचाने के लिए पानी में जाने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि आप उसको बचाकर लाने में सक्षम है।

1. पानी में डूबने वाले व्यक्ति को उसके कपड़े, पैर अथवा बाल पकड़ कर खींच कर बाहर लाने का प्रयास करें।

2. यदि आपको तैरना नहीं आता तो रस्सी अथवा लम्बा कपड़ा डूबने वाले के पास तक फेंक दें तथा जब वह उसे पकड़ ले तो खींच लें।

3. बाहर निकल आने पर उसके पेट से पानी निकालने की कोशिश करें।

4. पानी निकालने के लिए पीड़ित को उल्टा लिटा कर पीठ पर दबाव डालें।

5. पानी निकलने के बाद उसे तुरन्त कृत्रिम सांस दें।

6. गीले कपड़े उतारकर व्यक्ति को सूखे कपड़ों में लपेट दें ताकि उसके शरीर की गर्मी बनी रहे।

7. जब व्यक्ति ठीक महसूस करे तो उसे गर्म दूध, चाय अथवा कॉफी दें।

कृत्रिम श्वांस की विधियाँ –

श्वास जब रुक जाता है तो उसे कृत्रिम श्वांस देने के प्रयोग से वापिस सामान्य करना होता है। इसकी निम्न विधियां है –

1. शेफर विधि –

पहली अवस्था – रोगी को पीठ के बल लिटाइए। चेहरा एक ओर कर दीजिए, हाथ बाजू में फैले हुए, रोगी के बाई और जांघ के पास घुटनों के बल बैठ जाइये। अपने दोनों हाथों को रोगी की कमर पर रखिये।

दूसरी अवस्था – अब कोहनी को बिना मोड़े आगे की ओर झुककर घुटनों पर खड़े हो जाइये। रोगी का श्वांस बाहर निकलेगा। इसमें दो सैकेण्ड लगेंगे। अब हाथों को बिना हिलाये पहली दशा में आइये, श्वास अन्दर जावेगा। इसमें तीन सैकेण्ड लगेंगे। इस प्रकार एक मिनट में 1 बार श्वांस निकलेगा और भीतर जायेगा। डॉक्टर के आने तक या पुनः श्वांस आना शुरू होने तक इस क्रिया को जारी रखिये।

2. नवीन सिलवेस्टर विधि –

जब घायल को सिर के बल लिटाना खतरनाक हो, तो यह तरीका काम में लाते हैं। घायल को पीठ के बल लिटाकर कपड़े ढीले कर दीजिये। उसकी पीठ के नीचे एक हल्का तकिया लगा दीजिए, जिससे सिर थोड़ा नीचे हो जाये और फेफड़े उठ जावे।

पहली अवस्था – रोगी के सिर के पास घुटनों के बल बैठकर उसके दोनों हाथों की कलाइयां अपने दोनों हाथों से पकड़ लें और सीने के नीचे के भाग पर ले जाकर एक दूसरे के आगे पीछे रखकर दबाइये, इससे श्वांस बाहर निकलनी चाहिए।

दूसरी अवस्था – अब दबाव हटाओ, उसके हाथों को तेजी से ऊपर तथा बाहर की ओर उठाते हुए उसके सिर पर ऊपर से यथासम्भव पीछे की ओर ले जाइये। इससे श्वास फेफड़ों में भरेगा। इस प्रक्रिया में एक बार में कुल 5 सेकण्ड लगते है, दो सेकण्ड दबाव के लिए पहली अवस्था और तीन सेकेण्ड हाथों को उठाने में दूसरी अवस्था। इस प्रकार प्रति मिनट 12 बार की गति से लगातार इस क्रिया को दोहराइये।

ध्यान रखिये –

यदि आप अकेले हैं तो घायल का मुँह एक ओर मोड़ दीजिए, नहीं तो जीभ पलटकर अन्दर चले जाने का डर रहता है। यदि कोई साथी है तो उसे जीभ पकड़े रहने को कहिये, दो साथी हों तो दूसरे साथी द्वारा घायल के पावों को थोड़ा सहारा दें। इसके लिए आप पांवों के नीचे तकिया भी लगा सकते हैं।

3. होल्कर नेलसन की विधि –

वास्तव में यह तरीका शेफर विधि और सिलवेस्टर विधि का मिश्रण है और वर्तमान युग का यह सर्वश्रेष्ठ तरीका माना जाता है।

4. लाबोर्ड की विधि –

जब रीढ़ या सीने की हड्डी में चोट होती है, तो उपरोक्त तीनों तरीके बेकार हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में यह तरीका काम में लाते है। जिस दशा में घायल व्यक्ति पड़ा है, उस दशा में उसे आराम पहुँचायें। फिर नाक व मुँह साफ कर मोटे रूमाल से घायल की जीभ को मजबूती से पकड़िये और धीर–धीरे भीतर जाने दीजिए, इसमें तीन सैकेण्ड लगाइये। ध्यान रखिये, जीभ को छोड़ना नहीं है। इसी प्रकार 12 बार प्रति मिनट दोहराते जाइये।

5. जीवन रक्षा श्वांस :–

जीवन रक्षा सांस देने का यह सर्वश्रेष्ठ तरीका है। उसमें अपना स्वयं का श्वांस घायल के मुँह में फूंकना पड़ता है। बालक के मामले में नाक व मुँह दोनों में श्वांस देते हैं।

घायल का मुंह और नाक साफ करें। घायल की गर्दन को पीछे मोडें, ठोड़ी पर हाथ रखें। अब गर्दन व सिर को संभाल कर घायल के मुंह पर अपना मुँह रखकर अपना सांस उसे मुंह में फूकें। इससे उसका सीना उठेगा। अब अपना मुँह हटाइये, उसका सांस निकलने दीजिए। आप लम्बी श्वांस लीजिए और उसके मुंह में फूंकिये। एक मिनट में 12 बार की गति से श्वांस दीजिए तथा छोटे बच्चे को 20 बार श्वांस दीजिए।

————————————————